लोक-सभा

वाद-विवाद

Friday, 31 August, 1962

तृतीय माला

खण्ड ७, १९६२/१८८४ (शक)

[२० से ३१ अगस्त, १९६२/२९ श्रावण, से ९ भाद्र, १८८४ (शक)]

3rd Lok Sabha

Preservation 14-5-92
Fumigated
On 8.12.83
Parliament Library

दूसरा सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ७ में अंक ११ से २० तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

लोक-सभा

शुक्रवार, ३१ अगस्त, १९६२

९ भाद्र, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ट्रैक्टरों का निर्माण

†*७२१. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन ऐसे सस्ते ट्रैक्टरों का निर्माण कर रहा है जो बैलों तथा सामान्य ट्रैक्टरों की बीच की एक कड़ी है ;

(ख) क्या उन्हें पूर्व एशियाई देशों में काम में लाने के लिये विशेष रूप से बनाया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे ट्रैक्टर हमारे देश में ला कर उनका निर्माण करने का इरादा रखती है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) ब्रिटेन अनेक प्रकार के ट्रैक्टर तैयार कर रहा है जिनमें २ से ९ हार्स पावर के छोटे ट्रैक्टर शामिल हैं ।

(ख) यद्यपि इनमें से कुछ छोटे ट्रैक्टर पूर्व एशियाई देशों के लिए उपयुक्त हो सकते हैं फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि ये खासकर इन देशों के लिए बनाये गये हैं ।

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण ब्रिटेन से अधिक संख्या में ये छोटे ट्रैक्टर आयात करने के लिए अनुमति देना संभव नहीं है । लेकिन देश में "लैंडमास्टर" नामक ब्रिटिश ट्रैक्टर (४·५ हार्सपावर) तैयार करने के लिए मेसर्स ईस्ट एशियाटिक कंपनी, बंबई, को एक लाइसेंस दिया जा चुका है । अनुमान है कि यह फर्म बहुत जल्द ही उत्पादन आरंभ कर देगी ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : मंत्री महोदय ने बताया कि इस प्रकार का ट्रैक्टर तैयार करने के लिए एक फैक्टरी को लाइसेंस दिया गया है । क्या मैं जान सकता हूं कि इस कारखाने के उत्पादन का लक्ष्य क्या है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : सालाना २४,००० ट्रैक्टर ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : जो प्रोटोटाइप छोटे ट्रैक्टर कोसीपुर में प्रतिरक्षा संगठन ने तैयार किये हैं उनके बारे में सरकार की क्या राय है और क्या उस प्रकार के ट्रैक्टर तैयार करने का सरकार का विचार है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : अभी हाल में मैंने लुधियाने में यह ट्रैक्टर देखा था और वह मुझे काफी ठीक मालूम होता है और वह शीघ्र ही चंडीगढ़ में भी प्रदर्शित किया जा रहा है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि इस बात को देखते हुए कि किसानों की, खेती करने के लिये, छोटे और बड़े किस्म के ट्रैक्टरों की इतनी ज्यादा मांग है कि वह पूरी नहीं हो पा रही है, कृषि मंत्रालय क्या कर रहा है ताकि छोटे और बड़े ट्रैक्टर इस देश में ज्यादा उत्पादित हो कर आसानी से मिल सकें और किसानों की आवश्यकतायें पूरा हो सकें ?

डा० राम सुभग सिंह : इसी से तो इन कम्पनियों को लाइसेंस दिया गया है कि वे छोटे और बड़े ट्रैक्टरों का उत्पादन करना शुरु करें, और प्रश्नकर्ता महोदय को खुशी होगी, यह जान कर, कि दो कम्पनियां ट्रैक्टर बनाने भी लगी हैं । एक तो यहीं पर है जिस का नाम रिचर्ड ट्रैक्टर कारपोरेशन है । अब तक उस ने २६२ ट्रैक्टर बना लिये हैं । दूसरी है ट्रैक्टर एण्ड फार्म इक्विपमेंट कारपोरेशन आफ मद्रास । उस ने अब तक ८८८ ट्रैक्टर बना लिये हैं । और जगह भी इसी तरह से काम हो रहा है ।

†**श्री ब० कु० दास** : माननीय मंत्री द्वारा उल्लिखित ट्रैक्टर का दाम कितना है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : पहले जो मूल्य निर्धारित किया गया था वह अब भी है लेकिन जब हम काफी अधिक संख्या में ट्रैक्टर तैयार करना शुरु करेंगे जैसा कि हम अपने कार्यक्रम के अनुसार करने जा रहे हैं, तब किसानों की हैसियत के मुताबिक कीमतें निर्धारित करनी होंगी ।

श्री रा० स० तिवारी : मेरा यह निवेदन है कि ट्रैक्टरों को छोटे किसानों को भी लेना पड़ता है और उस में उन लोगों को इतनी दिक्कत होती है कि दो दो साल तक नहीं मिल पाता है । तो क्या इस के लिये सरकार कोई उद्योग करेगी कि उन को शीघ्र ही यह ट्रैक्टर्स मिल सकें ?

अध्यक्ष महोदय : यहां तो बनाने की व्यवस्था हो सकती है, इस समय ।

डा० गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री महोदय को यह मालम है कि जो जबलपुर के जी० सी० एफ० फैक्टरी में "शक्तिवान" नामक ट्रक हैं वे बड़ी सफलता से बनाये जा रहे हैं ? ऐसी हालत में प्राइवेट कम्पनियों को ट्रैक्टर बनाने का काम न सौंप कर जो इस प्रकार के सरकारी उद्योग हैं उन को यह काम क्यों नहीं सौंपा जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० राम सुभग सिंह : जैसा कि अभी बतलाया गया है प्राइवेट कम्पनियां जितनी हैं उन को भी यह काम सौंपा गया है और जबलपुर में जो आर्डनेन्स फैक्ट्री है या दूसरी जगहों पर जो आर्डनेन्स फैक्टरियां हैं, उन को भी । लेकिन उन सब जगहों के उत्पादन से भी आज की समस्या हल नहीं हो पाती है । इस लिये मैं तो चाहूंगा कि सभी क्षेत्र जितनी शीघ्रता से ट्रैक्टरों को बना सकें, बनाना जारी रक्खें ।

†**डा० रानेन सेन :** क्या समाजवादी देशों, विशेषकर सोवियत संघ और चेकोस्लोवाकिया की मदद से भारत में ट्रैक्टर बनाने की कोई योजना है ?

†**डा० राम सुभग सिंह :** वास्तव में, माननीय सदस्य को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हम इन दिनों सोवियत रूस सहित पूर्व यूरोपीय देशों से ट्रैक्टर और फालतू पुर्जे आयात करते रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न समाजावदी देशों की सहायता से ट्रैक्टर तैयार करने के बारे में है ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** अभी तक, ३० सितम्बर तक कोई लाइसेंस देना निषिद्ध है लेकिन उस तारीख के बाद उस पर विचार किया जा सकता है

श्री यशपाल सिंह : क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि स्टेट गवर्नमेंटस ट्रैक्टरों को बनाने में ढाई ढाई साल तक की देर कर देती हैं, और यदि हां, तो इस काम को सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने हाथ में ले लेने में क्या दिक्कत है ?

डा० राम सुभग सिंह : पता तो है लेकिन कठिनाइयां हैं क्योंकि बाहर से सामान आदि इम्पोर्ट करना होता है ।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को ही सारा काम दे देंगे तो यहां भी देर लगेगी ।

श्री त्यागी : जो ट्रैक्टर्स आर्डनेन्स फैक्ट्रीज़ में बन रहे थे, क्या फूड एण्ड ऐग्रिकल्चर मिनिस्ट्री ने उन को पसन्द किया है ? यदि ऐसा किया है, तो फिर उसी फैक्ट्री पर क्यों नहीं जोर डाला जाता कि वह काफी ट्रैक्टर बनायें ?

डा० राम सुभग सिंह : असल में जहां तक पहले के ट्रैक्टरों का सम्बन्ध है, जिन को दण्डकारण्य में भेजा गया था, शायद उस वक्त कोई कन्सल्टेशन नहीं हुआ होगा । लेकिन अभी जो ट्रैक्टर मैं ने देखा जो लुधियाना में बना था आर्डनैन्स फैक्ट्री में, उस में, जिस दिन मैं ने देखा था,कुछ सुधार की जरुरत थी और उसे मैं ने वहां पर बतलाया भी । जो वहां के ऐग्रिकल्चरिस्ट्स हैं उन की राय ले कर उस में अनुकूल सुधार किया जा रहा है, और जब वह मुफीद साबित होगा तब उस के बारे में सोचा जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं के लिए मुख्य उपकरण

*७२२. श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के उन वर्कशापों की उत्पादन क्षमता का, जो सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं के लिये मुख्य उपकरण का संभरण करते हैं, विस्तृत अध्ययन पूरा कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वर्कशापों की वर्तमान क्षमता कितनी है ;

(ग) क्या कोई सिफारिशें की गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) : सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं के लिए आवश्यक उपकरण तैयार करने के लिए वर्कशापों की वर्तमान क्षमता का अनुमान लगाने के लिए स्थापित किये गये अध्ययन दल की सिफारिशें उसका प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद ही मालूम होंगी । यह प्रतिवेदन शीघ्र ही प्राप्त होने वाला है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : यह अध्ययन दल कितने वर्कशाप में गया था ?

†**श्री अलगेशन** : इस समिति के संदस्य ११० वर्कशाप में गये थे जो ऐसे उपरकण तैयार कर रहे हैं ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या अध्ययन दल जिन कारखानों में गया था उन में से कुछ कारखानों में कुछ फालतू पुर्जे और औज़ार भी तैयार किये जा रहे हैं ?

†**श्री अलगेशन** : उन्होंने जो कारखाने देखे उन में से कुछ कारखाने फाटक, हॉयस्ट और ट्रांसमीशन टावर आदि जैसी चीजें तैयार कर रहे हैं । जब इस समिति का पूरा प्रतिवेदन प्राप्त हो जायगा तब हमें ब्यौरा मालूम हो सकेगा । अध्ययन दल से कहा गया है कि वह देश में इन चीजों का आवश्यकता का अनुमान लगाय और यह मालूम करे कि वे देश में कहां तक तैयार की जा सकती हैं ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : इस बात को देखते हुए कि ये कारखाने पहले से काम कर रहे हैं. क्या मैं जान सकता हूं कि किस परिमाण में औज़ार अब भी आयात किये जा रहे हैं और जो हम यहां तैयार नहीं कर पा रहे हैं ?

†**श्री अलगेशन** : प्रारम्भिक अध्ययन के फलस्वरूप, यह पता लगा है कि पेनस्टाक की आवश्यकता वर्तमान उपलब्ध क्षमता से पूरी की जा सकती है लेकिन जहां तक फाटक, हॉयस्ट और ट्रांसमीशन टावर आदि का सम्बन्ध है, हमें अपनी आवश्यकता का कुछ हिस्सा आयात करना पड़ेगा ।

रानीगंज और झरिया में सड़कों का सुधार

†*७२३. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता से तेपेचांची (धनबाद) तक ग्रांड ट्रंक रोड तथा रानीगंज और झरिया कोयला क्षेत्रों में सहायक सड़कों के सुधार की एक योजना को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका अनुमित व्यय कितना है तथा उसमें से कितना केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जायगा तथा कितना सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा; और

(ग) क्या सरकार ने बिहार सरकार से प्रस्तावित योजनाओं को उच्च पूर्ववर्तिता देने की प्रार्थना की है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

१७.२० करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से निम्नलिखित सड़कों के सुधार की एक प्रारंभिक योजना तैयार की गयी है :—

(१) कलकत्ते से तेपेचांची तक (१९१ मील) ग्रैन्ड ट्रंक रोड (राष्ट्रीय राजपथ संख्या २) का विकास

(२) रानीगंज और झरिया कोयला क्षेत्रों में और बाहर सहायक और पहुंच-सड़कों के ३७५ मील तक सुधार

(३) गोबिन्दपुर से चसरोड (३१ मील) तक राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३२ का सुधार ।

राष्ट्रीय राजपथों के सम्बन्ध में सारा खर्च केन्द्रीय सरकार करेगी लेकिन सहायक और पहुंच-सड़कों के मामले में ५० प्रतिशत खर्च केन्द्रीय सरकार सहायक अनुदान के रूप में खर्च करने वाली है और बाकी ५० प्रतिशत खर्च सम्बन्धित राज्य सरकारें अपने पास से करेंगी । राज्य सरकारों द्वारा इस व्यवस्थ की स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है । निर्माण कार्यों को वास्तव में कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में इस प्रश्न की अभी छानबीन हो रही है कि यह योजना सर्वोत्कृष्ट ढंग से किस प्रकार कार्यान्वित की जा सकती है ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या सरकार ने खान और ईंधन मंत्रालय के वक्तव्यों की ओर ध्यान दिया है और यह मालूम किया है कि प्रस्तावित सुधार से परिवहन विषयक अवरोध किस हद तक दूर हो जायगा ?

†**श्री राज बहादुर** : यह प्रश्न सड़कों के सुधार और विकास तक ही सीमित है । मैं नहीं जानता कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिये अथवा नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह संगत नहीं होगा ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : जहां तक ट्रकों का सम्बन्ध है, वर्तमान सड़कों पर वास्तव में कितना टन माल लाया जा सकता है और कितना सुधार किया जायगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर** : २७,००० पौंड (ग्रास लेडन वेट) की अनुमति है । यह लगभग १२ टन ग्रास वजन के बराबर है। कुछ मामलों में तो ३३,००० पौंड तक की अनुमति दी गयी है ।

श्री भागवत झा आजाद : ऐसी योजनाओं में जिन में केन्द्रीय और राज्य सरकारें बराबर हिस्सा बटा रही हैं, क्या इस बात की जांच की गई है कि इन योजनाओं का कार्यान्वयन किन एजेन्सियों के द्वारा किया जायगा ?

श्री राज बहादुर : यह काम स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया जाता है । वैसे विचार यह है कि विशेष प्रकार की परियोजना को ले कर नई सड़कों का निर्माण हो तो उस के लिये हम विशष एजेन्सी भी स्थापित करें ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : विवरण से यह मालूम होता है कि तीन योजनाएं मंजर की गयी हैं और उनकी कुल अनुमानित लागत १७.२० करोड़ रुपय दी हुई है । इन तीनों योजनाओं में इस वित्तीय नियतन का अलग अलग ब्यौरा क्या है और क्या उनकी प्राथमिकता का क्रम वही है जिस क्रम में उनका उल्लेख किया गया है ?

†**श्री राज बहादुर** : वह एक इकट्ठी योजना है । यहां प्राथमिकता के क्रम का कोई प्रश्न नहीं है। सहायक सड़कों, पहुंच-सड़कों और ग्रैंड ट्रंक रोड (राष्ट्रीय राजपथ संख्या २) में सुधार करने और उसे मजबूत बनाने की आवश्यकता है । इसलिए उन सभी को आरम्भ करना है । ब्यौरा इस प्रकार है:—

ग्रैंड ट्रंक रोड (राष्ट्रीय राजपथ संख्या २) का सुधार—१९१ मील	७.६३ करोड़ रुपया
राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३२ का सुधार—३१ मील	१.०० करोड़ रुपया
२२५ मील सहायक सड़कों का सुधार	५.६० करोड़ रुपया
विभिन्न कोयला क्षेत्रों में १५० मील पहुंच-सड़कों का सुधार	३.०० करोड़ रुपया

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या यह सच है कि ग्रैंड ट्रंक रोड पर बोझ कम करने के लिए, दिल्ली रोड नाम की एक दूसरी सड़क बनाने की एक योजना सरकार के सामने थी और बाद में वह योजना रद्द कर दी गयी और अब विवेकानंद पुल से आदि सप्तग्राम तक केवल २२ मील सड़क ही बनायी जायगी ? यदि हां, तो उसे बनाने में कितनी लागत पड़ेगी और वह खर्च कौन करेगा ?

†**श्री राज बहादुर** : वह एक अलग सड़क है ।

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : वह इस अर्थ में अलग नहीं है कि यहां सुधार का उल्लेख किया गया है और यह सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड पर वर्तमान बोझ कम करने के लिए है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने कहा "वह एक अर्थ में अलग नहीं है . . . ." इसलिए एक 'अर्थ' ऐसा है जिसमें वह अलग है ।

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : मैं दूसरा सवाल पूछूंगा । क्या इस सुधार में वर्तमान ग्रैंड ट्रंक रोड को चौड़ा करने का काम शामिल है, यदि हां, तो इस सड़क को जो अधिकांश स्थानों पर तंग है, किस प्रकार चौड़ा करने का सरकार का विचार है ?

†**श्री राज बहादुर** : सामान्यतया इन सड़कों के लिए जो स्टैन्डर्ड स्वीकृत किया गया है वह टूलेन वे और ग्रैंड ट्रंक रोड जैसे राष्ट्रीय राजपथों के लिए अधिक चौड़ी पटरियां हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के चारों ओर वृत्ताकार रेलवे

+

*७२४. श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सं० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के चारों ओर वृत्ताकार रेलवे बनाने के बारे में उनके मंत्रालय की योजना में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस वृत्ताकार रेलवे पर ट्रेन चलाने के सम्बन्ध में मंत्रालय के सम्मुख क्या कठिनाइयां हैं और उन्हें हल करने के लिये क्या प्रयत्न किय जा रहे हैं;

(ग) उपरोक्त वृत्ताकार रेलवे पर कितने स्टेशन बनाने का विचार है और इस रेलवे पर आवर्तक तथा अनावर्तक कितना व्यय होने का अनुमान है;

(घ) क्या यात्री-भाड़े की आय की दृष्टि से यह परियोजना लाभदायक सिद्ध होगी;

(ङ) क्या वृत्ताकार रेलवे का बिजलीकरण करने के प्रश्न पर भी विचार हो रहा है; और

(च) यदि हां, तो इस मामले पर किस स्तर पर विचार हो रहा है ?

रेलवे मंत्रालय में रेल मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) "दिल्ली एवाइडिंग लाइन और रिंग रेलवे" का काम अभी हाल में मंजूर किया गया है। इस समय लाइन के विभिन्न भागों पर निशान के लिए खूंटे लगाये जा रहे हैं। पुलों का ब्यौरेवार नक्शा तैयार करने के लिए फील्ड डैटा इकट्ठा किया जा रहा है और टैंडर मंगाने के सिलसिले में दूसरे ब्यौरों का फैसला किया जा रहा है। ज़मीन का कब्ज़ा मिलते ही लाइन बनाने का काम शुरू कर दिया जायगा।

(ख) अभी रिंग रेलवे बनाने का काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए सवाल नहीं उठता।

(ग) रिंग रेलवे बन जाने पर तीन नये स्टेशन खोले जायेंगे। साथ ही एक या दो मौजूदा स्टेशनों को बन्द करने का भी विचार है। इस लाइन की देख-भाल का सालाना आवर्त्ती खर्च ४,२७,००० रुपये होगा। इसके अलावा इसका संचालन खर्च ६,८६,००० रुपये होगा। इस लाइन पर लगभग २.४३ करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है, जो कि अनावर्त्ती खर्च (नॉन-रेकरिंग एक्सपेन्डिचर) है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) सवाल नहीं उठता।

श्री त्यागी : मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो आपके यहां हिन्दी असिस्टेंट हैं उनको बदल दीजिए ताकि ऐसी हिन्दी लिखी जाए जो सबकी समझ में आ सके।

श्री भागवत झा आजाद : अगर माननीय सदस्य ने इसका मतलब नहीं समझा तो क्या इस का यह अर्थ है कि यह हिन्दी अच्छी नहीं है। अनावर्ती तो ठीक है, उसके स्थान पर और क्या हो सकता है। बिना जाने आपत्ति उठा देते हैं।

श्री भक्त दर्शन : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि जहां इस प्रकार के शब्द जैसे "अनावर्ती" आवें वहां उनका अनुवाद जैसे "नान रिकरिंग" भी रख दिया जाए।

श्री शाहनवाज खां : मैंने ऐसा कहा तो है।

†**श्री म० ला० द्विवेदी :** मैं जानना चाहता हूं कि इस रिंग रेलवे पर लाइन निर्माण का काम कितना पहले से मौजूद है और कितने मील और बनना शेष है, और यह सब कब तक बन कर तैयार हो सकेगी ?

श्री शाहनवाज खां : रिंग रेलवे पर कुछ लाइन तो मौजूद है उसको इस्तैमाल किया जाएगा। जो नहीं बनी है वह करीब ११ मील है और जो मौजूदा लाइन उसके ५–३ मील का रिग्रेडिंग का काम भी करना है।

अध्यक्ष महोदय : यह तैयार कब तक हो जाएगी।

श्री शाह नवाज खां : देरी के बारे में मैं कोई खास तारीख नहीं दे सकता क्योंकि इस चीज का दारोमदार इस बात पर है कि हमको लाइन बनाने के लिये जमीन कब दी जाती है। लैंड एक्वीजीशन के लिये कार्रवाई शुरू हो गयी है और जिस दिन से हम काम शुरू करगे, अगर हमको मैटीरियल मिल गया तो साढ़े तीन साल हमको काम पूरा करने में लगग।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दिल्ली केन्द्रीय सरकार की राजधानी है और यहां रोज हजारों आदमियों को आना जाना पड़ता है, क्या मन्त्रालय इस बात पर विचार कर रहा है कि इस वक्त से ही यहां इलैक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू कर दिया जाए।

श्री शाहनवाज खां : जी अभी तक तो इसके ऊपर कोई विचार नहीं किया गया है क्योंकि हम ऐसा महसूस करते हैं कि जो स्टीम ट्रैक्शन है फिलहाल हम उसी से इस काम को पूरा कर सकेंगे।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो रिंग रेलवे बनने जा रही है इससे दिल्ली की कितनी कालोनीज हैं उन सब को फायदा पहुंचेगा या किसी विशेष भाग को लाभ पहुंचेगा।

श्री शाहनवाज खां : जिन जिन कालोनीज के पास से यह रेलवे गुजरेगी उनको लाभ पहुंचेगा।

अध्यक्ष महोदय : तो फिर सवाल होगा कि कौन कौनसी कालोनीज के पास से यह गुजरेगी।

श्री शाहनवाज खां : मैं अर्ज किए देता हूं।

डा० मा० श्री० अणे : कितनी कालोनीज को फायदा मिलेगा कितनी को नहीं मिलेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मालूम पड़ता है कि यह बतलाने में देरी लगेगी।

श्री शाहनवाज खां : आप फरमाएं तो मैं नक्शा सदन की मेज पर रख दूं ताकि सब साहिबान देख सकें।

अध्यक्ष महोदय : यह ज्यादा ठीक होगा।

श्री क० ना० तिवारी : अभी माननीय मन्त्री जी ने जो कहा उससे मालूम होता है कि जमीन मिलने में कुछ कठिनाई है । जो जमीन ली जाएगी उसके कारण जो लोग बेघरबार हो जायेंगे उनके लिए क्या इन्तिजाम किया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : अगर आप इसको लम्बा खींचेंग तो वक्त लगेगा ।

†**श्री हरि विष्णु कामत**: क्या सरकार का यह इरादा है कि किसी समय इस रिंग रेलवे परियोजना को दिल्ली के मास्टर प्लान के साथ मिला दिया जाये या मास्टर प्लान से अलग उसे कार्यान्वित करने का उसका विचार है ?

†**श्री शाहनवाज खां** :रिंग रेलवे के लिये अन्तिम स्थल-सर्वेक्षण किया जा चुका है और आशा है कि वृहत्तर दिल्ली की योजनाएं उसके अनुरूप होंगी ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह समझ में नहीं आता कि मास्टर प्लान उसके अनुरूप किस प्रकार होगी ।

†**श्री शाहनवाज खां** : दिल्ली रिंग रेलवे की योजना ग्रेटर देहली योजना से बहुत पहले ही शुरू की गयी थी । अपनी योजना को उस योजना के अनुरूप बनाना आयोजकों का काम है ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या सरकार जानती है कि एक बार यह रेलवे बन जाने पर यातायात, पैदल चलने वालों, साइकिलों और अन्य गाड़ियों की कितनी संख्या कम हो जायगी और यह रिंग रेलवे बनाने के लिय सरकार कौन सी प्राथमिकता देने के लिय तैयार है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : माननीय सदस्य को शायद यह मालूम होगा कि यह लाइन बनाने की मंजूरी इसी साल २२ जनवरी को दी गयी थी । ज्यों ही जमीन हमें दे दी जायगी त्यों ही काम शुरू करने के लिये हम तैयार हैं ।

झेलम परियोजना

+

*७२५. **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री २५ अप्रैल, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने प्रस्तावित झेलम परियोजना के बारे में जम्मू और काश्मीर सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि प्रश्न के भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) जम्मू और काश्मीर सरकार द्वारा तैयार की गयी मूल योजना की छानबीन केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने की थी और आयोग ने उसमें कुछ रदोबदल करने के सुझाव दिये थे। राज्य सरकार ने उन सुझावों को ध्यान में रख कर प्रतिवेदन में परिवर्तन किया। आयोग अब संशोधित प्रतिवेदन की छानबीन कर रहा है।

श्री रघुनाथ सिंह: मैं यह जानना चाहता हूं कि काश्मीर सरकार ने जो रिवाइज्ड रिपोर्ट आप के सामने रक्खी है उस रिपोर्ट के अनुसार इस प्रोजैक्ट पर खर्च कितना होगा और कब तक इसके पूर्ण होने की आशा है ?

†**श्री अलगेशन :** इस परियोजना से आरम्भ में ५० मेगावाट बिजली और आखिर में ११७ मेगावट बिजली पैदा करने का विचार है। अनुमान है कि अन्तिम दौर में इस परियोजना की लागत लगभग १७ करोड़ रुपये होगी। यह तीसरी योजना में शामिल की गयी है और उसके लिये तीसरी योजना में ३८७.७९ लाख रुपये की रकम रखी गयी है।

'ट्रंक डायलिंग योजना'

***७२६. श्री विभूति मिश्र :** क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन शहरों में 'सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग" योजनायें मंजूर की गई थीं क्या उनमें इसे लागू कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो लागू करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) उन्हें उत्तरोत्तर लागू किया जा रहा है। पहली दो प्रणालियां—लखनऊ-कानपुर और दिल्ली-आगरा—पहले ही चालू की जा चुकी हैं।

(ख) शेष योजनाओं के १९६३–६४ के दौरान पूरा हो जाने की सम्भावना है।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह ट्रंक डायलिंग योजना पटना-कलकत्ता और अन्य शहरों के बीच में कब तक चालू करने का विचार है ?

†**श्री भगवती :** वह को एक्सीयल तार डालने और काफी संख्या में ट्रंक सर्किट्स की व्यवस्था करने पर निर्भर होगा। कुछ मार्गों पर को एक्सीयल तार डाले जा रहे हैं। जब ये चीजें पूरी हो जायेगी और विशेष उपकरण भी तैयार हो जायगा तब यह कार्यक्रम आरम्भ किया जा सकता है।

श्री विभूति मिश्र: मैं यह जानना चाहता हूं कि यह ट्रंक डायलिंग योजना इट्रोड्यूस करने से ट्रंक कौल करने वालों को क्या सहूलियत पहुंची है ?

†**श्री भगवती :** उन्हें सीधे एक स्थान से दूसरे स्थान का कनेक्शन मिल सकता है। एक खास जगह का ग्राहक किसी दूसरी जगह के ग्राहक से सीधे टेलीफोन मिला कर बातचीत कर सकता है। यह उपकरण अभी लगभग ५०० किलोमीटर की दूरी तक ही सीमित है। उससे आगे हमें अभी तक यह मालूम नहीं है कि तकनीकी समस्याएं हम किस तरह हल कर सकते हैं।

श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा : क्या मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंग कि दिल्ली कानपुर लाइन पर यह योजना कब तक चालू हो जाएगी ? इसका ट्रायल भी हो चुका है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री भगवती : दिल्ली-कानपुर : यह सम्भवतः १९६३–६४ में पूरी हो जायेगी।

†श्रीमती सावित्री निगम : जब यह योजना इतनी अच्छी और सफल सिद्ध हुई है तब क्या सभी महत्वपूर्ण शहरों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिये कोई व्यापक योजना बनायी गयी है और यदि हां, तो वह कब कार्यान्वित की जायेगी ?

†श्री भगवती : यह उपकरण कुछ बड़े शहरों में चालू किया जाने वाला है। कुछ ऐसी योजनाएं हैं। उसमें कुछ समय लगेगा। यह प्रणाली लागू करने से पहले हमें को-एक्सीयल तार डालने होंगे। मैं पहले यह बता चुका हूं कि यह उपकरण या प्रणाली काफी संख्या में स्टेबल ट्रंक सरकिट पर निर्भर है जो फिर को-एक्सीयल तार लगाने पर निर्भर है।

†श्री काशीनाथ पांडे : इस योजना से सरकार को क्या अनुभव हुआ है; वह लाभदायक है या हानिकारक ?

†श्री भगवती : वह निश्चय ही लाभदायक है। इस देश में दूर संचार के इतिहास में उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है।

†श्री दासप्पा : वर्तमान योजना के अनुसार यह को-एक्सीयल तार परियोजना सम्भवतः कब पूरी हो जागी ?

†श्री भगवती : अनुमान है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में हम मुख्य मार्गों पर उसे पूरा कर सकेंगे।

श्री भानुप्रकाश सिंह : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि दिल्ली-आगरा और कानपुर-लखनऊ के पश्चात् वह कौन से भाग्यशाली दो नगर होंगे जिनको कि इस योजना का निकट भविष्य में लाभ मिलेगा ?

†श्री भगवती : मैं कुछ नहीं बता सकता।

श्री म० ला० द्विवेदी : जो योजना सरकार ने बनाई थी उसमें किन किन शहरों के बीच में यह योजना चालू करने के लिये प्राथमिकता दी गई है ?

†श्री भगवती : ये योजनाएं पहले ही मंजूर की जा चुकी हैं :—

दिल्ली-कानपुर, दिल्ली-लखनऊ, आगरा-कानपुर, आगरा-लखनऊ, कानपुर-वाराणसी।

दिल्ली में आयुर्वेदिक कालेज

\+
*७२७. { श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या स्वास्थ्य मन्त्री १६ जून, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १४९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक कालिज दिल्ली को भारत सरकार के सीधे नियन्त्रण में लाने की दिशा में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : इस कालेज का और अधिक विकास करने के बारे में सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिये आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बिया बोर्ड ने पांच

†मूल अंग्रेजी में

सदस्यों की एक समिति बनाई है, जिसके अध्यक्ष सुपरिन्टेंडेंट मेडिकल . सर्विसेज दिल्ली हैं। इस विषय पर आग विचार करने से पूर्व, हम इस समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, यह जो एक छोटी कमेटी बना कर सुझाव मांगे गये हैं क्या इस का अर्थ यह तो नहीं है कि जो बुनियादी प्रश्न है कि केन्द्रीय सरकार इस को अपने हाथ में ले ले, उसको समाप्त कर दिया गया है या उस पर अभी भी विचार किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : श्रीमन्, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस को लेने की बात का आधार उस कमेटी की सिफारिशों के ऊपर ही होगा।

श्री भक्त दर्शन : क्या शासन के ध्यान में यह बात आई है कि इस संस्था को स्थापित हुए यद्यपि इतने वर्ष हो गये और कई बड़े और महान व्यक्तियों का नाम इससे लगा हुआ है फिर भी कई वित्तीय कठिनाइयों, गड़बड़घुटाले, कुव्यवस्था और कुप्रबन्ध आदि की इस तरह की शिकायतें इस के सम्बन्ध में शासन के ध्यान में आई हैं और क्या उन पर कुछ कार्यवाही की जा रही है ?

डा० सुशीला नायर : श्रीमान्, मैंने चन्द रोज पहले इसी हाउस में निवदन किया था कि कैसे हकीम अजमल खां साहब के सुपुत्र ने सरकार के खिलाफ मुकदमा चलाया और उस मुकदमे का फैसला अभी थोड़े ही दिन पहले सरकार के हक में हुआ है। इस दरमियान पहले की निस्बत इस कालिज में बहुत ज्यादा तरक्की हुई है। कुछ शिकायतें बाकी हैं उन को दुरुस्त करन का इंतजाम किया जा रहा है।

श्री भागवत झा आजाद : क्या इस कालिज के विद्यार्थियों ने माननीय मंत्री के सामने एक स्मृति पत्र पेश किया है जिस में उन्होंने इस बात का हवाला दिया है कि ५ वर्ष की पढ़ाई के बाद वह यह महसूस करते हैं कि उन के डिप्लोमा का कोई मूल्य ही नहीं है ? अगर ऐसी बात हो तो वहां की पढ़ाई के स्तर में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

डा० सुशीला नायर : जी ऐसा कोई मेमोरेंडम तो मेरे पास नहीं आया है लेकिन इतना मैं निवेदन कर दूं कि अक्सर लड़के यह आशा रखते हैं कि इन आयुर्वदिक युनिवर्सिटियों या कालेजों से निकल कर वे डाक्टर बन जायेंगे और जब वह डाक्टर नहीं बनते हैं तो फिर निराश होते हैं।

श्री वी० चं० शर्मा : क्या माननीय मंत्राणी जी यह बतलाने की कृपा करेंगी कि यह जो कमेटी बनी है, इसका प्रयोजन क्या है ? क्या सिर्फ आरगनाइजेशन के साथ इस का सम्बन्ध है, या सिलेबस के साथ सम्बन्ध है, या काम करने के तरीके से सम्बन्ध है ?

डा० सुशीला नायर : सारे के सारे कालेज के भविष्य का क्या नक्शा होना चाहिये, उस के साथ सम्बन्ध है।

†**श्री पु० र० पटेल :** क्या यह सच है कि यूनानी चिकित्सा के तिबिया कालेज ने यह शिक्षाक्रम चालू करने का विज्ञापन दिया था और उस विज्ञापन के बाद अनेक छात्रों ने आवेदन-पत्र भेजे थे, लेकिन कुछ नहीं किया गया और वह शिक्षाक्रम चालू नहीं किया गया है, और यदि ऐसा है, तो केन्द्रीय सरकार इस कालेज को अपने हाथ में क्यों नहीं ले लेती ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह कार्यवाही के लिये सुझाव है।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** इस समिति को खास तौर से कौन कौन से विचारणीय विषय दिये गये थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० सुशीला नायर** : मैंने पहले ही बता दिया है कि इस समिति के कार्य क्या हैं ?

डा० गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्राणी जी को यह बात मालूम है कि चूंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की पढ़ाइयां इन कालेजों में हो रही हैं और कोई एक पाठ्यक्रम निश्चित नहीं है, इसलिये यह बहुत आवश्यक हो गया है कि इस कालेज को हाथ में ल कर इस की पढ़ाई इस तरह से निश्चित की जाय कि सब जगह पाठ्यक्रम सुधर सके ? क्या इस बात पर विचार कर के सरकार यह उचित नहीं समझती है कि इस कालेज को हाथ में ले लिया जाय ?

डा० सुशीला नैयर : यह कहना कि इस कालेज के द्वारा सारे देश का पाठ्यक्रम सुधरेगा, यह तो जरा बहुत ज्यादा बात हो जाती है, क्योंकि सभी कालेज वाले समझते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम से सारे देश का पाठ्यक्रम सुधरेगा । सब कालेजिज में एक तरह का पाठ्यक्रम हो, इस विचार से एक पाठ्यक्रम बनाया गया था । उस के बाद पंडित शिव शर्मा और दूसरे लोगों ने उस पर आपत्ति उठाई । हाल ही में प्लानिंग कमीशन ने इस बारे में मीटिंग बुलाई थी कि भविष्य का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिये । उस पर विचार हो रहा है ।

भारत में तापीय केन्द्रों के डिजाइन

†७२८. **डा० क० ल० राव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तापीय विद्युत् केन्द्रों के डिजाइनों और जल विद्युत् केन्द्रों के सम्बन्ध में विदेशी सलाहकारों पर क्रमशः कितनी राशि खर्च की गई तथा खर्च की जाने के लिये निश्चित की गई ;

(ख) देश से बाहर बनाये गये डिजाइनों के लिये मंत्रणा शुल्क घटाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार अपने डिजाइन संगठनों को मजबूत करेगी, और देशी सलाहकारों का, यदि कोई हो, उपयोग करेगी ताकि भारत के अन्दर ही तापीय केन्द्रों के डिजाइन बनाये जायें ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) विदेशी सलाहकारों को भुगतान उन के साथ किये गये करारों के अनुसार परियोजना अधिकारियों द्वारा किया जाता है । उन्हें वास्तव में कितना भुगतान किया जा चुका है इस बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है लेकिन इस मद में विदेशी मुद्रा के वायदे लगभग इस प्रकार हैं :—

(करोड़ रुपयों में)

तापीय	३·२२
पनबिजली	१·४६

(ख) और (ग). विशिष्ट सेवायें जिन में इंजीनियरिंग, डिजाइन, वसूली और देश में बड़े बड़े तापीय और पनबिजली घरों की स्थापना शामिल हैं, देने के लिये केन्द्रीय पानी और बिजली आयोग के बिजली विभाग में एक संगठन कायम किया जा रहा है । इस योजना के अधीन, हमारे अपने इंजीनियरों को भारत में और विदेशों में विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे विदेशी सलाहकारों की सहायता के बगैर देश में इसी प्रकार के कार्यों में आधुनिकतम प्रणालियों और प्रथाओं का उपयोग कर सकें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० क० ल० राव: क्या तापीय बिजली घरों के डिजाइन बनाने वाले कर्मचारियों के लिये जरूरत पड़ने पर विदेशी सलाहकारों की सहायता से एक विशेष प्रशिक्षण कक्ष चालू करने की कोई योजना है ?

श्री अलगेशन : विवरण में ही यह बताया गया है कि हमारे अपने इंजीनियर. . . .

अध्यक्ष महोदय : विवरण में जो कुछ बताया गया है उसे दोहराने की जरूरत नहीं है । यदि वह विवरण में दिया हुआ है तो उत्तर देने की जरूरत नहीं ।

श्री अलगेशन : यदि इस दिशा में और किसी प्रयत्न की आवश्यकता हो तो हम उसपर विचार करने के लिये तैयार हैं ।

डा० क० ल० राव : क्या इन डिजाइन कार्यालयों से सम्बद्ध एक विशेष पुनर्गठन एकक होगा जो जल आयोजन, कोयला खनन और कोयले की सप्लाई के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा, जिसके न होन से डिजाइन तैयार करने में सामान्यतया काफी देर लगती है ?

श्री अलगेशन : इन चीजों की ओर ध्यान देने और योजना बनाने के लिये हम ने केन्द्रीय पानी बिजली आयोग में एक विभाग स्थापित कर दिया है ।

श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या सरकार ने अब यह अनुभव कर लिया है कि देश में हमारे वैज्ञानिक और दूसरे विशेषज्ञ ये डिजाइन बनाने और इन परियोजनाओं का आयोजन करने के लिये अधिक उपयुक्त हैं ?

†**श्री अलगेशन** : जहां तक पनबिजली परियोजनाओ का संबंध है मैं सभा को बताना चाहता हूं कि हम विदेशी सलाहकारों पर निर्भर नहीं हैं । केवल उन परियोजनाओं को छोड़कर जिनके लिये हमें विदेशी सहायता मिलती है और सहायता देने वाले देश ऐसे परामर्श पर आग्रह करते हैं, दूसरे मामलों में डिजाइन, आयोजन आदि का काम हमारे आदमी ही करते हैं । केवल तापीय बिजली घरों के सम्बन्ध में ही हम में कमी है । उसके लिये भी हमने एक ऐसा संगटन काम किया है जो आजकल नेवेली में बिजलीघर तैयार करने का काम संभाल रहा है । वह पथराट् और कोरबा में निर्माण कार्य की देखभाल भी करने जा रहा हैं लेकिन हमें उस संगठन को काफी मजबूत बनाना होगा और हमें दूसरी सुविधायें भी बढ़ानी होंगी ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को देखते हुए कि विभिन्न परामर्शदाताओं को की गई अदायगियों के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है, क्या ऐसी कोई प्रणाली कायम करने का सरकार का विचार है जिससे उसे समय समय पर इस तथ्य के बारे में जानकारी मिलती रहे ?

†**श्री अलगेशन** : केवल यह बताया गया है कि वास्तविक अदायगियों के बारे में जानकारी उपलब्धनहीं है लेकिन विदेशी मुद्रा का कुल वायदा बताया गया है ।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि विभिन्न सलाहकारों को वास्तव में कितनी रकम दी गई है ?

†**श्री अलगेशन** : मैं वह जानकारी इकट्ठी करूंगा और तब माननीय सदस्य को दूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के लिए वृहद् योजना

*७२९. **श्री यशपाल सिंह**: क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की वृहद् योजना (मास्टर प्लान) में कोई बडे पैमाने पर मकान बनाने के कार्यक्रम की सिफारिश की गई है;

(ख) यदि हां, तो गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा कितना निर्माण-कार्य किया जाने वाला है और कितना सरकारी क्षेत्र द्वारा; और

(ग) क्या राजधानी में झुग्गियों और झौंपड़ियों में रहने वालों को स्थान देने और उनका पुनर्वास करने के लिये कुछ क्षेत्र निश्चित किये गये हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) १९८१ के अन्त तक कुल ७.४७ लाख मकानों की आवश्यकता होगी। सरकारी क्षेत्र में २.६० लाख मकान बनाने और गैर-सरकारी क्षेत्र में ४.८७ लाख मकान बनाने का विचार है।

(ग) झुग्गी और झौंपड़ी निवासियों के लिये विभिन्न बस्तियों में लगभग २७८० एकड़ भूमि इसके लिये रखी गई है और यह कार्य दिल्ली नगर निगम कर रहा है।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह सच है कि दिल्ली कार्पोरेशन को जो रुपया दिया जाता है, वह उसे यूटिलाइज नहीं कर सकती है और इसलिए आज तक झुग्गी वालों के लिये कोई इन्तजाम नहीं हो सका है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): जी नहीं, यह सही नहीं है, लेकिन झौंपड़ी-झुग्गी स्कीम में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस हुई और वह परिवर्तन किया गया है। पहले ऐसा इरादा था कि यह ज़मीन उनको मिल जायेगी, लेकिन वह इतनी महंगी ज़मीन है कि वे लोग उसको बेचने लगते हैं। उसमें एक तरह की बहुत गड़बड़ शुरू हो गई थी और दो दो, तीन तीन चिट्स लेने की कोशिश हो रही थी। लिहाज़ा गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि उस ज़मीन की ओनरशिप उनको नहीं दी जायेगी और वह स्कीम फिर से विचाराधीन है।

†**श्री यशपाल सिंह** : क्या यह भी सच है कि आज से दस दिन पहले आवास मंत्री जी ने यह माना है कि झौंपड़ी-झुग्गी वालों का मसला अभी अंडर कंसिडरेशन है और अभी उसको हल नहीं कर सके हैं ?

डा० सुशीला नायर : मैंने वही अर्ज़ किया है कि उनका मामला अंडर कंसिडरेशन है, क्योंकि जो स्कीम पहले बनाई गई थी, उसमें कुछ परिवर्तन किये जा रहे हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या वृहत योजना के मुख्य अंग के रूप में आवास योजना की महत्वपूर्ण समस्या के सम्बन्ध में कुछ मास पूर्व प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया था कि दिल्ली की गंदी बस्तियों को जला देना चाहिये। यदि हां, तो क्या सरकार ऐसा सख्त कार्य करना चाहती है अथवा जभी से इसका हल निकाला जा रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : स्वास्थ्य मंत्री ने इस सम्बन्ध में दृष्टिकोण बताया है। उनका सुझाव छोटा है या बड़ा यह न पूछना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह उपाय नर्म है ?

†**डा० सुशीला नायर** : मुझे पता नहीं कि गन्दी बस्तियां को जला देने का कोई उपाय हो सकता है । गन्दी बस्तियों में सुधार के लिये सब प्रस्तावों का यथा संभव दृढ़ता से पालन किया जा रहा है ।

श्री रामसेवक यादस : माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि स्कीम के में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि उसमें किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं और क्या ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती कि वे लोग ज़मीन बेच न सकें और उसी तरह की पुरानी स्कीम चलाई जाय ।

डा० सुशीला नायर : उस में भी बहुत सी दिक्कतें हैं । मिसाल के तौर पर मज़दूर लोग झुग्गियां डाल कर बैठते हैं । आपने उस को दे दिया । कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो गया । दूसरे मज़दूर को वहां पर बैठना है । तो उसका क्या होगा, अगर ओनरशिप दे दिया ? इस तरह की कई कठिनाइयों को देख कर ज़मीन की ओनरशिप न देने का फ़ैसला किया गया है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने यह जानकारी लेली है कि झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले व्यक्तियों अथवा परिवारों की संख्या कितनी है और इन सब को किसी एक स्थान पर बसाया जायगा या दिल्ली के विभिन्न भागों में बसाया जायगा ।

†**डा० सुशीला नायर** : कुछ तो उनकी संख्या वगैरह ली गई थी । फिर कुछ लोगों ने अपने भाई-भतीजों और रिश्तेदारों को भी बुलाना शुरू कर दिया कि दिल्ली में ज़मीन मिल रही है, सब लोग आ जाओ और ज़मीन ले लो । फिर उन लोगों की फोटोग्राफ लेने की तजवीज़ हुई और फोटोग्राफ्स ली जा रही हैं । उसमें यह देखा गया कि तिमारपुर में भी फ़ोटोग्राफ निकलवा लेंगे और दूसरी किसी जगह पर भी फ़ोटोग्राफ निकलवा लेंगे । इस किस्म की दिक्कतें आने लगीं और इन सब बातों को दुरुस्त करने की ज़रूरत महसूस हुई ।

अध्यक्ष महोदय : सवाल तो यह है कि क्या उन लोगों को एक जगह बसाया जायेगा ।

डा० सुशीला नायर : उनको अलग अलग जगह पर बसाया जायेगा ।

†**श्रीमती गायत्री देवी** : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले लोग मकान बनाने का काम करते हैं और इसलिये उनके पास अस्थाई आवास की व्यवस्था होती है, किन्तु वे चाहते हैं कि उनके पास कोई स्थाई जगह होनी चाहिये जहां वे रह सकें चाहे उन्हें काम के लिए कहीं भी जाना पड़े ? उन्हें स्थाई जगह देने के प्रश्न पर कब तक विचार किया जायेगा ?

†**डा० सुशीला नायर** : दिल्ली में अस्थाई काम के लिए आने वाला हर व्यक्ति चाहता है कि उसे यहां बसने के लिये स्थायी जगह मिल जाये । किन्तु मैं समझती हूं कि यहां काफ़ी ज़मीन नहीं है जो सबको दी जा सके ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या उन झुग्गी झौपड़ी वालों को जिन्हें उनकी झौंपड़ियों से निकाल दिया गया है अस्थायी तौर पर रहने के लिए छोटे मकान दिये जा सकते हैं जो सरकार के पास हैं।

डा० सुशीला नायर : पूरी तरह से तो सवाल मेरी समझ में नहीं आया है लेकिन अगर मैं ठीक तरह से समझी हूं तो उसका जवाब यह है कि उन लोगों को उठा कर टेम्प्रेरी केम्पस में रख कर उनके लिये वह ज़मीन वगैरह तैयार करने की तजवीज़ है ताकि वे फिर से आकर रह सकें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्याम लाल सर्राफ**: मेरा निवेदन है कि क्या झुग्गी झौंपड़ी वालों को जिन्हें निकाला गया है वे मकान अस्थायी तौर पर दिये जा सकते हैं जो आवास मंत्रालय के पास हैं ।

†**डा० सुशीला नायर** खेद है कि इसका उत्तर आवास मंत्री दे सकते हैं कि क्या उनके पास इन लोगों को रखने के लिये अस्थायी स्थान है अथवा नहीं ।

†**श्रीमती सरोजिनी महिषी**: क्या दिल्ली की गन्दी बस्तियां दूर करने के लिए शहरी प्रयोगात्मक परियोजनायें आरम्भ की जा चुकी हैं ?

†**डा० सुशीला नायर** : हां, श्रीमान् ।

†**श्री दाजी** : आपकी योजना विचाराधीन रहने तक क्या हम यह समझें कि किसी को भी उसकी जगह से निकाला नहीं जायेगा ।

†**डा० सुशीला नायर**: मैं ऐसा कोई आश्वासन नहीं दे सकती । इस सम्बन्ध में कतिपय नियम हैं जिनके अनुसार उन्हें निकाला अथवा रखा जाता है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : महारानी साहिबा के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया है कि वे अस्थायी हैं । क्या यह सच है कि निर्माण कार्य करने वाले २५,००० से ३०,००० तक मज़दूर हैं जो स्थायी तौर पर दिल्ली में रह रहे हैं । उन्हें मकान बनाने के लिए भूमि देने की क्या व्यवस्था की गई है ?

डा० सुशीला नायर : सच तो यह है कि सारी झुग्गी-झौंपड़ी योजना तैयार कर ली गई है क्योंकि कुछ मज़दूर बहुत वर्षों से दिल्ली में हैं ।

श्री त्यागी : क्या यह सच है कि जो फ्री होल्ड भूमि सहकारी समितियों और सहकारी औद्योगिक बस्तियों के पास थी उन्हें सरकार ने ले लिया है और अब वही भूमि बहुत अधिक मूल्यों पर सहकारी समितियों को दी जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय : यह सर्वथा भिन्न बात है ।

श्री कृ० चं० पन्त : दिल्ली में जमीनों के अत्युच्च मूल्य होने के कारण सरकार क्या अपने आवास कार्यक्रम जो चाहे कितना भी बड़ा हो स्थिति का सामना करने के लिये पर्याप्त समझती है ?

डा० सुशीला नायर : योजना निर्माताओं ने जो हिसाब लगाया है उनके अनुसार ये प्रस्ताव पर्याप्त हैं ।

भारत कृषक समाज

*७३०. **श्री इन्द्रजीतलाल मल्होत्रा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा "भारत कृषक समाज" संगठन को यदि कोई वित्तीय तथा अन्य सहायता दी जा रही है, तो वह क्या है ; और

(ख) क्या इस संगठन की ओर से किसी शिष्टमंडल ने वर्ष १९६१–६२ में अमरीका का दौरा किया ?

मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

१९५९–६० के बाद कृषि विभाग ने भारत कृषक समाज (फार्मरस फोरम आफ इंडिया) को कोई वित्तीय अथवा अन्य सहायता नहीं दी ।

भारत कृषक समाज और फार्मरस एंड वर्ल्ड अफेयर्स यू० एस० ए० ने सम्मिलित रूप में अमरीका के तीन राष्ट्रीय फार्म संगठनों अर्थात फार्म ब्यूरो फेडरेशन, नेशनल फार्मर्स यूनियन और नेशनल ग्रेन्ज और कुछ फार्म सहकारी समितियों के सहयोग से चलाई गई किसानों के अदला बदली की योजना के अन्तर्गत भारत कृषक समाज के १२ सदस्य १९६१–६२ में तीन मास के लिए अमरीका गये थे ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर एक यही इस प्रकार का संगठन है क्या सरकार फार्मरस फोरम द्वारा उसमें उपयुक्त भाग लेने का आश्वासन देती है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : जो उपयुक्त समझा जाता है किया जाता है ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : यह कहा गया है कि १९५९–६० के बाद इस संगठन को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई । इसका क्या कारण है, क्या यह सहायता सरकार ने बन्द कर दी थी या उन्होंने सहायता मांगी ही नहीं ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : वास्तव में १९५९-६० में २ लाख रुपये का एक अनुदान दिया गया था और दूसरा ३ लाख रुपये का अनुदान विश्व कृषि मेला के समय दिया गया था । २ लाख रुपये का पहला अनुदान लौटाया नहीं जाना था किन्तु यदि फार्मर्स फोरम को ५ लाख रुपये से अधिक लाभ हो तो दूसरा अनुदान लौटाया जाना था । वह अनुदान लौटा दिया गया था और उसके बाद संभवतः फार्मर्स फोरम ने सरकार से कोई सहायता नहीं मांगी ।

श्री भागवत झा आजाद : तीन मास के लम्बे प्रवास के बाद कृषक समाज के इन बारह प्रमुख सदस्यों ने कोई रिपोर्ट आज तक सरकार को दे कर अपनी उपयोगिता सिद्ध की है क्या ?

डा० राम सुभग सिंह : १९६०-६१ में जो गये थे, उन की शायद कोई रिपोर्ट नहीं आई है । इस साल भी एक बारह आदमियों का डेलीगेशन गया था । पर अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है ।

†**श्री पु० र० पटेल**: देश में किसानों का यही एक संगठन है । क्या कम से कम गत दो वर्षों में कृषि उत्पादन बढ़ाने और कृषकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार ने इस संगठन का सहयोग प्राप्त किया था ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : यह फोरम प्रतिवर्ष अपनी सभा करता है और कृषि मंत्री अभी हाल तक इस का प्रधान था । संभवतः उन में सहयोग रहा है ।

श्री विभूति मिश्र: क्या यह सही है कि इस फार्मर्स फोरम में बीस बीस और तीस तीस एकड खेत जोतने वाले मेम्बर हैं, बड़े बड़े धनी लोग इस के मैम्बर हैं ? क्या सरकार इस का इंतजाम करेगी कि सारे किसान, जो गरीब भी हैं, वे भी इस में शामिल हों ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० राम सुभग सिंह : मैं चाहूंगा कि माननीय प्रश्नकर्ता उस के विधान को देखें और जानें और उस के मैम्बरशिप को भी एनेलाइज करें । ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने इस को एनेलाइज नहीं किया है ।

†**श्री दाजी** : क्या उन के लिये विदेशी मुद्रा की मंजूरी दी गई थी और यदि हां तो कितनी ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : नहीं वे विनिमय कार्यक्रम में अमरीका जाते हैं और संभवतः उन का सब व्यय अमरीका का संगठन करता है ।

†**श्री प० कुन्हन** : इस संगठन के कुल सदस्य कितने हैं और सामान्य कृषक को इस से कैसे लाभ होता है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)**: यह गैर-सरकारी संगठन है और सरकार को इस की सदस्यता आदि के आंकड़े पता नहीं ।

श्री राम सेवक यादव: ये जो बारह सदस्य यू० एस० ए० गये थे, इन के नाम क्या हैं ? क्या वे शुद्ध खेती करने वाले किसान हैं या उन का किसी राजनीतिक दल से सम्बन्ध है और यदि है तो किस से ?

डा० राम सुभग सिंह : जो पहली बार गये थे, उन के क्या मैं नाम पढ़ दूं ?

अध्यक्ष महोदय: नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है । एक एक नाम पढ़ कर हम कैसे फैसला करेंगे कि कौन किसान है, कौन नहीं है । फिर यह सवाल उठेगा कि एक किसान है या नहीं, दूसरा है या नहीं । क्वश्चन आवर में हम इस को नहीं कर सकते हैं ।

†**श्री त्यागी** : श्रीमान, एक औचित्य प्रश्न है । नियमों में यह भी उपबन्ध है कि आवश्यकता पड़ने पर संसद् सदस्यों से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं । क्या मैं आपकी अनुमति से ऐसा प्रश्न पूछ सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रकार नहीं । उसे लिखित सूचना भेजनी चाहिये ।

†**श्री त्यागी** : यदि सदस्य बिना पूर्व सूचना के उत्तर देने के लिये तैयार हों ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें पूर्वसूचना देनी चाहिये ।

श्री राम सेवक यादव : अगर इन बारह सदस्यों के नाम पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो क्या केवल मात्र इतना बताने की कृपा की जायगी कि उन लोगों का किसी राजनीतिक दल से क्या कोई सम्बन्ध है या नहीं है और अगर है तो किस से ?

†**श्री स० का० पाटिल** : यह एक गैर-सरकारी संगठन है जो किसी और स्थान के संगठन के आमंत्रण पर अपने प्रतिनिधि भेजती है । सरकार इस में कैसे हस्तक्षेप कर सकती है ?

†**श्री दाजी**: यदि आप चाहें तो मैं नाम पढ़ कर सुना सकता हूं यदि अध्यक्ष महोदय अनुमति दें (बाधा) ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति शान्ति । इस प्रकार कैसे काम हो सकता है ?

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : आपको सवाल करने की दो बार इजाजत दे दी गई है । इस के बावजूद भी आप बार बार खड़े हो कर सवाल करना शुरू कर देते हैं ।

श्री राम सेवक यादव : मेरे सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब देने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । माननीय मंत्री महोदय क्यों नहीं बता रहे हैं कि ये जो बारह आदमी बाहर गये हैं, इन का किसी राजनीतिक दल से सम्बन्ध है या नहीं है और यदि है तो किस से है ?

अध्यक्ष महोदय : अगर गवर्नमेंट ने भेजे हों तब वह एक एक को बतला सकते हैं कि किसी का सम्बन्ध है या नहीं, लेकिन अगर चुने प्राइवेट आर्गेनाइज़ेशन ने हैं तो वे ज्यादा जान सकते हैं । उन्हों ने तहकीकात की होगी कि एक एक आदमी का किस से सम्बन्ध है । अगर गवर्नमेंट ने चुने हैं तो जरूर जवाब दिया जाय । गवर्नमेंट ने तो नहीं चुने ?

†**श्री स० का० पाटिल :** सरकार ने नहीं चुना है ।

अध्यक्ष महोदय : तो फिर वह कैसे बतला सकते हैं ?

परिवार नियोजन

*७३१. **श्री सुबोध हंसदा :**
डा० रा० बनर्जी :
डा० पू० ना० खां :
डा० शि० कु० साहा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता चला है कि प्रेजिडेंसी कालिज, कलकत्ता के फिजियोलाजी विभाग के अध्यक्ष ने भारतीय पौधों से एक खाई जाने वाली गर्भ-निरोधक औषधि बनाई है ;

(ख) क्या सरकार की जानकारी में यह बात भी आई है कि इस के विकास के लिये अनुसंधान की आवश्यकता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार कालिज के विभागाध्यक्ष द्वारा किये गये अनुसंधान कार्य के लिये धन देगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) :** (क) तथा (ख). नहीं श्रीमान्।

(ग) ब्योरा मिलने पर जिस की प्रतीक्षा की जा रही है वित्तीय सहायता के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** कितने मामलों में इस की परीक्षा की गई है और कितने मामलों में यह सफल हुआ है ?

†**डा० द० स० राजू :** हमारे पास कुछ जानकारी है । ६० स्वेच्छा से प्रस्तुत स्त्रियों पर प्रयोग किया गया था । उन के बच्चे बहुत हुआ करते थे । उन पर प्रयोग का परिणाम संतोषजनक रहा है और इस औषधि की एक मात्रा के प्रयोग से एक वर्ष तक गर्भाधान नहीं हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री सुबोध हंसदा : क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व किसी व्यक्ति ने देसी जड़ी बूटियों से एक संतति निरोधक औषधि ढूंढी थी और वह भारत सरकार को अनुसन्धान तथा विकास के लिये भेजी गई थी ?

डा० द० स० राजू : मुझे ऐसे किसी व्यक्ति का पता नहीं । प्रयोग के लिये कई उपचार मिलते रहते हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : जब माननीय मंत्री कलकत्ता में थीं तो वे इस विशेष संस्था को देखने के लिये गई थीं । मैं जानना चाहती हूं कि उस प्रयोग में निष्कर्ष तक पहुंचने में कहां तक प्रगति हुई है जिस के बाद उस का निर्माण हो सके ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : संतति निरोध उपकरणों की खोज में बहुत से लोग लगे हुए हैं । समय समय पर हमें समाचार मिलते रहते हैं कि किसी ने कोई प्रभावपूर्ण चीज़ खोज की है । उस चीज़ को पहले ले कर पशुओं पर प्रयोग किया जाता है । फिर उस में विषैलापन नहीं होता तो उसे मनुष्यों पर भी प्रयोग किया जाता है । इस औषधि के प्रयोग के लिये संतति उपजाने के योग्य और स्वस्थ १५ चूहों के जोड़े जांच के लिये चुने गये थे और उन पर प्रयोग किया गया था । हम इस में आगे अन्य ढंग से प्रयोग द्वारा यह जानना चाहते हैं कि उस में विषैलापन तो नहीं है । उस के बाद मनुष्यों पर इसे प्रयोग किया जायेगा ।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान समाचारपत्रों के इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि आविष्कारकर्ता ने यह दावा किया है कि इस औषधि के परिणाम अत्यधिक सन्तोषजनक हैं, मनुष्यों और पशुओं पर प्रयोग द्वारा पता लगा है कि इस का कोई विषैला प्रभाव नहीं होता और उसे केवल २०,००० रुपये और चाहियें ताकि औषधि के विभिन्न प्रभावों के बारे में और अनुसंधान कर सके ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य की कठिनाई यह है कि वह सदा अपेक्षित जानकारी से अधिक जानकारी स्वयं दे देते हैं ।

डा० सुशीला नायर : मैं स्थिति को स्पष्ट करना चाहती हूं । इन दावों के आधार पर हम इस औषधि की जांच कर रहे हैं । जहां तक वित्तीय सहायता का सम्बन्ध है उपमंत्री ने पहले ही बता दिया है कि हम ने कुछ ब्योरा मांगा है और उस के मिलने पर हम निश्चय ही वित्तीय सहायता देंगे ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या परिवार नियोजन महात्मा गांधी के सिद्धान्तों के अनुसार है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो बहुत जटिल प्रश्न है (**बाधा**) ।

श्री हरि विष्णु कामत : माननीय मंत्री का महात्मा गांधी से घनिष्ट सम्बन्ध रहा है । वे उन की सेवा करती रही हैं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य उन से बाहर मिल कर पूछ सकते हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : वे सभा में उत्तर दें । उन्होंने महात्मा गांधी की खूब सेवा की है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : इसीलिये मैं ने उन्हें बाहर मिल कर पूछने के लिये कहा है ।

श्री हरि विष्णु कामत : अन्दर क्या हर्ज है ?

श्री जगदेव सिद्धान्ती: क्या मंत्री महोदया यह बतलाने की कृपा करेंगी कि मद्रास में अभी कुछ समय पहल उन्होंने यह भाषण दिया था कि यह विचार किया जा रहा है कि भ्रूण हत्या को अपराध न माना जाय क्या यह सत्य है ?

डा० सुशीला नायर : जी नहीं मैं ने एसा नहीं कहा मैं ने यह कहा था कि जिन देशों में भ्रूण हत्या का प्रयोग इस्तेमाल किया जाता था वे भी इस तरीके को छोड़ रहे हैं तब हमारे यहां तो इस तरीक को अख्त्यार करने का सवाल ही नहीं उठता ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि अगर आज से ७० साल पहले अंग्रेज़ों के दिल में यह फैमिली प्लैनिंग होती तो इन सुन्दर मिनिस्टरों में से एक भी यहां नजर नहीं आता ?

अध्यक्ष महोदय : यह सुन्दर मिनिस्टर तो न होते मगर ठाकुर साहब तो यहां मौजूद रहते ।

श्री प० कुन्हन : क्या यह सच है कि किसी साम्प्रदायिक संगठन के परिवार नियोजन योजना के विरुद्ध संकल्प पारित किया है ?

डा० सुशीला नायर : संविधान में परिवार नियोजन के विरुद्ध कुछ नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय: उनका प्रश्न यह नहीं वे तो पूछ रहे हैं कि क्या किसी राजनैतिक या सामुदायिक संगठन ने इस के विरुद्ध कोई संकल्प पारित किया है ?

डा० सुशीला नायर : यह सर्व विदित है कि केथोलिक परिवार नियोजन के विरुद्ध हैं ।

चीनी का निर्यात

*७३२. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योरीपीय साझा बाजार के किसी देश ने इस वर्ष भारतीय चीनी आयात करना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इन देशों द्वारा कितनी मात्रा खरीदे जाने की आशा है और किस मूल्य पर; और

(ग) क्या पूर्व योरोपीय देशों को भी चीनी के निर्यात की संभावना है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के सभा-सचिव (श्री शिंदे) :** (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) नहीं श्रीमान्

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या सरकार की पूर्वी यूरोप के देशों को चीनी भेज कर उसके बदले वस्तुएं मंगाने की संभावना की जांच करने की योजना है ताकि चीनी के निर्यात में हानि न हो ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० क० पाटिल):** पूर्वी यूरोप के देश चीनी के सम्बन्ध आत्म-निर्भर हैं । वे तो वास्तव में चीनी का निर्यात करते हैं यद्यपि स्वयं कच्ची चीनी आयात करत हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जब तक हम काफी चीनी का काफी मात्रा में उत्पादन आरम्भ नहीं करते तब तक विनिमय का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री हेम बरुआ :** इसे ध्यान में रखते हुए कि जनेवा के संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन चीनी के निर्यात के सम्बन्ध में कोई करार नहीं कर सका और क्योंकि हमारे पास अतिरिक्त चीनी है तो सरकार ने संसार के विभिन्न भागों में चीनी के निर्यात का प्रयत्न क्यों नहीं किया ?

†**श्री स० का० पाटिल :** सरकार संसार के सभी भागों में प्रयत्न करती रही है और हमारे अन्तिम करारों में से कुछ इसी प्रकार के हैं । अतः हम जहां भी बाजार मिले वहीं चीनी बेच सकते हैं ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** यदि यूरोपीय साझा बाज़ार द्वारा देशों का परस्पर सम्बन्ध हो गया तो क्या हमारे चीनी के निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्री स० क० पाटिल :** ऐसा नहीं होगा । राष्ट्रमंडल का बाजार हमारी चीनी के लिए नहीं था अतः चीनी के निर्यात पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

श्री विभूति मिश्र: अभी मंत्री जी ने बतलाया कि इन देशों में रा शुगर की जरूरत है । जब रा शुगर की जरूरत है तो क्या सरकार ऐसी योजना बना रही है कि हमारे कारखानों में रा शुगर बने ?

†**श्री स० का० पाटिल :** हमारे पास है और हम अगले वर्ष कुछ कच्ची चीनी का निर्यात करेंगे और कुछ मिलें कच्ची चीनी का उत्पादन आरम्भ कर देंगी क्योंकि यदि चीनी का निर्यात स्थायी रूप से किया जाना है तो कच्ची चीनी का ही करना होगा ।

†**श्री काशीनाथ पांडे :** क्या यह सच है कि कुछ देशों को दानेदार चीनी विनिमय के आधार पर भेजी जाती है और यदि हां तो वे देश कौन से हैं और किन वस्तुओं का निर्यात होता है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** मेरे पास यहां सारा विवरण नहीं है। हम कनाडा और जापान के साथ विनिमय करते हैं । मेरे पास सूची नहीं है कि हम कनाडा के साथ किन किन चीज़ों का विनिमय करते हैं किन्तु ऐसी कई चीज़ें हैं ।

बीज प्ररीक्षण प्रयोगशालाएं

+

†*७३४. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री राम हरख यादव :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार देश के प्रत्येक राज्य में बीज परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां तो योजना का क्या ब्योरा है तथा उपरोक्त प्रयोगशालाएं अनुमानतः कब तक स्थापित कर दी जायेंगी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उपरोक्त प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा प्रबन्ध में संबंधित राज्यों का क्या हाथ होगा ;

(घ) क्या इस कार्य के लिये अमरीका से कुछ उपकरण मंगाये गये हैं ;

(ङ) यदि हां तो कितने ; और

(च) शेष उपकरणों को मंगाने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय म राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) हां श्रीमान् :

(ख) अब तक चार बीज जांच प्रयोगशालाएं अर्थात् आंध्र प्रदेश बिहार, पंजाब, में एक एक तथा एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था नई दिल्ली स्थापित की जा चुकी है। १९६२ में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चार और प्रयोगशालाएं स्थापित की जायेंगी। यदि प्रयोगशालाओं के लिए उपकरण उपलब्ध हुए तो १९६४ तक प्रत्येक राज्य में एक एक प्रयोगशाला हो जायेगी।

(ग) प्रत्येक राज्य को इन प्रयोगशालाओं के लिए भवन, कर्मचारी और आवर्तक खर्च देना होता है ।

(घ) और (ङ). हां श्रीमान्। चार प्रयोगशालाओं के लिए उपकरण प्राप्त किये जा चुके हैं और अन्तर्राष्ट्रीय विकास के संयुक्त राज्य अभिकरण द्वारा चार और प्रयोगशालाओं के लिए आदेश दिये गये हैं ।

(च) शेष प्रयोगशालाओं के लिए उपरकण प्राप्त करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास के संयुक्त राज्य अभिकरण द्वारा प्रयत्न किये जा रहे हैं।

†**श्री नि० रं० लास्कर** : प्रत्येक प्रयोगशाला पर कितना व्यय हुआ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : वास्तव में वे हाल ही में स्थापित किये गये थे मैं। बाद में जानकारी दूंगा ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ के कारण फसलों की स्थिति

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८. श्री बाल कृष्ण सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पूर्वी उत्तर प्रदेश का दौरा किया था और भारी बाढ़ के कारण फसलों की गंभीर स्थिति का अध्ययन किया था ;

(ख) क्या इन समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई योजना बनाई जा रही है ; और

(ग) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) कृषि मंत्री ने २६ और २७ जुलाई १९६२ को दिलदार नगर ज़िला गाज़ीपुर, वाराणसी और जौनपुर का दौरा किया ।

सिंचाई मंत्री ने २७ अगस्त १९६२ को पहले ही उत्तर प्रदेश की बाढ़-स्थिति के सम्बन्ध में एक विवरण सभा की पटल पर रख दिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग): इस स्थिति पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार द्वारा योजनाएं बनाई गई हैं फिर भी केन्द्रीय सरकार एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार राज्य सरकार को आर्थिक सहायता देती है ।

श्री बालकृष्ण सिंह : क्या कृषि मंत्रालय ने ऐसे धान के बारे में अनुसंधान कराया है जो बाढ़ प्रूफ हो यानी जो बाढ़ के पानी को बरदाश्त कर सके ?

डा० राम सुभग सिंह : इसके बारे में हम छान बीन करा रहे हैं और शीघ्र ही ऐसे पौधे को पूर्वी उत्तर प्रदेश के धान पैदा करने वाले क्षेत्रों में शुरू कराने की योजना है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम**: अभी माननीय मंत्री ने बताया है कि राज्य सरकारों को अनुदान दिये जायेंगे जोकि इन क्षेत्रों को निश्चित ढंग में सहायता देने के लिए योजनाएं तैयार कर रही हैं । ऐसी विपत्तियां पैदा होती हैं तब क्या केन्द्रीय सरकार अतिरिक्त सहायता देने के लिए तैयार होगी ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : हां, श्रीमान् । सहायता दी जायेगी । किन्तु उत्तर प्रदेश सरकार के पास लगभग ५० लाख रुपया है । उन्होंने लगभग ५१ लाख रुपया व्यय किया है । जब वे सहायता मांगेंगे तो अनुदान दिया जायेगा ।

श्री रघुनाथ सिंह : पूर्वी यू० पी० से सनई का चार करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट होता था जो कि दो करोड़ का रह गया है । क्या इसकी उन्नति और विकास के वास्ते सरकार कोई कदम उठा रही है ?

डा० राम सुभग सिंह: यह तो उस इलाके की प्रमुख फसल है । उसके विकास के लिए अभी रेटिंग का काम नहीं हुआ है । उसकी व्यवस्था पर हम लोग जोर दे रहे हैं और बीज को भी अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, अभी माननीय कृषि मंत्री महोदय ने कहा कि वह पूर्वी उत्तर प्रदेश के दौरे पर गये । मैं जानना चाहता हूं कि वहां से आने के पश्चात् उन्होंने क्या योजना आयोग को कोई सिफारिश की है कि जिससे उस इलाके के विकास के लिए कदम उठाया जा सके ?

डा० राम सुभग सिंह : पूर्वी उत्तर प्रदेश में १५ जिले शामिल हैं । उन में से इलाहाबाद में तो हम कपास की खेती के लिए पैकेज प्रोग्राम जारी करेंगे, और जैसा कि आपने सुना, सनई की खेती बढ़ाने के लिए बनारस, जौनपुर वगैरह में रेटिंग की सुविधा बढ़ाने की बात है । और शुगरकेन पैदा करने वाला जो पूर्वी यू० पी० का इलाका है उसमें सड़कें आदि बनाने पर कोई डेढ़ करोड़ रुपया खर्च किया जायेगा । उस इलाके के विकास की कुल योजना करीब साढ़े २४ करोड़ की है और यह रुपया तीन चार साल में खर्च किया जायेगा ।

श्री राम सेवक यादव : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब वह पूर्वी उत्तर प्रदेश के दौरे पर गये थे तो राज्य सरकार के मंत्रियों से मिल कर इस बात पर कोई विचार किया था कि बाढ़ को कैसे रोका जाये ?

डा० राम सुभग सिंह : जिस वक्त मैं गया था उस वक्त बाढ़ नहीं थी । मैं २७-२८ जुलाई को गया था । इसलिए बाढ़ पर विचार नहीं हुआ, केवल जनरल विकास पर ही विचार हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री ज० ब० सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जब वह पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों का दौरा करने गये तो उनके लिए किस किस विकास पर उन्होंने गौर किया। वह कहते हैं कि बाढ़ पर हमने गौर नहीं किया जबकि वहां की बाढ़ एक परमानेंट फीचर है, और आज भी माननीय मंत्री जी जान रहे हैं कि वे जिले डूब रहे हैं और जब तक बाढ़ की रोकथाम नहीं की जायेगी वहां का विकास कैसे हो सकता है यह मैं जानना चाहता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : आप जानना तो कुछ नहीं चाहते, आप तो तकरीर कर रहे हैं।

†**श्री ज० ब० सिंह** : मंत्री जी का बयान कंट्राडिक्टरी है। विकास कैसे हो सकता है जब तक कि बाढ़ की रोकथाम न हो।

मैं जानना चाहता हूं कि आजमगढ़ या बलिया और गाजीपुर जिलों के बारे में विकास के लिए उन्होंने कौनसा ठोस कदम उठवाया है ?

अध्यक्ष महोदय : एक एक जिले के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कदम नहीं उठाती, यह काम तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : पूर्वी उत्तर प्रदेश के रक्षित क्षेत्रों के सम्बन्ध में अशोक मेहता समिति की सिफारिशों का क्या हुआ है ? मुख्य मंत्री द्वारा बताये गये नये कदम और सरकार द्वारा अपनाये गये साधन क्या अशोक मेहता समिति की सिफारिशों के अनुरूप हैं ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : वास्तव में मेरा जो कदम उठाने का प्रस्ताव है वे सब सिफारिशों के अनुरूप नहीं हैं। किन्तु व्यवहार रूप में मैं अशोक मेहता समिति की सिफारिशों के अनुरूप काम करता हूं। बाढ़ों का विषय सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधीन है। उस दिशा में भी कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री काशीनाथ पांडे : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर और देवरिया में जो बाढ़ आयी थी और जिससे लाखों एकड़ की फ़सल बरबाद हो गयी इसका जिम्मा उस बांध पर है जो नेपाल में अभी तक नहीं बनाया गया, यह सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है या स्टेट गवर्नमेंट का ?

डा० राम सुभग सिंह : इस मामले पर इर्रीगेशन मंत्रालय विचार कर रहा है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सड़क परिवहन

†*७३३. **श्री रा० बरुआ** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में वाणिज्यिक मोटर गाड़ियों की अनुमानित आवश्यकता कितनी है;

(ख) क्या देश की आवश्यकताओं में कोई कमी आ गई है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो कमी को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) भारत में सड़क परिवहन की रोजगार क्षमता क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अनुसार वाणिज्यिक गाड़ियों के उत्पादन का लक्ष्य योजना के अन्तिम वर्ष में अर्थात् १९६५–६६ में अनुमित आवश्यकताओं के आधार पर ४५,००० ट्रक और १५,००० बसें हैं ।

(ख) अभी तक कोई कमी नहीं । यदि यातायात अवरोध को दूर करने के लिए सड़क परिवहन क्षमता को बढ़ाना आवश्यक समझा गया तो इस मामले पर पुनः विचार किया जायेगा ।

(ग) गाड़ियों में इस समय आम कमी नहीं है । किन्तु यदि अधिक भार वाली अर्थात् २० टन वाली गाड़ियां प्रयोग की जा सकती हैं तो परिवहन व्यय कम किया जा सकता है । ऐसी गाड़ियां चलने से पहले सड़कों का स्तर भी ऊंचा करना होगा ।

(घ) सड़क परिवहन में रोजगार की क्षमता के निश्चित आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं । राष्ट्रीय व्यावहारिक अर्थ अनुसंधान परिषद् द्वारा १९५७–५८ में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार इस उद्योग में लगे हुए सब लोगों की संख्या लगभग २४ लाख थी ।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड

†*७३५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड ने हाल में ही नया मालवाही जहाज (विश्वमंगल) बनाया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी लागत पर; और

(ग) इस जहाज की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) मालवाही जहाज "विश्व मंगल", जिस का आर्डर भारत के नौवहन निगम समिति द्वारा किया गया था, अभी हिन्दुस्तान जहाज निर्माण कारखाना में बनाया जा रहा है । इस जहाज के पूर्ण हो जाने और मई १९६८ में दिये जाने की अपेक्षा की जाती है । जहाज १७ अगस्त, १९६२ को बनाना आरम्भ किया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जहाज की यथार्थ लागत १९६३ के अन्त तक तैं होने की आशा की जाती है जब गारंटी की अवधि समाप्त होगी । अनुमानित लागत लगभग १९० लाख रुपये है ।

(ग) जहाज परिवर्तननीय खुला/बन्द शैल्टर डैकर किस्म का है, लगभग १,२३,००० डैड वैट टन भार का मालवाही जहाज है जिसकी गति १७.२ नाट है । उसकी ५,००० घन फुट ठंडी की हुई मालवाही क्षमता है और उसमें खाये जाने वाले तेलों को ले जाने के लिये गहरे टैंक हैं। सभी घरेलू सेवाओं एवं डैक तथा अन्य सहायक सेवाओं के लिये ए० सी०, और आधुनिक ढंग के बिजली के सामान लगे हुए हैं ।

मूंगफली के खाने योग्य आटे का उत्पादन

†*७३६. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र बाल आपात निधि (यनीसैफ) की सहायता से मूंगफली के खाने योग्य आटे का उत्पादन शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो बहु प्रयोजनीय खाद्य पदार्थ तैयार करने तथा आटे को पौष्टिक बनाने के लिये इसके कितने भाग का प्रयोग किया जा रहा है;

(ग) क्या स्कूल के बच्चों के भोजन के लिये प्रयोग में लाये जाने वाले बहु प्रयोजनीय खाद्य के प्रभाव का परीक्षण कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो बच्चों पर क्या प्रभाव हुआ है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी नहीं । बंबई में संयंत्र को प्रयोग के तौर पर चलाने का प्रबंध प्रगति पर है ।

(ख) यह भिन्न २ साधनों से मांग के स्वरूप पर निभर करेगा, किंतु प्रारंभिक स्तर में यह ५० प्रतिशत के आधार पर होगा ।

(ग) जी हां ।

(घ) प्राप्त सूचनाओं से पता चलता है कि कद, भार, लाल रक्त तत्व और हैमोग्लेविन की दृष्टि से बच्चों के स्वास्थ्य में वृद्धि होने के कारण सामान्य तौर पर सुधार हुआ है ।

भारतीय इंजनों का निर्यात

*७३७. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **रेलवे** मंत्री २१ अप्रैल १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ४८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी बाजारों में भारतीय इंजनों के निर्यात में कहां तक सफलता मिली है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : अभी तक सफलता नहीं मिली है, फिर भी इसके लिए कोशिश जारी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राम गंगा नदी

*७३८. **श्री भक्त दर्शन** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री २५ अप्रैल, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामगंगा नदी की सिंचाई और बिजली परियोजना के निर्माण में इस बीच और क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) रामगंगा कण्ट्रोल बोर्ड और 'बोर्ड आफ कनसलटेंट्स' की नियुक्ति करने के लिये कौन से कदम उठाये गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा पटल पर रखा है ।

विवरण

(क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई, जून, १९६२ के अन्त तक रामगंगा नदी परियोजना के विविध प्रावस्थाओं पर हुई प्रगति की सूचना निम्नलिखित है :—

(१) शेरकोट के नजदीक रामगंगा पुल	. काम पूरा हो गया है
(२) छेदन कार्य . . .	. ८० प्रतिशत काम पूरा हो गया है
(३) कालागढ़ पर सर्वेक्षण .	. ९५ प्रतिशत वही
(४) भूविज्ञान अनुसन्धान . .	. ४५ प्रतिशत वही
(५) पाइलट सुरंग . .	. ४० प्रतिशत वही
(६) असेस रोडज़ . .	. २० प्रतिशत वही
(७) कन्सट्रक्शन कैंप के लिये अस्थाई मकान	. १८८ मकानों का निर्माण कार्य प्रगति कर रहा है ।
(८) अपवर्तन सुरंगे .	. आयात होने वाले सामान के आ जाने पर कार्य शुरू किया जायेगा ।
(९) भूमि की प्राप्ति .	. जंगल की भूमि, जिस की कि वर्तमान अवस्था के कार्य के लिये आवश्यकता है, अधिकार में ले ली गई है ।
(१०) नालियों के ढांचे को बदलना तथा उनका विस्तार	फतहपुर और अलाहाबाद जिलों में 'खाकी' क्षेत्रों का सर्वेक्षण पूरा हो गया है । फारूखाबाद ब्रांच, कानपुर ब्रांच, गंगसी सहायक नदी, पश्चिम अलाहाबाद ब्रांच तथा गांव सड़क पुलों के ढांचे को बदलने के कार्य प्रगति कर रहे हैं । अगराला और गारही माइनर्स का निर्माण कार्य भी प्रगति कर रहा है ।

(ख) हाल ही में परियोजना के लिए एक नियन्त्रण बोर्ड तथा एक परामर्शदाताओं का बोर्ड स्थापित कर दिये हैं। नियन्त्रण बोर्ड की प्रथम मिटिंग ११-८-६२ को लखनऊ में हुई थी।

रूप नारायण पुल

†*७३९. **डा० रा० बनर्जी :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजपथ संख्या ६ पर रूप नारायण पुल का निर्माण निर्धारित कार्यक्रम से बहुत पीछे है ; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). काम फरवरी १९६२ में आरंभ किया गया था और सितम्बर १९६४ तक पूरा होना है । इसके अनुसूची से पीछे रह जाने का अभी प्रश्न पैदा नहीं होता।

अमरीका से गेहूं का आयात

†*७४०. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पी० एल० ४८० के अधीन अमरीका से गेहूं का आयात कम करने का प्रयत्न कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अमरीका सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) पी० एल० ४८० के अधीन कितना गेहूं आयात हो चुका है और कितना अभी आयात किया जाना शेष है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

(ग) ४ मई १९६० के पी० एल० ४८० करार में धन की व्यवस्था है, जिससे जून १९६४ में समाप्त होने वाले चार वर्षों की अवधि में लगभग १६० लाख टन गेहूं खरीदने के लिये धन दिये जाने की अपेक्षा की जाती थी। जुलाई १९६२ की समाप्ति तक भारत को लगभग ४५ लाख टन गेहूं भेजी गई है ।

पंजाब में विमान सेवायें

†*७४१. **श्री विभूति मिश्र :**
महाराज कुमार विजय आनन्द :
श्री यु० द० सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब राज्य सरकार ने राज्याभ्यंतर विमान सेवा चालू करके कुछ नगरों को मिलाने की योजना बनाई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उसने इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के फालतू डकोटा विमान मांगे हैं ;

(ग) यदि हां, तो इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या किसी अन्य राज्य सरकार ने ऐसी योजना बनाने का इरादा किया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) . पंजाब सरकार ने अपने हैरन या डकोटाओं के बारे में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन से पूछताछ की है । इंडियन एयरलाइन्स के पास तुरन्त बिक्री के लिये कोई फालतू डकोटा नहीं । हैरनों को बेचने के प्रश्न पर बातचीत की जा रही है ।

(घ) जहां तक केन्द्रीय सरकार को पता है, किसी दूसरी राज्य सरकार ने ऐसी योजना नहीं बनाई है ।

खुदागंज स्टेशन पर डकैती

*७४२. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा क रगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३ और ४ अगस्त, १९६२ की मध्य रात्रि को पूर्वोत्तर रेलवे के फतेहगढ़-कानपुर क्षेत्र के खुदागंज स्टेशन पर लगभग दस सशस्त्र डकतों ने आक्रमण किया था और वे हजारों रुपये की सम्पत्ति और नकदी लूट कर चम्पत हो गये ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस घटना का ब्यौरा बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) उन डकैतों को गिरफ्तार कराने में और उन्हें दंड दिलाने तथा लूटी हुई सम्पत्ति और नकदी को पुनः प्राप्त करने में कहां तक सफलता मिली है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) . जी, हां । ३ और ४ अगस्त, १९६२ के बीच की रात में लगभग १२ बजकर ३० मिनट पर १० हथियार-बन्द डाकुओं के एक गिरोह ने खुदागंज स्टेशन पर धावा बोल दिया और उस समय जो सहायक स्टेशन मास्टर प्वाइंट्समैन ड्यूटी पर थे, उनको काबू में कर लिया । डाकुओं ने सहायक स्टेशन मास्टर से स्टेशन की चाबियां छीनकर स्टेशन की आमदनी और दूसरी सम्पत्ति को लूट लिया । उन्होंने कुल १५८७ रु० ७८ नये पैसे की रकम लूटी, जिसमें से ७० रु० और ९० नये पैसे रेलवे की नकद रकम और बाकी ५१६ रु० और ८८ नये पैसे कर्मचारियों की निजी रकम थी ।

(ग) पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब तक ३ आदमियों को गिरफ्तार भी कर लिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान में क्षय रोग के चिकित्सालय

२०७४. **श्री तर्नसिंह :** क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इस समय क्षय रोग के कितने चिकित्सालय हैं और वें कहां-कहां स्थित हैं ;

(ख) इनमें से प्रत्येक चिकित्सालय में कितने रोगियों के रहने की व्यवस्था है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इन में से प्रत्येक चिकिसालय के लिये अब तक कितनी धनराशि अनुदान के रूप में दी है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख). अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :—

क्रम संख्या	अस्पताल/आरोग्याश्रम का नाम	बिस्तरों की संख्या
१.	एस० आर० बी० आरोग्य सदन, बारी, उदयपुर	२००
२.	टी० बी० अस्पताल, भरतपुर . .	२०
३.	जी० जी० जे०, टी० बी० अस्पताल, बीकानेर	१२४
४.	के० जी० बी०, टी० बी० आरोग्याश्रम, जयपुर	२२४
५.	मदार यूनियन आरोग्याश्रम, अजमेर	३५०

(ग) केन्द्रीय सहायता अस्पताल-वार नहीं दी जाती । अत: प्रत्येक अस्पताल के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । तथापि, जहां तक मदार यूनियन आरोग्याश्रम, अजमेर का सम्बन्ध है, इस संस्था को गत १२ वर्षों में लगभग १,७४,४०० रुपये के कुल अनुदान दिये गये ।

अगरतला-बेलोनी रोड, अगरतल के ऊपर पुल का निर्माण

†२०७५. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के अगरतल्ला-वलोनिया सड़क पर से गुजरने वाली नदियों के ऊपर पुल बनाने की कोई प्रस्थापना है ; और

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों पर य पुल बनाए जायेंग तथा कितनी अवधि में इनके पूर्ण हो जाने की आशा की जाती है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) जी, हां ।

(ख) बिसालगढ़ के समीप कुरीया नदो के ऊपर पुल १९६३–६४ में पूरा होने वाला है और उदयपुर के समीप गुमटी के ऊपर १९६४–६५ में पूरा होने वाला है । बलोनिया के समीप मुहुरी नदी के ऊपर पुल को १९६५–६६ में आरम्भ करने का विचार है और वह चौथी पंचवर्षीय योजना में पूरा होगा ।

उड़ीसा में तीसरा मेडिकल कालेज

†२०७६. **श्री उलाका :** क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में तीसरे मेडिकल कालेज की स्थापना के लिये केन्द्र से कोई सहायता मांगी है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां तो केन्द्रीय सरकार द्वारा किस रूप में सहायता दी गई है या देने का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख). जी, हां। मेडीकल कालेजों की स्थापना/विस्तार की योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना में केन्द्र को सहायता प्राप्त योजनाओं में शामिल की गई है। शोधित प्रक्रिया के अन्तर्गत, केन्द्रीय सहायता योजनाओं के विशेष वर्गों या श्रेणियों के लिये दी जाती है न कि किसी अकेली योजना के लिये इस रूप में। यह सब राज्य योजना की योजनाओं और केन्द्र द्वारा चलाई गई सब योजनाओं के लिय राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा बताये गय व्यय के आंकड़ों के आधार पर दी जाती है, और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक वर्ग के लिये वित्त मन्त्रालय द्वारा किये गये आवंटन था योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परिव्यय के अनुसार। एसी अवस्था में एक एक योजना के लिये केन्द्रीय सहायता देने का सवाल नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश में रामपुर पर सतलुज के ऊपर पुल

†२०७७. **श्री वीरभद्र सिंह :**
श्री ललित सेन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि हिमाचल प्रदेश में रामपुर पर सतलुज नदी के ऊपर पुल की मरम्मत की तत्काल आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी मरम्मत करने के लिये कोई कार्रवाई की गई है या करने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) रामपुर का स्पेंशर पुल जो खच्चरों के यातायात की आवश्यकता को पूरा करता है, हिमाचल प्रदेश प्रशासन के नियन्त्रणाधीन है। उस प्रशासन ने बताया है कि पुल को किसी बड़ी मरम्मत की जरूरत नहीं है। तथापि कुछ छोटी मरम्मतें करनी हैं, अर्थात् कुछ तखतों को बदलना और रस्सों को बांधना।

(ख) आवश्यक मरम्मतें, जिन पर ५००० रुपये लागत आने का अनुमान है, हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने हाथ में ली हैं, और लगभग तीन महीनों में उनके पूर्ण हो जाने की आशा की जाती है।

नारियल के वृक्षों का पुनारोपण

†२०७८. **श्री नल्लाकोया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवीन वृक्षारोपण आरम्भ करने के लिये नारियल के वृक्षों का पुनारोपण करने के लिय ऋण देने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दक्षिण पूर्व रेलवे के स्टेशनों पर लोहा और मैंगनीज अयस्क के लिये वैगनों की मांग

†२०७९. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ और १९६२–६३ में अब तक दक्षिण-पूर्व रेलवे के बानसपानी स्टेशन पर लोहा और मैंगनीज अयस्क के लिए कितने इंडेंट मना किये गये थे ;

(ख) बानसपानी और बाराजमादा के अन्य सैक्शनों पर प्रति दिन कितने इंडेंट प्राप्त होते हैं ; और

(ग) बाराजामदा स्टेशन को १९६१–६२ तथा १९६२–६३ में अब'तक इस्पात मिल सम्भरण के लिये कितने वैगन नियत किये गये ; और तत्समान अवधि में बानसपानी स्टेशन को कितने वैगन दिये गये तथा उस अन्तर के कारण क्या हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) किसी इंडेंट को मना नहीं किया जाता ।

(ख) इस अवधि में बानसपानी और बाराजामदा में दिये गये दैनिक औसत इंडेंट इस प्रकार हैं :

१९६१–६२	३८६
१९६२–६३ (२० अगस्त तक)	३३७

(ग) बाराजामदा और बानसपानी स्टेशनों पर दिये गये और भरे गये वैगनों की संख्या में, इस्पात और लोहा नियन्त्रक द्वारा, इस्पात संयन्त्रों और रेलवे के परामर्श के साथ बनाये गये कार्यक्रम के अनुसार अन्तर है। बराजामदा और बानसपानी स्टेशनों को इस अवधि के अन्दर इस्पात मिल सम्भरण के लिये इस प्रकार वैगन नियत किय गये हैं :—

	बाराजामदा	बानसपानी
१९६१–६२	५२,१०३	५१,१४५
१९६२–६३ (२० अगस्त तक) . .	१६,२०५	१९,५३३

कोयना परियोजना

†२०८०. **श्री सोनावाने** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयना परियोजना से तीसरी योजना अवधि में महाराष्ट्र राज्य के शोलापुर जिले के ग्राम्य एवं नगरीय क्षेत्रों को बिजली दी जाएगी ।

(ख) क्या कोयना परियोजना से बिजली का सम्भरण प्रक्रियानुसार होगा ; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त स्थानों को बिजली कब तक दे दी जाएगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग) सूचना महाराष्ट्र सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उड़ीसा में सड़कों और पुलों का निर्माण

†२०८१. **श्री उलाका** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने १९५८ से १९६२ तक की अवधि में उड़ीसा में पुलों और सड़कों के निर्माण के लिए कितनी राशि मंजूर की है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उड़ीसा सरकार ने उपरोक्त अवधि में राज्य में संचार साधनों को उन्नत करने के लिए कितनी राशि मांगी है ; और

(ग) उड़ीसा सरकार की प्रार्थना पर कितनी राशि नियत की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

राष्ट्रीय राजपथ	१९५८ से १९६२ तक अवधि में मंत्रालय द्वारा मंजूर की गई योजनाओं की लागत	राज्य सरकार द्वारा मांगी गई राशि	मंत्रालय द्वारा किया गया अन्तिम आवंटन
		(लाख रुपयों में)	
	३२३.९७	२०२.५०	२०२.४०
आर्थिक या अन्तर्राज्य महत्व वाली राज्य सड़कें	१८.१८	७०.०२	६५.९६
केन्द्रीय सड़क निधि	१२५.५९	९६.३६	८९.३१
योग	४६७.७४	३६८.८८	३५७.६७

लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीव द्वीपों में फाइलेरिया की रोकथाम

†२०८२ **श्री रवीन्द्र वर्मा :**
श्री नल्ला कोया :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीव द्वीपों में फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या इस कार्यक्रम से इन द्वीपों में फाइलेरिया के मामले में कमी हुई है ; और

(ग) इन द्वीपों में नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कौन-कौन सी परियोजनायें चलाई जा रही हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीव द्वीपों का प्रारम्भिक फाइलरिया सर्वेक्षण दिसम्बर १९५४ और फरवरी १९५५ के बीच मद्रास सरकार द्वारा किया गया था । किस द्वीप को छोड़ कर इन द्वीपों का सर्वेक्षण पुनः अप्रैल १९५८ में विस्तारपूर्वक भारत की मलरिया संस्था द्वारा भेजे गये एक दल के द्वारा किया गया था । फिलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की प्रगति का कोई मूल्यांकन अभी तक नहीं किया गया किन्तु भारत की मलेरिया

†मूल अंग्रेजी में

संस्था फाइलेरिया रोग की समस्या की वर्तमान स्थिति का वहीं पर जाकर अध्ययन करने के लिये उन द्वीपों को एक दल भेजने का विचार करती है। नवम्बर-दिसम्बर, १९६२ में दल को वहां जाने की अपेक्षा की जाती है।

(ख) राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत एक फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम इन द्वीपों में १९५९-६० में आरम्भ किया गया था। इन द्वीपों में किये गये नियंत्रण सम्बन्धी उपायों के परिणामों का अनुमान इतना जल्दी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि कोई ठोस परिणाम जानने के लिये चार या पांच वर्षों तक प्रभावी और लगातार नियंत्रण करने की जरूरत है।

(ग) राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत इस समय केवल लाखाल नाशक कार्य किया जा रहा है।

पान्नियार (जिला गुरदासपुर) में हाल्ट स्टेशन की मांग

†२०८३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि गुरदासपुर जिला (उत्तर रेलवे) में पान्नियार में एक हाल्ट स्टेशन बनाने की चिरकाल से मांग हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां।

(ख) प्रस्ताव की जांच की गई है और पर्याप्त औचित्य न होने के कारण स्वीकार नहीं किया गया।

तीसरी श्रेणी के डिब्बों म पंखों की व्यवस्था

†२०८४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और पठानकोट के बीच बड़ी लाइन पर चलने वाली तीसरी श्रेणी के कितने डिब्बों में अभी तक पंखे नहीं लगाये गये हैं ; और

(ख) उनमें पंखे लगाने में कितना समय लग जाएगा ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) दिल्ली और पठानकोट के बीच चलने वाली तीसरी श्रेणी के सब डिब्बों में पंखों लगे हुए हैं। कभी कभी चोरियों, मरम्मतों आदि के कारण कुछ कमी हो जाती है और यथा शीघ्र पंखे लगा दिये जाते हैं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

क्षेत्रीय सहायक शिक्षु[1]

†२०८५ **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री प० कुन्हन :

क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार** मंत्री २० जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० और १९६१ में क्षेत्रीय सहायक प्रशिक्षुओं पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Field Assistant Apprentices.

(ख) इसके लिये यात्रा भत्ता और अन्य भत्तों के तौर पर कितनी राशि खर्च की गई ;

(ग) क्या राज्य सरकारों को लिखे गये पत्रों के प्रत्युत्तर में, राज्य सरकार ने किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति दी है ; और

(घ) क्या क्षेत्रीय सहायक प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने के प्रश्न पर पंचायती राज और सहकार मंत्रियों की बैठक में चर्चा की गई थी ?

†सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)

(क) १९६०-६१ . . ३४७३३ रुपये ४२ नये पैसे
१९६१-६२ . ३९४१३ रुपये ९० नये पैसे

(ख) १९६०-६१ . १७१८७ रुपये ६० नये पैसे
१९६१-६२ . . १५४२५ रुपये ४२ नये पैसे

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) जी नहीं ।

परिवार नियोजन

†२०८६. **श्री मालवेन्द्र शाह :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वंध्यीकरण के कार्य के लिये तीसरी योजना में अब तक देश के पहाड़ी क्षेत्रों में विशेषकर कोई चलता फिरता औषधालय स्थापित किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो वंध्यीकरण के लिये पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को अन्य क्या प्रोत्साहन और सुविधाएं प्रदान की गई हैं ; और

(ग) पहाड़ी क्षेत्रों के विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों से कितने व्यक्तियों ने वंध्यीकरण के लिये अपने आपको औसतन पेश किया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) से (ग) अपेक्षित सूचना प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मद्रास राज्य में जल संभरण योजना

†२०८७. **श्री म० प० स्वामी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय जल संभरण तथा स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष १९६०-६१ तथा १९६१-६२ में मद्रास राज्य को केन्द्रीय सरकार ने कितनी आर्थिक सहायता दी ; और

(ख) इनमें से प्रत्येक वर्ष कितना धन व्यय हुआ ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) वर्ष १९५८-५९ से विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार राज्यों को योजनाओं के बड़े बड़े वर्गों या श्रेणियों के लिए सामूहिक-राशि दी जाती है । प्रत्येक योजना के लिए धन नहीं दिया जाता । इस प्रकार, राष्ट्रीय जल संभरण तथा स्वच्छता प्रोग्राम (ग्रामीण) के लिए विशिष्ट सहायता अनुदान देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ख) राज्य सरकारों से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भुवनेश्वर में कृषि विश्वविद्यालय

†२०८८. **श्री उलाका :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भुवनेश्वर (उड़ीसा) में कृषि विश्वविद्यालय बनाने के लिए उड़ीसा सरकार को कितनी वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी गई ; और

(ख) इस बारे में उड़ीसा सरकार की मूल मांग कितनी थी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :**(क) तथा (ख). **वित्तीय :** वस्तुतः राज्य ने इसके लिए २५ लाख रुपये की मांग की है, परन्तु अब तक कोई अनुदान नहीं दिया गया है ।

तकनीकी : कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना सम्बन्धी विधान बनाने के लिए राज्यों की सहायता करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी और उसने राज्य सरकार की सहायता की। अब उन्होंने कुछ अमरीकी विशेषज्ञों की सेवायें मांगी हैं और यह प्रार्थना विचाराधीन है ।

उड़ीसा में सिंचाई की मध्यम परियोजनायें

†२०९०. **श्री उलाका :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९५९-६०, १९६०-६१ और १९६१-६२ में उड़ीसा को मध्यम सिंचाई के लिए अनुदान तथा ऋण के रुप में कोई धन राशि दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख) वर्ष १९५९-६०, १९६०-६१ और १९६१-६२ में विविध विकास योजनाओं के व्यय की पूर्ति करने के लिए, जिनमें सिंचाई की मध्यम परियोजनायें भी शामिल हैं, उड़ीसा सरकार को निम्न ऋण दिये गये : —

वर्ष	ऋण (लाख रु०)
१९५९-६०	४९३.९३
१९६०-६१	४२२.५०
१९६१-६२	८१६.३९

रायगाडा तथा जेमादीपेटा स्टेशनों के बीच हाल्ट स्टेशन

†२०९१. **श्री उलाका :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे के रायगाडा और जेमादीपेटा स्टेशनों (उड़ीसा) के बीच एक हाल्ट-स्टेशन बनाने का विचार है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसके कब बनने की आशा है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) तथा (ख). रायगाडा और नेमादीपेटा स्टेशनों के बीच एक क्रासिंग स्टेशन का निर्माण कार्य हो रहा है और संभावना है कि वह १९६३ में पूरा हो जायगा।

उड़ीसा में बिजली

†२०९२. **श्री उलाका** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अब तक स्थापित हुई तापीय तथा जल विद्युत् परियोजनाओं की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ख) उड़ीसा में प्रति व्यक्ति कितनी बिजली का उपभोग होता है और भारत में प्रति व्यक्ति बिजली का कितना उपभोग होता है; और

(ग) उड़ीसा में बिजली की कितनी जल तथा तापीय परियोजनायें कार्यान्वित हो रही हैं और उनके चालू होने के समय का ध्यान रख कर उनकी अलग अलग अधिष्ठापित क्षमता कितनी होगी ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता निम्न है :—

जल	२१८.९	मेगावाट
तापीय . .	१३.३	मेगावाट
योग	२३२.२	मेगावाट

(ख) ३१-३-६२ को प्रति व्यक्ति अस्थायी उपयोग निम्न था :—

उड़ीसा . .	४३.७	किलोवाट घंटा
अखिल भारतीय .	४२.०	किलोवाट घंटा

(ग) **जल** :

हीराकुद बांध परियोजना .	२	अवस्था
कुल अधिष्ठापित क्षमता . .	१४७	मेगावाट
चालू हो चुके हैं . . .	६१.५	मेगावाट
वर्ष १९६२-६३ के बाकी मास में चालू होने की आशा है .	८५.५	मेगावाट

तापीय :

तलचेर बिजली घर		
१९६४-६५	६०	मेगावाट
१९६५-६६	१८०	मेगावाट

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में डाक व तार कार्यालय

†२०९३. **श्री उलाका :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में उड़ीसा में कितने डाक घर, तार घर और टलीफ़ोन घर (सार्वजनिक टलीफ़ोन) खोले गये हैं; और

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में ऐसे कितने कार्यालय खोले जायेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) :** (क)

	डाक घर	१,६१७
	तार घर . .	१५२
	सावजनिक टलीफ़ोन	१०७
(ख)	डाक घर . . .	१,२०
	तार घर	८०
	सार्वजनिक टलीफ़ोन . .	८०

आन्ध्र प्रदेश में डाक तथा तार घर

†२०९४. **श्री उलाका :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) दूसरी पंच वर्षीय योजना काल में आन्ध्र प्रदेश में कितने डाक घर, तार घर, टलीफोन घर (सार्वजनिक टेलीफोन) तथा टेलीफोन एक्सचेंज खोले गये; और

(ख) तीसरी पंच वर्षीय योजना में आन्ध्र प्रदेश में एसे कितने कार्यालय खोलने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) :** (क)

	डाक घर	३,७४६
	तारघर	१८२
	सार्वजनिक टेलीफोन .	६६
	टेलीफोन एक्सचेंज . .	८०
(ख)	डाक घर	२,५३१
	तार घर	२१०
	सार्वजनिक टेलीफोन . .	२००
	टेलीफोन एक्सचेंज	१६०

आन्ध्र प्रदेश में हाल्ट स्टेशनों को फ्लैग स्टेशन बनाना

†२०९५. **श्री उलाका :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के नरसीपुरम् और मराडम हाल्ट स्टेशनों (आन्ध्र प्रदेश) को फ्लैग स्टेशन बनाने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो उनके कब बदलने की आशा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) नरसीपुरम् और मराडम हाल्ट स्टेशनों को फ्लैग स्टेशन बनाने के प्रश्न पर विचार किया गया था परन्तु पर्याप्त औचित्य न होने के कारण स्वीकार नहीं किया जा सका ।

कानपुर–बांदा सेक्शन में देवसोरा गांव में फ्लैग स्टेशन

२०९६. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री सुबोध हंसदा ।

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के कानपुर-बांदा सैक्शन में देवसोरा ग्राम के समीप जो यमुना पुल के पास एक फ्लैग स्टेशन खोलने की स्वीकृति दी गई थी उसके खुलने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में स्थानीय लोगों की ओर से स्टेशन चलाने के उचित आश्वासन प्राप्त हो चुके हैं और आवश्यक धनराशि जमा कर दी गई है; और

(ग) जो कार्यवाही होना शेष हैं उसमें देर किसकी ओर से है और वह फ्लैग स्टेशन कब तक खुल जावेगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :(क) और (ग). कानपुर-बांदा सैक्शन पर यमुना साउथ बैंक और हमीरपुर रोड स्टेशनों के बीच देवसोरा में ठेकेदार द्वारा चालित हाल्ट खोलने का काम पहले नहीं शुरू किया जा सका क्योंकि इससे अधिक महत्वपूर्ण कामों को प्रथमता देनी पड़ी । फिर भी चालू वित्तीय वर्ष में इस काम को पूरा करने की व्यवस्था की जा रही है ।

(ख) जी नहीं ।

माल यातायात

†२०९७. **श्री ब० कु० दास :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में रेलवे में माल यातायात की मात्रा में कोई सुधार किया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो परिणाम प्राप्ति के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या इस बीच प्रति टन मील माल यातायात के व्यय में कोई अन्तर पड़ा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे मंत्रालय म उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) हां । रेलों ने पिछले महीनों में अधिक माल यातायात किया है ।

(ख) इंजन, डिब्बा, आदि की व्यवस्था के अतिरिक्त, उनका अधिक प्रयोग करने का प्रयास किया गया है ।

(ग) यह जानकारी वर्ष में एक बार एकत्रित की जाती है और इस कारण अभी यह विदित नहीं है कि पिछले महीनों में प्रति टन मील व्यय में कुछ परिवर्तन हुआ है या नहीं ।

सिगनल तथा दूर-संचार-सामयिक कर्मचारियों की छंटनी

†**२०९८. श्री अ० क० गोपालन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हावड़ा–मुगलसराय सैक्शन, खड़गपुर–रूरकेला सेक्शन और आसनसोल-दुर्गापुर सेक्शन का विद्युतीकरण कब समाप्त हो जायेगा;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार की इच्छा कि कार्य के पूरे होने पर उपरोक्त सैक्शनों में काम करने वाले सिगनल तथा दूर-संचार-आकस्मिक कर्मचारियों की छंटनी कर दी जाये;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन कर्मचारियों को कोई वैकल्पिक रोजगार देगी;

(घ) क्या यह सच है कि दल ६ (एक्स-क्रासिंग केबिन मुगलसराय से इलाहाबाद तक) और दल ९ तथा १० (सियालदह और खड़गपुर) के विद्युतीकरण के कार्य के लिए नये कर्मचारी भर्ती किये जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सेक्शनों से छंटनी किये गये सामयिक कर्मचारियों को, जहां कार्य पूरा हो चुका है, प्राथमिकता दी जायेगी ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) से (ङ). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) हावड़ा-वन्देल-बुर्दवान (मुख्य लाइन) सेक्शन का ३००० डी०सी० प्रणाली के विद्युतीकरण हो चुका है । दुर्गापुर-आसनसोल-मुगलसराय सेक्शन का भी २५ के० वी० ए० सी० प्रणाली से विद्युतीकरण हो चुका है । बाकी लाइन का विद्युतीकरण, अर्थात् बुर्दवान-दुर्गापुर का विद्युतीकरण दिसम्बर, १९६४ तक पूरा होने की आशा है ।

खड़गपुर-रूरकेला सैक्शन की टाटानगर-रूरकेला लाइन का विद्युतीकरण हो चुका है और आशा है कि खड़गपुर - टाटानगर की बाकी लाइन का विद्युतीकरण वर्ष १९६२ के अन्त तक पूरा हो जायेगा ।

(ख) और (ग) सिगनल और दूर-संचार शाखा द्वारा रखे गये उच्च कोटि के प्रवीण सामयिक कर्मचारी साधारणतया छंटनी नहीं किये जाते । कार्य की आवश्यकतानुसार उनकी बदली एक स्थान से दूसरे स्थान को कर दी जाती है । प्रत्येक सेक्शन में कार्य पूरा होने पर अप्रवीण कर्मचारियों की सेवायें, जो पास के गांवों से स्थानीय आधार पर रखे जाते हैं, समाप्त कर दी जाती हैं । फिर भी, जो लोग अन्य सेक्शनों में जाने के लिये तैयार होते हैं उन्हें यथासम्भव अन्य स्थानों पर रोजगार दे दिया जाता है । परियोजनाओं पर सामयिक मजदूरों के साथ कार्य करने की प्रायः यही प्रक्रिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) तथा (ङ). मुगलसराय–इलाहाबाद सेक्शन और सियालदह डिवीजन के विद्युतीकरण के लिये आवश्यक प्रवीण और उच्चकोटि के प्रवीण कर्मचारी रखे जाते हैं। परन्तु यह काम पूरे हो चुके सैक्शनों से ऐसे कर्मचारियों की बदली करके भरे गये पदों के बाद किया जाता है। अप्रवीण आकस्मिक कर्मचारियों को स्थानीय आधार पर रखा जाता है परन्तु पूरे हो चुके सेक्शनों से आर्य कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाती है।

कलकत्ता के बन्दरगाह कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल

†२०९९. **श्री पू० ना० खां :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता के बन्दरगाह कर्मचारियों ने २० जून, १९६२ को सांकेतिक हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस हड़ताल का क्या कारण था ;

(ग) क्या हड़ताल का पिछली सामुदायिक हड़ताल से कोई सम्बन्ध था ;

(घ) क्या इससे बन्दरगाह पर माल चढ़ाने व उतारने में कमी हुई ; और

(ङ) यदि हां, तो उस दिन स्थिति का कैसे सामना किया गया?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क(से (ङ). २० जून, १९६२ को १० बजे से १८बजे तक कलकत्ता बन्दरगाह आयुक्तों के सामुद्रिक कर्मचारियों में से कुछ ने टोकिन हड़ताल की थी। जहाजों में माल चढ़ाने व उतारने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर भी, जहाजों का आना व जाना प्रभावित हुआ जिसके परिणामस्वरूप पांच जहाजों को आने व जाने में देर हो गई।

मजदूरों या उनके संघों ने हड़ताल की कभी कोई नियमोचित सूचना नहीं दी। फिर भी, विचार है कि कलकत्ता बन्दरगाह श्रमिक संघ ने हड़ताल का आयोजन किया था जोकि एक मान्यता प्राप्त संघ है। यह हड़ताल रात्रि-कार्य करने के लिये महत्व की मजदूरों की मांग के समर्थन में की गई थी।

प्रश्न के भाग (ग) में उल्लेख यदि उल्लेख अन्तिम हड़ताल में मई, १९६२ में हुगली पोत चालकों के कार्य बन्द करने का है तो २० जून, १९६२ की टोकिन हड़ताल का इससे कोई सम्बन्ध न था।

रात्रि काम के लिये बन्दरगाह मजदूरों को महत्व देने के प्रश्न पर सरकार का निश्चय ७ अगस्त, १९६२ को लोक-सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या १०६ के दिये गये उत्तर में बताया गया है।

औद्योगिक उत्पादन

२१००. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने में बिजली की कमी की जो बाधा पड़ रही है वह कब तक दूर हो जाने की आशा है तथा इसके लिये सरकार ने पिछले ६ महीनों में क्या प्रयत्न किया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों और कुछ बड़ी परियोजनाओं के पूरा न होने की वजह से द्वितीय योजना के लक्ष्यों की पूर्ति में कमी के परिणामस्वरूप ही देश में वर्तमान बिजली का कमी ह । तृतीय योजना की स्कीमों को शीघ्रता से कार्यान्वित करके विद्युत् की कमी को कम करने के लिये कदम उठाए जा रहे हैं। केन्द्रीय सरकार के तीन उच्च स्तरीय अधिकारियों की एक टीम ने,उन दिक्कतों का पता लगाने के लिये जिनके कारण परियोजनाओं के निर्माण कार्य की प्रगति में रुकावट पड़ रही है, सब राज्यों का दौरा किया। इस टीम द्वारा बताई गई दिक्कतों को हटाने के लिये कार्यवाही की जा रही है । समय समय पर परियोजनाओं की प्रगति को देखने के लिये, प्लांट तथा साज सामान के आयात के लिये विदेशी मुद्रा को जल्दी दिलाने के लिये और आयात पत्रों को जल्दी हासिल करने के लिये केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में एक 'सेल' बनाया गया है और मन्त्रालय में भी एक उच्चस्तरीय पूर्णकालिक अधिकारी की नियुक्ति की जा रही हैं । योजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिये कोयला, सिमेंट, स्टील इत्यादि की मांगों को पूरा करने की तरफ भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।

तृतीय योजना की लगभग सब परियोजनायें विविध विदेशी सहायताओं से सम्बद्ध की जा चुकी हैं । निर्विलम्ब क्षेत्रीय भागों को पूरा करने के लिये कुछ और स्कीमों की स्वीकृति, जो कि तृतीय योजना में सम्मिलित हुई स्कीमों के अतिरिक्त होंगी, दे दी है । ये स्कीमें इस प्रकार हैं :—

(१) गैस टरबाइन प्लाण्ट्स :

आन्ध्र प्रदेश के लिये . . .	२ × १० एम डब्ल्यु
मैसूर के लिये	२ × १० एम डब्ल्यु
(२) दुर्गापुर पावर स्टेशन का विस्तार (पश्चिमी बंगाल) .	७५ एम डब्ल्यु
(३) बारौनी पावर स्टेशन का विस्तार (बिहार) .	४० एम डब्ल्यु
(४) पश्चिम बंगाल के लिये पैकेज प्लांट्स . .	६ × १.५ एम० डब्ल्यु

इन कदमों का नतीजा यह होगा कि तृतीय योजना अवधि में बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये अधिक उत्पादक धारिता उपलब्ध होगी ।

केरल में चावल की कमी

†२१०१. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि इस वर्ष पहिले वर्षा न होने के कारण केरल में चावल की स्थानीय पैदावार बहुत कम हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति का सामना करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख) मई के अन्त तक केरल में भारी वर्षा हुई थी । जून में कम वर्षा हुई लेकिन फिर जुलाई से भारी वर्षा हुई। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि केरल में चावल की अगली फसल कैसी होगी। यह राज्य दक्षिण चावल खण्ड शामिल है और मद्रास तथा आन्ध्र प्रदेश का अतिरेक सदैव उपलब्ध रहता है । भारत सरकार भी केरल की आवश्यकता पूर्ति के लिये अपेक्षित मात्रा में चावल केन्द्रीय संचय से देगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा का रक्षित वन

†२१०२. **श्री दशरथ देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिपुरा में खवाई में नार्थ चन्द्रघाट के लोगों से उनकी बस्ती में वर्ष १९६२ में रक्षित वन बनाने के विरुद्ध अभ्यावेदन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आंध्र प्रदेश में विद्युत् जनन

†२१०३. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र क्षेत्र की द्वितीय विद्युत् योजना में पहिली योजना में २५.७९ करोड़ रु० की व्यवस्था से कम करके २१.६६ करोड़ रु० की व्यवस्था करने के क्या कारण हैं;

(ख) योजना के क्षेत्र से बाहर होने और उनकी अनुमानित लागत के कारण आन्ध्र की दूसरी योजना में शामिल कितनी योजनायें विदेशी मुद्रा पाने के लिए अपात्र समझी गईं;

(ग) मैसूर, मद्रास और महाराष्ट्र की दूसरी योजना में सम्मिलित कौन कौन सी योजनायें दूसरी योजना में विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की पात्र नहीं समझी गईं और उनकी अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, मद्रास और महाराष्ट्र में अब तक दूसरी योजना की कितनी विद्युत् परियोजनायें चालू हो गई हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) दूसरी योजना का विद्युत् सम्बन्धी व्यय-प्राक्कलन २१.६६ रु० नहीं था बल्कि यह ३२.०७ करोड़ रु० था जब कि पहिली योजना में यह राशि २५.७९ करोड़ रु० थी ।

(ख) दो, अर्थात्

(१) तुंगभद्रा–नेल्लोर जल तापीय विद्युत् योजना । अनुमानित लागत ७६९.९ लाख रु० ।

(२) अपर सिलेरुएच० ई० परियोजना अवस्था–१, अनुमानित लागत ८९५.५८ लाख रु० ।

(ग) **मैसूर**

(१) शर्बती एच० ई० योजना अवस्था–१, अनुमानित लागत, ३७९९.३८ लाख रु० ।

मद्रास—

(१) पिकारा बांध बिजली घर योजना अनुमानित लागत ३०.०० लाख रु० ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) पपानसम बांध बिजली घर योजना । अनुमानित लागत ४१.०० लाख रु० ।

महाराष्ट्र—

(१) पुर्ना बहुप्रयोजनीय परियोजना । अनुमानित लागत १४५५.८५ लाख रु० ।

(घ) आंध्र प्रदेश

(१) मचकुण्ड एच० ई० परियोजना (८०.७५ मेगावाट)

(२) तुंगभद्रा सीधा किनारा जल परियोजना (३६ मेगावाट)

(३) रामगुण्डम तापीय बिजली घर (३७.५ मेगावाट)

मैसूर—

(१) तुंगभद्रा सीधा किनारा जल परियोजना (३६ मेगावाट)

(२) तुंगभद्रा बांया किनारा जल केन्द्र (मुनीराबाद) (१८ मेगावाट)

मद्रास

(१) पेरियार एच० ई० परियोजना (१०५ मेगावाट)

(२) कुण्डा एच० ई० परियोजना (१८० मेगावाट)

(३) मद्रास तापीय स्टेशन विस्तार अवस्था–३ (३० मेगावाट)

महाराष्ट्र—

(१) बलरशाह तापीय विद्युत् केन्द्र (१५.५ मेगावाट)

(२) खपरखेडा तापीय विद्युत् केन्द्र विस्तार (३० मेगावाट)

(३) पारस तापीय विद्युत् केन्द्र (३० मेगावाट)

(४) चोला (कल्याण) तापीय विद्युत् स्टेशन विस्तार (१८ मेगावाट)

(५) ट्राम्बे तापीय विद्युत् केन्द्र (१८७.५ मेगावाट) (गैर-सरकारी क्षेत्र)

(६) कोयना जल विद्युत् परियोजना (६० मेगावाट) (कोयना अवस्था-१ का प्रथम सेट)

श्रीसैलम जल विद्युत् योजना

†२१०४. **श्री कोल्ला वेंकैया :**
श्रीमती लक्ष्मी कान्त झा :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना में सम्मिलित श्रीसेलम जल विद्युत् योजना को राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कब भेजा था;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या योजना आयोग ने राज्य सरकार से कहा है कि वह इस योजना को दो स्वतंत्र परियोजना योजनाओं (नागार्जुन सागर जल विद्युत् योजना तथा श्रीसेलम जल विद्युत् योजना) में विभक्त कर दे;

(ग) दो परियोजनाओं को अलग अलग कार्यान्वित करने में कितना अधिक व्यय होगा; और

(घ) क्या योजना आयोग को विदित है कि यदि नागार्जुन सागर बांध पूरा हो गया तो श्रीसेलम की नींव के सम्बन्ध में भारी कठिनाई होगी ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) श्रीसेलम तथा नागार्जुन सागर जल विद्युत् योजनाओं की संयुक्त रिपोर्ट २७-११-१९५९ को प्राप्त हुई थी। श्रीसेलम के लिए पृथक् परियोजना रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) हां।

(ग) इन दो योजनाओं को स्वतंत्र रूप में अलग अलग कार्यान्वित करने में कुछ अधिक व्यय हो सकता है।

(घ) हां, परन्तु नागार्जुनसागर बांध द्वारा बनने वाला जलाशय लगभग दो वर्ष तक श्रीसेलम की नींव के खुदाई-कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा और न यथासमय उचित प्रबन्ध किया जा सकता है।

कोयला ले जाने के लिये ट्रकों का निर्माण

२१०५. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल यातायात के भार को हल्का करने के ख्याल से सड़क द्वारा कोयले और अन्य माल की ढुलाई के लिए १० से २० टन तक की क्षमता वाले भारी ट्रक बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्तावित योजना का विवरण क्या है ;

(ग) क्या सरकार यह भी समझती है कि सड़कों पर बने मौजूदा पुल इन भारी ट्रकों का भार संभाल लेंगे, यदि नहीं तो इन पुलों आदि को मजबूत करने के काम में कितना समय लगेगा;

(घ) इन ट्रकों का कितना मूल्य बैठेगा और इसी प्रकार का काम देने वाले अन्य ट्रकों की तुलना में इनका मूल्य ठीक रहेगा ;

(ङ) इन ट्रकों को बनाने वाले कारखाने और मशीनों आदि के लिए कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी; और

(च) क्या सरकार यह समझती है कि मोटर, ट्रक आदि बनाने वाले मौजूदा भारतीय कारखाने ऐसे ट्रक बनाने में असमर्थ हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौहवन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क), (ख), (घ), (ङ) और (च). रेल पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए सड़क द्वारा कोयले की ढुलाई

---

†मूल अंग्रेजी में

के प्रश्न पर खान और ईंधन मंत्रालय विचार कर रहा है । इस प्रयोजन के लिए ६ से ७ टन भार योग वाली मौजूदा ट्रकों से काम शुरु किया जायगा । देश में लगभग ११ टन भारयोग की ट्रक-ट्रेलर की मिली जुली भारी परिवहन की गाड़ियां भी बनायी जा रही हैं । बाद में जब सड़क द्वारा कोयले का परिवहन स्थायी हो जायगा तब इन से भी भारी लगभग २० टन भारयोग की गाड़ियों के बनाने पर विचार किया जायगा । उसी समय विदेशी मुद्रा के प्रश्न पर भी विचार कर लिया जायेगा ।

(ग) जहां तक राष्ट्रीय राजमार्गों का सम्बन्ध है सभी नये निर्माण किये हुए पुल १० से २० टन तक की भार वाली गाड़ियों के लिए काफी मजबूत हैं । फिर भी राष्ट्रीय राजमार्गों में कई ऐसे पुराने पुल मौजूद हैं जो इतना भार बरदाश्त नहीं कर सकते हैं । उन की भार वहन क्षमता को निश्चित रूप से जानने के लिए और कुछ मुख्य मार्गों पर कमजोर पुलों को बदलने या उन का पुनर्निर्माण करने के लिए भारत सरकार ने प्रदेश सरकारों से निवदन किया है कि वे अपने अपने प्रदेशों में इन मार्गों का सर्वेक्षण करें । यह सर्वेक्षण जारी है । आंकड़े एकत्रित हो जाने पर इस विषय पर और आगे विचार किया जायेगा और कमजोर पुलों को बदलने तथा उन के पुन: निर्माण के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायगी । प्रदेश सरकारों से प्रदेश राजमार्गों के सम्बन्ध में इसी प्रकार का सर्वेक्षण करने तथा उन राजमार्गों के कमजोर पुलों को बदलने और उनके पुनर्निर्माण के लिए समुचित कार्यवाही करने के लिए भी निवेदन किया गया है ।

नाभा के पास विमान पट्टी

†२१०६ **श्री यशपाल सिंह :**
श्री राम रत्न गुप्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने हाल में नाभा के पास एक सुनिर्मित विमान-पट्टी ले ली है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र से कोई अनुमति ली गई थी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) राज्यों के फीड्रल वित्तीय समन्वय के बाद नाभा में अच्छे मौसम में उत्तर का मैदान, जो पहिले नाभा रियासत का था पंजाब सरकार ने ले लिया ।

(ख) अनुमति की आवश्यकता नहीं थी ।

जट का उत्पादन

†२१०७. **श्री मुहम्मद ताहिर :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार जट उगाने वाले कौन से क्षेत्र हैं ;

(ख) ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में जूट के उत्पादन की क्या प्रतिशतता है ; और

(ग) जूट मिल उद्योग के विकास के लिए कार्यालय भारत में किस स्थान पर खोला गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जूट पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, उत्तर प्रदेश का त्रिपुरा में लगाया जाता है । जूट उगाने वाले जिलों (राज्यवार) दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८२]**

(ख) भारत के जूट के कुल उत्पादन की तुलना में प्रत्येक राज्य में जूट के उत्पादन की प्रतिशतता प्रतिवर्ष बदल जाती है । परन्तु कुल उत्पादन का औसतन पश्चिम बंगाल में ५०.५ प्रतिशत, बिहार में २०.७ प्रतिशत, आसाम में २०.६प्र तिशत, उड़ीसा में ४.८ प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में २.० प्रतिशत और त्रिपुरा में १.४ प्रतिशत होता है । जिलेवार उत्पादन की प्रतिशतता की जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है ।

(ग) कलकत्ते में स्थित भारत सरकार के जूट आयुक्त के दफ्तर द्वारा जूट मिल उद्योग के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है ।

डाक तथा तार कर्मचारी

†२१०८. **श्री कोल्ला वेंकैय्या** :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में १९५८ से (प्रति वर्ष) डाक तथा तार मैकैनिकों के कितने पद स्थायी बनाये गये थे ;

(ख) १९५८ से १९६२ तक प्रत्येक वर्ष में आंध्र प्रदेश में डाक तथा तार के कितने मैकेनिकों को स्थायी बना दिया गया है ; और

(ग) स्थायी पदों तथा पदों पर स्थायी बनाये गये व्यक्तियों में यदि कोई असमानता है तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** :

	१९५८	१९५९	१९६०	१९६१	१९६२
(क)	२३	२४	१८	२६	१७
(ख)	३१	२५	१०	—	५०

(ग) १९६० के बाद से स्थायी बनाये गये पदों पर कर्मचारियों को स्थायी इसलिए नहीं बनाया जा सका क्योंकि आन्ध्र सर्किल बनाने के लिए भूतपूर्व आन्ध्र और हैदराबाद सर्किलों के मैकैनिकों की संयुक्त सूची बनानी थी ।

त्रिवेन्द्रम में एक्सप्रेस चिट्ठियों का पहुंचना

†२१०९. **श्री प० कुन्हन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १५ जुलाई, १९६२ से त्रिवेन्द्रम सेंट्रल टैलीग्राफ आफिस से जनरल पोस्ट आफिस को एक्सप्रैस चिट्ठियों का पहुंचाया जाना स्थानान्तरित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सी०टी०ओ० से कोई कर्मचारी जी०पी०ओ० को स्थानान्तरित किया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह सच है कि छ : विभागातिरिक्त संदेशवाहक इस काम के लिए नियुक्त हुए हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । सात कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया था ।

(ग) जी हां ।

भूमिहीन व्यक्ति समितियां तथा सेवा सहकारी समितियां

†२११०. **श्री दशरथ देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में कितनी भूमिहीन व्यक्ति समितियां तथा सेवा सहकारी समितियां बनाई गई हैं ; और

(ख) इन समितियों से कितने भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि दे दी गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) १०४ सेवा सहकारी समितियां जिनमें ३ भूमिहीन व्यक्ति समितियां हैं ।

(ख) २११ व्यक्ति

रेलवे में काम आ रहे वैगन, इंजन और डिब्बे

†२१११. **श्री रा० शि० पाण्डेय :**
श्री ब्रजराज सिंह कोटा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में इस समय कितने वैगन, इंजन तथा डिब्बे चल रहे हैं ;

(ख) पुराने इंजनों तथा डिब्बों का क्या अनुपात है ; और

(ग) पहली तथा दूसरी योजनाकार्य में तथा तीसरी योजना में अब तक वैगनों, इंजनों तथा डिब्बों के उत्पादन का क्या लक्ष्य था तथा कितना वास्तविक उत्पादन हुआ था ।

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). ३१-३-१९६२ को स्थिति निम्नलिखित थी :—

वैगन

(यूनिटों में)

स्टाक होल्डिंग	३१९४०८

इंजन

(सभी सक्शन)

स्टाक होल्डिंग	१०,९२२
सांख्यकीय पुरानों की संख्या	२,७५०
पुराने तथा भांडार की प्रतिशतता	२५.१७

---

†मूल अंग्रेजी में

ई० एम० यू० स्टाक और रेलकार

(यूनिटों में)

स्टाक होल्डिंग		२८,६७३
सांख्यकीय पुरानों की संख्या		६,६२६
पुराने तथा भांडार की प्रतिशतता		३३.५७

(ग) प्रथम योजना

	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे	
बैगन (यूनिटों में)	उत्पादन	६१,२५४
इंजन	उत्पादन	१,५८६
डिब्बे (यूनिटों में)	उत्पादन	४,७५८

द्वितीय योजना

वैगन (चार पहियों वाले)	लक्ष्य	१,०५,७३६
	उत्पादन	६७,६५६
इंजन (यूनिटों में)	लक्ष्य	२,१६१
	उत्पादन	२,०६२
डिब्बे ई०एम०यू० तथा रेलकारों	लक्ष्य	८,८३६
समेत (यूनिटों में)	उत्पादन	७,५४६

तृतीय योजना

वैगन (चार पहियों वाले)	लक्ष्य	१,४५,६४६
		अथवा १,४६,०००
	उत्पादन १-४-६१ से ३१-७-६२ तक)	१६६१२
इंजन (यूनिटों में)	लक्ष्य	१६१६+२८४*
	उत्पादन (१-४-६१ से ३१-७-६२ तक)	४१६
डिब्बे (बोगियों में)	लक्ष्य	८,०२७+५८१*
ई०एम०यू० तथा रेल कार समेत	उत्पादन (१-४-६१ से ३०-६-६२ तक)	२,०६३

*इनकी व्यवस्था विद्युतीकरण परियोजना में की गई है।

मंत्रियों के ड्राइवरों के निवास स्थानों पर टेलीफोन

†२११२. **श्री यशपाल सिंह**: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कुछ मंत्रियों के कार ड्राइवरों के निवास स्थानों पर सरकारी व्यय पर टेलीफोन लगाये गये हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचरियों के निवास स्थानों पर टेलीफोन लगाने का उपबन्ध है; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे टेलीफोन क्यों लगाये गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

दिल्ली में टिड्डी आक्रमण

†२११३. **श्री यशपाल सिंह** :
श्री प्र० चं० बरुा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली और उसके आस पास के ज़िलों में हाल में ही टिड्डी आक्रमण से अनुमानतः कितनी हानि हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : दिल्ली प्रशासन द्वारा की गई जानकारी के अनुसार अनुमानतः १०,००० एकड़ के क्षेत्र में ७०,००० रुपये का नुकसान हुआ है । पंजाब के गुड़गांव और रोहतक जिले में ज्वार और बाजरे की फसल तथा उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले में रुई की फसल को नुकसान होने का समाचार मिला है ।

त्रिपुरा में पंचायत मंत्री

†२११४. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के धर्मनगर, सदर, खोवी, कल्याणपुर और सोनामूरा डिवीजनों में कितने पंचायत मंत्रियों की नियुक्ति हो गई है ;

(ख) अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के कितने अभ्यर्थी भरती किये गये; और

(ग) क्या ये जनता के अनुपात के अनुसार हैं ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)**:

(क) धर्मनगर, सदर, खोवी, और सोनामुरा उप-खण्ड . . ७७

कल्याणपुर नामक कोई सब डिवीजन नहीं है। परन्तु कमालपुरा सब डिवीजन में १३ पंचायत मंत्री नियुक्त किये गये हैं ।

(ख) अनुसूचित जातियां . . . १३
अनुसूचित आदिम जातियां . . १३

(ग) जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सुंगा ब्रुकशम हाल्ट को नियमित स्टेशन बनाना

†२११५. **श्री ह० ब० राजू**, क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे पर निदादावोसु नरसापुर लाइन के सुंगा ब्रुकशम हाल्ट पर प्रतिदिन कितने यात्री गाड़ियों से उतरते हैं तथा चढ़ते हैं;

(ख) क्या इस हाल्ट को नियमित स्टेशन बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) इस को कब तक क्रियान्वित करने की आशा है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) १९६१–६२ में इस हाल्ट पर औसतन क्रमशः ९० और १४७ यात्री प्रति दिन गाड़ियों से उतरे तथा चढ़े ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब में ग्राम्य विद्युतीकरण

†२११६. **श्री हेम राज** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में अब तक पंजाब में कितने गांवों में बिजली लगाई गई है;

(ख) केन्द्र द्वारा किस काम के लिये कितना धन स्वीकार किया गया; और

(ग) वितरण लाइनों को लगाने के लिये वास्तविक लागत से कितनी कमी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) ९५७ ।

(ख) पंजाब में ग्राम्य विद्युतीकरण के लिये १९६१–६२ में ७६ लाख रुपये का ऋण स्वीकार किया गया था । १९६२–६३ के लिये राज्य सरकार से अब तक केन्द्रीय ऋण सहायता की प्रार्थना नहीं मिली है ।

(ग) राज्य सरकार से जानकारी मंगाई गई है और मिलने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सामुदायिक विकास का उद्देश्य

†२११७. { **श्री दे० जी० नायक :**
श्री छोटू भाई पटेल :

क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्नों का अधिक उत्पादन है; और

(ख) यदि हां, तो सामुदायिक विकास खंडों के अधीन क्षेत्रों में १९५८–५९, १९५९–६०, तथा १९६०–६१ में खाद्यान्नों के उत्पादन का क्या अनुमान है ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समुदाय का सभी प्रकार से विकास करने का है परन्तु कृषि उत्पादन का राष्ट्रीय महत्व होने के कारण इस को भी बढ़ाया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सामुदायिक विकास कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के सातवें मूल्यांकन प्रतिवेदन (१९६०) के अनुसार सामुदायिक विकास खंडों में कृषि का उत्पादन सामान्यतः बढ़ा है। परन्तु सामुदायिक विकास कार्य-क्रम के अधीन क्षेत्र के लगातार बढ़ने के कारण, समस्त देश में यह अक्तूबर, १९६३ के अन्त तक लागू हो जायेगा। सामुदायिक विकास के संकल्प में खाद्य उत्पादन का अलग अनुमान नहीं लगाया गया है। कृषि उत्पादन का अनुमान समस्त देश का लगाया जाता है।

शिलांग के निकट हवाई अड्डा

†२११८. **श्री स्वैल,** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शिलांग में अथवा उस के आस पास एक हवाई अड्डा बनानेका है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) और (ख). जी हां। शिलांग के निकट हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। परियोजना का प्राक्कलन बनाया जा रहा है।

सेतुसमुद्रम् परियोजना

†२११९. **श्री उमानाथ** :
श्री मे० क० कुमारन् :
श्री प० कुन्हन :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री म० प्र० स्वामी :
श्री अरुणाचलम :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक इकट्ठा किये गये आंकड़ों पर आधारित सेतुसमुद्रम् परियोजना मद्रास सरकार के मुख्य इंजीनियर (सामान्य) द्वारा बनाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो नये अनुमान बनाने का क्या कारण है ;

(ग) मूल अनुमान में क्या त्रुटि थी;

(घ) प्रतिवेदन के कब तक पेश हो जाने की आशा है और क्या प्राक्कलनों के पूरा होने और अन्तिम रूप दिये जाने के कारण इस की क्रियान्विति में विलम्ब हो जायेगा ;

(ङ) क्या तूतीकोरिन पत्तन विकास कार्य और सेतुसमुद्रम् योजना की क्रियान्विति एक साथ होगी; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). पहले प्राक्कलन पर्याप्त आंकड़ों पर आधारित नहीं थे इसलिये यह निर्णय किया गया था कि नवीनतम और पूरे आंकड़ों के आधार पर नये प्राक्कलन बनाये जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्योंकि अभी आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं इसलिये आशा है कि लगभग एक वर्ष में अन्तिम प्रतिवेदन मिल जायेगा। परियोजना की क्रियान्विति के बारे में निर्णय प्रतिवेदन की जांच के बाद और विदेशी मुद्रा तथा धन की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा ।

(ङ) जी नहीं ।

(च) पत्तन के यातायात के आधार पर तूतीकोरिन को बड़ा बन्दरगाह बानाने का कार्य किया जायेगा ।

मनीपुर में चावल के लिये उचित मूल्य की दूकानें

†२१२०. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में पर्वतीय और मैदानी इलाके में चालू वित्तीय वर्ष में अब तक चावल की कितनी उचित मूल्य की दुकानें खोली गयीं;

(ख) चावल के प्रतिमन मूल्य किस दर पर निर्धारित किये गये हैं ;

(ग) पर्वतीय क्षेत्रों में उचित मूल्य की दूकानों के लिये यदि कोई सहायता अथवा रियायत दी गई है तो उस की क्या दर है ; और

(घ) उचित मूल्य की दुकानें किस प्रकार काम कर रही हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) मनीपुर घाटी में इस समय पांच उचित मूल्य की दुकानें हैं, तथा आवश्यक होने पर नौ और दुकानें खोली जायेंगी। मनीपुर के पर्वतीय इलाके में १४ सरकारी वितरण केन्द्र हैं ।

(ख) मनीपुर के पर्वतीय तथा मैदानी इलाकों में चावल के खुदरा मूल्य १६ रुपये प्रति मन हैं।

(ग) सहायता ५.३८ रुपये प्रतिमन में २५.२२ रुपये प्रतिमन तक है ।

(घ) ये संतोषजनक रूप में काम कर रहे हैं ।

मनीपुर द्वारा चावल का समाहार[1]

†२१२१. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ३० अप्रल, १९६२ के अतारांकित प्रश्न सेख्या ३१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र के चावल के निर्यात के लिये दिये गये परमिट पर ऐसे ६०० मन चावल के निर्यात की पुलिस जांच के क्या परिणाम निकले हैं जो आन्ध्र का नहीं है;

(ख) सम्बंन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या पकड़ा गया चावल १४ रुपये प्रति मन पर पुनः बेचा गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय म उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (ख). जानकारी मनीपुर प्रशासन से मंगाई गई है तथा मिलने पर सभा पटल पर रखी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Procurement

टिड्डी दल का आक्रमण

२१२२. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री के ६ अगस्त, १९६२ को दिये गये इस आशय के वक्तव्य की ओर आकर्षित हुआ है कि इस साल मई के बाद से अब तक बावन टिड्डी दलों ने पंजाब और राजस्थान से आकर राज्य पर हमला किया जिस के फलस्व रूप गन्ना, रुई, धान, अरहर, बाजरा और ज्वार की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संकट का सामना करने के लिये और वहां के किसानों को राहत पहुंचाने के लिये भारत सरकार ने राज्य सरकार को अब तक क्या सहायता की है अथवा देने का विचार कर रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा०राम सुभग सिंह)** : (क) पश्चिम की ओर से आने वाले विदेशी टिड्डी दलों के भारत पर आक्रमण १४ मई, १९६२ को शुरू हुए और उस समय से अब तक ८५ टिड्डी दल भारत में आ चुके हैं। इन में से कई टिड्डी दल राजस्थान और पंजाब से होकर उत्तर प्रदेश में दाखिल हुए। उत्तर प्रदेश सरकार से उपलब्ध सूचना अनुसार इस समय राज्य में केवल तीन टिड्डी दल हैं। १९६२ के दौरान में उत्तर प्रदेश में रबी और खरीफ की फसलों को क्षति पहुंची है और इस का अनुमान १,५४,५०० रुपये लगाया गया है।

(ख) राज्यों में अनुसूचित रेगिस्तानी क्षेत्र से बाहर टिड्डी विरोधी कार्य करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित रज्य सरकारों की है। फिर भी, केन्द्र उन्हें तकनीकी और साज-सामान की सहायता देता है। केन्द्रीय टिड्डी विरोधी संगठन ने उत्तर प्रदेश को मशीनें और हाथ फुहारों बुरके के यन्त्र ऋण के रुप में दिये। उत्तर प्रदेश में प्रयोग करने के लिये हवाई जहाजों को भी तयार रखा गया। भारत सरकार के पौध रक्षा सलाहकार ने भी राज्य अधिकारियों के साथ विरोधी कार्यक्रमों के बारे में विचार विमर्श किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जाये कि वे स्थिति का अच्छी तरह से मुकाबला करने के लिये काफी हैं ।

गहर —बाटल सिंचाई योजना

†२११३. { **श्री मुहम्मद इलियास :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती विमला देवी :
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरकी तहसील, हिमाचल प्रदेश में गहर-बाटल सिंचाई योजना पूरी हो गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो योजना के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या (१) जिला बिलासपुर में बारसांद, (२) जोगिन्दरनगर तहसील में चौंतरा (३) जोगिन्दरनगर तहसील में बालकरुपी में (४) कसुमपट्टी तहसील में रागांव-कोट में जल संभरण योजनायें पूरी हो गई हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो भाग (ग) में उल्लिखित योजनायें कब तक पूरी हो जायेंगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी नहीं । काम हो रहा है ।

(ख) मार्च, १९६३ तक

(ग) और (घ). (१) जी नहीं । पूरा होने की तारीख नहीं बताई जा सकती है क्योंकि पानी के स्रोत पर विवाद के कारण काम रोक देना पड़ा था ।

(२) जी नहीं । योजना अभी स्वीकार नहीं हुई है ।

(३) जी नहीं । योजना के मार्च, १९६३ तक पूरे हो जाने की आशा है ।

(४) जी नहीं । क्योंकि पानी के स्रोत का विवाद गांव वालों ने न्यायालय में पहुंचा दिया है इसलिये काम अभी आरम्भ नहीं हुआ है और काम पूरा होने की तारीख नहीं बताई जा सकती है ।

हिमाचल प्रदेश में बड़ी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम

†२१२४. **श्री मुहम्मद इलियास:**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती विमला देवी :
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में (१) महासू जिला, (२) बिलासपुर जिला, (३) किन्नौर जिला, (४) सिरमूर जिला (५) मंडी जिला और (६) चम्बा जिला में कितने किसानों को हिमाचल प्रदेश बड़ी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम के अधीन स्वामित्व अधिकार मिल गये हैं ;

(ख) अधिनियम के लागू होने के समय चम्बा जिले को छोड़ कर समूचे हिमाचल प्रदेश में कितने व्यक्तियों के पास १२५ रुपये से अधिक के भूराजस्व वाली भूमि थी और चम्बा जिले में कितने व्यक्तियों के पास ३० स्टैण्डर्ड एकड़ से अधिक भूमि थी ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन प्रशासन में आने वाली भूमि, जो पहले उन व्यक्तियों के पास थी जिन का उल्लेख भाग (ख) में किया गया है, की अवैध बिक्री रोकने के लिये क्या हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने कोई कदम उठाये हैं ; और

(घ) क्या भाग (ख) में उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा भूमि की कोई बिक्री की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (घ). आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

हिमाचल प्रदेश मे टायरों का पुनर्नवीकरण[1]

†२१२५. **श्री मुहम्मद इलियास :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती विमला देवी :
श्री मे० क० कुमारन् :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश की तृतीय पंचवर्षीय योजना में वर्ष १९६१-६२ और १९६२-६३ से क्रमशः १५०० टायरों के प्रतिवर्ष नवीकरण और ५०२ बसों और ट्रकों के ढांचे बनाने का उपबन्ध है ; और

(ख) १० अगस्त, १९६२ तक १९६२ में कितने टायरों का पुनर्नवीकरण किया गया और उस तिथि तक कितनी नई बसों और ट्रकों के ढांचे बनाये गये ?

परिवहन तथा तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) हिमाचल प्रदेश की तृतीय पंचवर्षीय योजना में योजना-अवधि में प्रति वर्ष १४५५ टायरों के पुनर्नवीकरण और समूचे योजना-काल में कुल ५१० बसों और ट्रकों के ढांचे बनाने का उपबन्ध है। बसों और ट्रकों के ढांचे बनाने के लिये वर्ष १९६२ में मशीनों आदि की खरीद के लिये आय-व्ययक में ५१,००० रुपये का उपबन्ध किया गया है ।

(ख) वर्ष १९६१-६२ के लिये आय-व्ययक में कोई उपबन्ध नहीं किया गया था और न ही वर्ष १९६२-६३ के आय-व्ययक में हिमाचल सरकार परिवहन की टायर पुनर्नवीकरण योजना के लिये कोई उपबन्ध किया गया है क्योंकि इस में कुछ मशीनें खरीदनी होंगी जिन पर विदेशी मुद्रा का व्यय होगा । अतः यह योजना अभी तक कार्यान्वित नहीं की गई है ।

इस संगठन के कारखाने में १-१-१९६२ से १०-८-१९६२ तक बनाये गये ट्रकों और बसों के ढांचों की संख्या क्रमशः २८ और २ है ।

टाउन इन्स्पेक्टर और वायरलैस लाइसेन्स इन्पेक्टर

†२१२६. **श्री बूटा सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक सेवाओं के निदेशक, दिल्ली के अधीन काम करने वाले टाउन इन्स्पेक्टरों और वायरलैस लाइसेंस इन्सपेक्टरों की कुल संख्या क्या है ; और

(ख) उपरोक्त भाग (क) में निर्दिष्ट श्रेणियों में पदों पर अनुसूचित जाति के पदाधिकारियों की क्या संख्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क)

	टाउन इन्सपेक्टर	३५
	वायरलैस इन्स्पेक्टर	१८
(ख)	टाउन इन्स्पेक्टर	१
	वायरलैस इन्स्पेक्टर	शून्य

---

[1]Retreading.

†मूल अंग्रेजी में

डाक तथा तार कर्मचारी

†२१२७. **श्री बटा सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक डाक तथा तार सर्किल में, श्रेणीवार, उन डाक तथा तार पदाधिकारियों की कुल क्या संख्या है जो १-४-१९६२ तक तीन वर्ष से अधिक काम कर चुके हैं और अस्थायी हैं ; और

(ख) उनको स्थायी बनाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

समुद्र पार संचार सेवा के कर्मचारी

†२१२८. **श्री बूटा सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समुद्रपार संचार सेवा के बड़ी संख्या में कर्मचारी गृह-कार्य मंत्रालय के विशिष्ट आदेशों के विरुद्ध तीन वर्ष की अवधि बीतने पर भी अस्थायी रखे गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी में इन अस्थायी कर्मचारियों की क्या संख्या है और उनको स्थायी बनाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) सम्बन्धित आदेशों में उन अस्थायी पदों में से, जो तीन वर्ष से चल रहे हों और जिनकी नियमित आधार पर आवश्यकता हो, उचित समय पर ८० प्रतिशत पदों को स्थायी बनाने का उपबन्ध है । इन आदेशों में उन सभी कर्मचारियों को, जो तीन वर्ष से अधिक से सेवा कर चुके हों, स्थायी बनाने का उपबन्ध नहीं है ।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में श्रेणीवार उन कर्मचारियों की संख्या, जो १-८-१९६२ को ३ वर्ष से अधिक से सेवा कर रहे हैं और उन अस्थायी कर्मचारियों की संख्या, जिनके स्थायीकरण के मामले समुद्रपार संचार सेवा के सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं, बताई गई है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८३**]

केन्द्रीय तार घर, नई दिल्ली में लम्बित शिकायतें

†२१२९. **श्री बूटा सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही की जांच के दौरान केन्द्रीय तार घर, नई दिल्ली में १५,००० शिकायतें लम्बित पाई गईं ; और

(ख) यदि हां, तो इतनी बकाया के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पशु-चिकित्सा कालिज

†२१३०. **श्री द० ब० राजू :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि कई राज्यों में पशु-चिकित्सा कालिजों में प्रति वर्ष स्थान रिक्त रहे ; और

(ख) यदि हां, तो देश में पशु-चिकित्सा सर्जनों की अत्यधिक कमी को पूरा करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) और (ख). यह सच है कि राज्यों में कुछ पशु-चिकित्सा कालिजों में स्थान रिक्त रहे । जिन राज्यों में पशु-चिकित्सा स्नातकों की कमी पता लगी है, वहां सम्बन्धित राज्य सरकारें अधिछात्र वत्ति, ट्यूशन और परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट, विद्यार्थियों को पुस्तकें और अन्य सामान की आधी लागत दे कर और स्नातकों को अच्छा वेतन-स्तर दे कर प्रेरणा दे रही हैं ।

खड़गपुर रेलवे कर्मशाला में अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारियों की मुअत्तली

†२११३. **डा० रा० बनर्जी :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों में अर्थात् १९५९ से मार्च, १९६२ तक अनुसूचित आदिम जातियों के कई चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को खड्गपुर रेलवे कर्मशाला से नौकरी से हटा दिया गया ;

(ख) क्या उन्होंने अपने मामलों पर पुनः विचार के लिये अपील की है ;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ;

(घ) ऐसे कितने मामले कर्मशाला प्राधिकारियों के पास पड़े हैं ; और

(ङ) उन की अपील पर पुनर्विचार न करने के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) चार व्यक्ति नौकरी से हटाये गये हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) से (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

कलकत्ता के उड़िया बच्चों के लिये रेलवे के प्राइमरी स्कूल

†२१३२. **श्री अ० त्रि० शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता के विभिन्न स्थानों और इसके समीपवर्ती स्थानों में काम करने वाले और रहने वाले उड़िया कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिये कलकत्ते में रेलवे प्राधिकारियों द्वारा उड़िया में कितने प्राइमरी स्कूल स्थापित किये गये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या अन्य स्थानों पर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिये कर्मचारियों को कोई शिक्षण सहायता दी जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में उनको क्या सहायता दी गयी ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

महाराष्ट्र में परिवार नियोजन केन्द्र

†२१३३. { **श्री सोनावने :**
श्री प० ना० कयाल :
श्री सिदय्या :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में थाना और शोलापुर जिलों में तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में अब तक कितने परिवार नियोजन केन्द्र खोले गये और वे किन स्थानों पर खोले गये ; और

(ख) क्या मह राष्ट्र राज्य में अब तक खोले गये परिवार नियोजन केन्द्र योजना में लक्ष्य से कम हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) नवम्बर, १९६१ से थाना और शोलापुर जिलों में निम्नलिखित स्थानों में परिवार नियोजन सेवायें उपलब्ध हैं :—

१. काटेज अस्पताल, दहानू, जिला थाना	(नगरीय)
२. काटेज अस्पताल, जौहर, जिला थाना	,,
३. काटेज अस्पताल, आशागढ़, जिला थाना	,,
४. यू० एस० टी० संख्या २ डिस्पेन्सरी, कल्याण, जिला थाना	,,
५. सेन्ट्रल अस्पताल, यू० एस० टी० संख्या ३, जिला थाना	,,
६. यू० एस० टी० संख्या ४ अस्पताल, कल्याण कैम्प, जिला थाना	,,
७. यू० एस० टी० संख्या ५ डिस्पेन्सरी कल्याण, जिला थाना	,,
८. विक्रमगढ़ डिस्पेन्सरी, कल्याण, जिला थाना	,,
९. यू० एस० टी० संख्या १ कल्याण कैम्प डिस्पेन्सरी, जिला थाना	,,
१०. शान्ती भवन डिस्पेन्सरी, जिला थाना	,,
११. गवर्नमेंट डिस्पेन्सरी, मैन्दारगी, जिला शोलापुर	(ग्रामीण)

(ख) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली

†२१३४. **श्री रबीन्द्र वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में ११५ और स्टाफ नर्सें नियुक्त की जा रही हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या इन स्टाफ नर्सों को अस्पताल के प्रांगण में निवास स्थान देने की व्यवस्था की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी, नहीं । इस समय स्टाफ नर्सों के ६९ पद रिक्त है ।

(ख) इस समय केवल ४८ स्टाफ नर्सें भरती करने का प्रस्ताव है और उन्हें अस्पताल की इमारत में ही निवास-स्थान दिया जायेगा ।

उड़ीसा-मध्यप्रदेश सीमा पर रेल में हत्या

२१३५. **श्री किशन पटनायक** : क्या **रेलवे** मंत्री चलती गाड़ी में पं० लक्ष्मीनारायण मिश्र की हत्या के बारे में १७ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जांच का क्या नतीजा निकला ?

†**रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : पुलिस ने इस मामले की जांच पूरी कर ली है ; इस सम्बन्ध में कोई सुराग़ नहीं मिला ।

चितरंजन स्टेशन पर यात्री-शेड

†२१३६. **श्री बेसरा** :
श्री राम सेवक :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पूर्व रेलवे में चित्तरंजन स्टेशन पर कोई यात्री-शेड नहीं है ; और

(ख) उस स्टेशन पर शेड बनाने के लिय क्या कार्यवाही की जा रही है और यह कब तक बन जायेगा ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं । स्टेशन पर दोनों प्लेटफार्मों पर यात्रियों के लिये ढके हुए शेड हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रूपनारायणपुर में ऊपरीपुल और यात्री-शेड

†२१३७. **श्री बेसरा** :
श्री राम सेवक :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार को रूपनारायणपुर के स्थानीय व्यक्तियों से पूर्व रेलवे के रूपनारायणपुर स्टेशन पर ऊपरी पुल और यात्री-शेड बनाने की प्रार्थना प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कई ऐसे महत्वपूर्ण स्टेशन हैं जहां अभी तक यात्री शेड और पै दल ऊपरी पुल नहीं हैं। उपलब्ध सीमित निधि और संसाधनों के भीतर इनकी कार्यक्रमित आधार पर व्यवस्था की जा रही है और रूपनारायणपुर के मामले पर इसकी बारी पर विचार किया जायेगा।

मध्य रेलवे में दीवा-पनवेल-उरान-आपता रेलवे लाइन

†२१३८. **श्री कजरोलकर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे में दीवा-पनवेल-उरान-आपता रेलवे लाइन का निर्माण आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी प्रगति की गई है ;

(ग) क्या लक्ष्य-तिथि निर्धारित की गयी है ; और

(घ) क्या इस कार्य के लक्ष्य-तिथि से पूर्व समाप्त होने की आशा है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) दीवा-पनवल-उरान और पनवेल-आपता लाइनों का निर्माण प्रगति पर है।

(ख) दीवा-पनवेल-उरान सेक्शन के निर्माण में कुल प्रगति ०.२१ प्रतिशत है और पनवेल-आपता सेक्शन पर .०८ प्रतिशत है।

(ग) पनवेल के रास्ते दीवा से आपता तक लाइन के पूरा करने की लक्ष्य तिथि ३१-३-६४ है और पनवेल से उरान तक लाइन के पूरा करने की लक्ष्य-तिथि ३१-१२-६४ है।

(घ) इसकी संभावना नहीं है। तथापि, पनवेल और उरान के बीच कार्य को कुछ महीने पूर्व पूरा करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

मगरवारा और पटियारा स्टेशनों पर डाका

२१३९. **श्री कृष्ण देव त्रिपाठी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस मास के प्रारम्भ में उत्तर रेलवे के मगरवारा और पटियारा स्टेशनों पर कुछ बदमाशों ने हमला किया ;

(ख) यदि हां, तो स्टेशन की किन इमारतों पर हमला किया गया ;

(ग) कितने व्यक्ति और कौन-कौन व्यक्ति इन हमलों में घायल हुए तथा कितनी सम्पत्ति बदमाश ले गये ; और

(घ) रेलवे स्टेशनों की सम्पत्ति व कार्य करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सरकार क्या कर रही है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) से (ग). ३-४ अगस्त, १९६२ की रात को, १५ और २० के बीच हथियारबन्द डाकू मगरवारा स्टेशन की सीमा में घुस आए और उन्होंने स्टेशन मास्टर के दफ्तर पर धावा बोल दिया। जो रेल कर्मचारी ड्यूटी पर थे, उनको डाकुओं ने मारा-पीटा और तिजोरी तथा टिकट-ट्यूबों को तोड़ कर खोल दिया। सहायक स्टेशन मास्टर श्री भटली राम, सीनियर रक्षक (निःशस्त्र) श्री अजीत सिंह, रक्षक (निःशस्त्र) श्री चन्द्रमा पांडे, पोर्टर श्री जमुना प्रसाद, और शंटिंग पोर्टर श्री राम बचन ने डाकुओं का मुकाबला

†मूल अंग्रेजी में

किया और उन्हें चोटें आयीं। उनका इलाज हो रहा है। डाकू रेलवे की ९८ रु० ८५ नये पैसे की नकदी लेकर भाग गये।

लेकिन पटियारा स्टेशन पर इस तरह की किसी घटना की सूचना नहीं मिली है।

(घ) इस सम्बन्ध में राज्य पुलिस ने, जिस पर शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी है, रोकथाम की आवश्यक कार्यवाही की है। जहां जरूरत होती है, वहां रेलवे सुरक्षा दल के हथियारबन्द सैनिक भी तैयनात किये जाते हैं।

निम्बाहैडा स्टेशन (चित्तौड़गढ़) पर यात्रियों के लिये शेड

२१४०. **श्री बैरवा कोटा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्बाहैड़ा (जिला चित्तौड़गढ़) के रेलवे स्टेशन पर प्रति दिन टिकटों की कितनी बिक्री होती है ;

(ख) कितने वैगन भरे जाते और खाली होते हैं और इनसे रेलवे को कितनी वार्षिक आय है ;

(ग) क्या कारण है कि इस स्टेशन पर यात्रियों के लिये शेड का कोई प्रबन्ध नहीं है ; और

(घ) शेड की कब तक आशा की जा सकती है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) इस स्टेशन पर टिकटों की बिक्री से प्रति दिन ५७० रुपये की औसत आमदनी होती है।

(ख) अप्रैल, १९६१ से मार्च, १९६२ तक के वित्तीय वर्ष में जितने माल डिब्बों को भरा और खाली किया गया उनकी संख्या क्रमशः ४४०२ और ४४५ थी। इसी अवधि में रेलवे को ५,७४,७०९ रु० की आमदनी हुई।

(ग) उपभोक्ताओं की सुविधा के काम के लिए जितनी रकम रखी गई है, उसमें दूसरे स्टेशनों की आवश्यकताओं को देखते हुए जिन्हें प्रथमता दी गई है, इस स्टेशन पर अभी तक यात्री-शेड नहीं बनाया गया है।

(घ) यात्री-प्लेटफार्म पर ४५० वर्ग फुट छत बनाने की मंजूरी दे दी गयी है और यदि इसके लिये रकम उपलब्ध हुई, तो वित्तीय वर्ष १९६३-६४ में इस निर्माण-कार्य को हाथ में लेने का विचार है।

दुग्धसागर प्रपात से बिजली

†२१४१. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दुग्धसागर प्रपात से बिजली बनाने की योजना पर विचार करती रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में यदि कोई अस्थायी निर्णय किये गये हैं, तो वे क्या हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां।

(ख) शीघ्र ही आवश्यक पुनरावेक्षण सर्वेक्षण किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

डाकियों को मकान किराया भत्ता

२१४२. **श्री बेरवा कोटा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाकिये को भारत सरकार का तृतीय श्रेणी का कर्मचारी माना गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनको मकान किराया भत्ता दिया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो कब से ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उन्हें यह भत्ता क्यों नहीं दिया जाता जब कि केन्द्र के सभी कर्मचारियों को दिया जाता है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) :(क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) १-१-४७ से ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल में समुद्र द्वारा भूमि का कटाव

†२१४३. **श्री पोट्टेकाट्ट**: क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ४ अगस्त, १९६२ को आरम्भ हुए भारी मात्रा में समुद्र द्वारा भूमि के कटाव के कारण कन्नानोर शहर (केरल) को भय उत्पन्न हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो शहर को बचाने के लिये सरकार तत्काल क्या कदम उठायेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). केरल सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार ४ अगस्त, १९६२ के बाद कन्नानोर शहर में गम्भीर रूप से समुद्र में कटाव हो गया । कटाव से वहां कुछ इमारतों और नारियल के बागानों को खतरा है । राज्य सरकार लगभग ७ लाख रुपये की लागत के सुरक्षा कार्य का प्राक्कलन तैयार कर रही है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

राजशाही के शरणार्थियों पर पाकिस्तानियों द्वारा कथित आक्रमण

श्री बागड़ी (हिसार) : मैं नियम १९७ के अन्तर्गत प्रधान मन्त्री का ध्यान निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करता हूं और चाहता हूं कि वह इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दें :

पाकिस्तानियों द्वारा राजशाही से आने वाले शरणार्थियों पर आक्रमण ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : श्रीमन्, इस घटना का ब्यौरा इस प्रकार है :

> २१ अगस्त को लगभग साढ़े ११ बजे रात को, मुर्शिदाबाद जिले में रानी नगर थाने के अन्तर्गत चोर राजनगर से एक भारतीय पुलिस अधिकारी नाव से शिवनगर पहुंचा। उसने सुना कि झगड़ा हो रहा और उसे पता चला कि राजशाही जिले में पावा नामक थाने के अन्तर्गत दियार किद्दरपुर के कुछ पाकिस्तानी भारत की जमीन पर ५०० गज भीतर आ गए और दस शरणार्थियों पर हमला करके उन्हें लूटने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग राजशाही की तरफ से दो नावों पर बैठ कर आए थे। जब भारतीय पुलिस अधिकारी ने दो नाविकों के साथ जाकर हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तब पाकिस्तानियों ने उन पर भी हमला कर दिया, जिस पर पुलिस अधिकारी ने आत्म रक्षा के लिये अपने रिवाल्वर से पांच बार गोलियां चलायीं और इस तरह वह जबरदस्ती घुस पैठ करने वाले पाकिस्तानियों को डरा कर भगाने में सफल हो गया। उन दस शरणार्थियों को दोनों नावों सहित बचा लिया गया। दोनों ओर से कोई हताहत नहीं हुआ।
>
> मुर्शिदाबाद के जिलाधीश ने पाकिस्तानी राष्ट्रिकों द्वारा गैर कानूनी तरीके से घुस पैठ करने और मारधाड़ करने के खिलाफ राजशाही के डिप्टी कमिश्नर के पास विरोध पत्र भेज दिया है।

श्री बागड़ी : क्या प्रधान मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस वक्त पाकिस्तानी लुटेरे रेफ्यूजीज को लूट रहे थे और उनको जबर्दस्ती घसीट रहे थे, पुलिस वहां पर पहुंची और उसने फायर किया तो या तो पुलिस की नीति यह थी कि फायर हवाई करें या उन को गिरफ्तार करें लेकिन हमारी पुलिस दोनों नीतियों में विफल रही है, न तो उन लुटेरों को गिरफ्तार कर सकी और न ही उनको जख्मी कर सकी, क्या इस की तह के अन्दर केन्द्रीय सरकार की यह नीति तो नहीं है कि न ही ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाय और न ही उन्हें जख्मी किया जाय, अगर ऐसा नहीं है तो फिर उन को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : ऐसी कोई नीति नहीं है लेकिन माननीय सदस्य ने सुना होगा कि एक पुलिस का अफसर पहुंचा। अब एक आदमी के लिये १०, १२ या जितने भी वे लोग रहे हों उनको पकड़ना उसके लिये जरा दुश्वार हो गया इसलिये उस हालत में जो कुछ वह कर सकता था उसने किया यानी तमंचा चला कर उनको भगा दिया।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : यह जो पाकिस्तानी लोग इधर आये थे क्या उन के पास हथियार भी थे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : अब हथियारों के बारे में तो हमारे पास कुछ नहीं लिखा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

डुमरांव रेल दुर्घटना जांच आयोग

†**श्री योगेन्द्र झा** (मधुबनी): नियम १९७ के अन्तर्गत मैं रेलवे मन्त्री का निम्नलिखित लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :—

रेलवे दुर्घटना जांच आयोग द्वारा अपना कार्य समय के पूर्व बन्द किया जाना ।

†**रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : सरकार द्वारा २१–७–६२ की रात को डुमरांव में ६ डाउन अमृतसर-हावड़ा मेल के साथ हुई दुर्घटना की जांच करने के लिये २७–७–६२ को नियुक्त किये गये जांच आयोग ने ३१–७–६२ और १–८–६२ को दिल्ली में प्रारम्भिक चर्चा की । १३–८–६२ को उसने दुर्घटनास्थल का निरीक्षण किया और २५–८–६२ से पटना में अपनी बैठक शुरू की । जनता को आयोग की सहायता के लिये ज्ञापन आदि भेजने के लिये आवश्यक सूचनाएं समाचार पत्रों में जारी की गई थीं ।

२५–८–६२ को भारत के अतिरिक्त महावादेक्षक श्री सान्याल ने रेलवे की ओर से सफाई पेश करते हुए कुछ कागजातों का निर्देश किया और आयोग को सूचित किया कि वे पुलिस के हाथ में है । बिहार राज्य के वकील श्री आर० के० सिंह ने सवाल किये जाने पर बताया कि वे कागजात बक्सर के सब डिवीजनल अधिकारी के पास हैं । इस पर आयोग ने कहा कि जांच का विषय न्यायाधीन हो सकता है और वकील से उस के बारे में विचार करने के लिये कहा । इस शर्त पर कार्यवाही २५–८–६२ को जारी रही ।

रविवार २६ अगस्त, १९६२ को कोई बैठक नहीं हुई ।

२७ अगस्त, १९६२ तदनुसार सोमवार को श्री सान्याल ने कहा कि यदि कोई फौजदारी अदालत इस मामले को स्वीकार कर लेती है तो उसका अर्थ होगा कि आयो उसके साथ साथ जांच पड़ताल करे और ऐसी जांच पड़ताल का अर्थ होगा फौजदारी अदालत का अपमान करना । आयोग ने बिहार राज्य के वकील श्री आर० के० सिंह से पूछा है कि क्या उपरोक्त रेलवे दुर्घटना का मामला फौजदारी अदालत में चला गया है और क्या फौजदारी अदालत ने उसे स्वीकार कर लिया है श्री सिंह ने बताया कि अभी तक तो स्वीकार नहीं किया गया है परन्तु ३० अगस्त, १९६२ को विचाराधिकार में ले लिया जाएगा । उन्होंने यह भी कहा कि फौजदारी अदालत में इस मामले पर फैसला होने में बहुत समय लग जाएगा और आयोग इसकी जांच पड़ताल काफी पहले समाप्त कर देगा एक केबनमैन के बकील श्री ए० के० दत्त ने बताया कि अगर फौजदारी अदालत इस मामले को विचाराधिकार में ले लेती है तो आयोग अपनी कार्यवाही जारी नहीं रख सकेगा । आयोग ने इस विचार के अनुसार सम्भव है कि श्री आर० के० सिंह को इस मामले की पूरी जानकारी न हो उनसे ध्यानपूर्वक मामले की जांच पड़ताल करने और उस कार्यवाही सम्बन्धी लिखित रिपोर्ट देने के लिये कहा गया है जो दुर्घटना के तुरन्त बाद पहली जानकारी मिलने पर की गई थी । आयोग ने श्री सिंह से आगे कहा है कि इस बीच में फौजदारी अदालत इस मामले को अपने विचाराधिकार में नहीं ले रही है । श्री सान्याल ने बताया कि इस मामले की परिस्थितियों में कार्यवाही करना उचित नहीं होगा ।

२८ अगस्त को बिहार राज्य के वकील श्री सिंह ने एक हस्तलिखित पत्र पेश किया जिसमें बक्सर के एस० डी० ओ० तथा मुंसिफ मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेशों की नकलें दी गई थीं । श्री क० प० बर्मा जिन्होंने २८-८-६२ की बिहार सरकार की ओर से मामले पर नुक्ताचीनी की

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स्वर्ण सिंह]

आयोग की उपस्थिति में श्री सिंह से तथ्यों का सत्यापन किया और उसके बाद कहा कि २४-८-६२ को मामला फौजदारी न्यायालय के विचाराधिकार में था। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के अनुसार फौजदारी न्यायालय में कार्यवाही और आयोग द्वारा जांच साथ साथ चल सकते थे।

ऐसी परिस्थिति में श्री सान्याल ने कहा कि आयोग द्वारा इस अवस्था में जांच से उस मुकद्दमे पर बुरा असर पड़ेगा और सरकार यह नहीं चाहती कि आयोग की जांच का फौजदारी अदालत में अभियुक्त व्यक्तियों के मुकद्दमे पर बुरा असर पड़े। आयोग ने श्री सान्थाल की बात मानते हुए सुनवाई स्थगित कर दी और समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया कि यदि आवश्यक हुआ तो साक्ष्य दर्ज करने के लिय नई तारीख निश्चित की जाएगी।

आयोग के सभापति से प्रतिवेदन मिलने पर अग्रेतर कार्रवाही के सम्बन्ध में निर्णय किया जाएगा।

श्री योगेन्द्र झा : इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। घटनास्थल किसी न किसी राज्य क्षेत्र में हो सकता है। इस तरह अगर राज्य सरकार की पुलिस ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया तो जांच कार्य सम्भव नहीं है। क्या समस्या के इस पहलू की ओर सरकार का ध्यान गया है? अगर हां तो इन कानूनी अड़चनों की सतत सम्भावना से निपटने के लिये सरकार ने कुछ निर्णय किया है? अगर हां तो ये निर्णय क्या हैं?

सरदार स्वर्ण सिंह: यह जरूरी सवाल है। पहले भी इस किस्म की हालत पैदा हुई थी। पंजाब में एक एक्सीडेंट हुआ था--मोहड़ी एक्सीडेंट--उसमें कमीशन ऑफ इनक्वायरी बैठाया गया था लेकिन पंजाब सरकार ने वह मुकदमा नहीं चलाया था। उन्होंने शायद अभी अदालत में चालान पेश नहीं किया था। कमीशन आफ एनक्वायरी के फैसले के बाद फिर अदालत में उन्होंने मुकदमा दायर किया था। यह एक अहम बात है। इस पर विचार करके कोई ढंग निकाला जायगा। ताकि एक ही मामले के मुताल्लिक दो अलहदा जगह यानी फौजदारी अदालत में और हाई पावर कमीशन दोनों के सामने वह चीज चालू न रहे। कुछ इसके मुताल्लिक सोचा जायगा कि क्या किया जाये।

श्री योगेन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय एक प्रश्न में और करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : एक से ज्यादा नहीं कर सकते।

†**श्री निम्बयार** (तिरुचिरापल्लि): सभापति ने डो जांच के दौरान में २८ तारीख को श्री सान्याल से प्रश्न पूछा क्या सरकार को उसका पता है? सभापति ने यह पूछा कि "केन्द्रीय सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि आयोग को रखने से कोई लाभ नहीं होगा, अतः इसे हटा देना चाहिए" और समुपदेशी ने कहा, "कि ऐसा ही होगा। मैं तो आदेशानुसार बोल रहा हूं।" यदि ऐसी बात है तो समुपदेशी को सरकार ने क्या हिदायत दी है?

†**श्री स्वर्ण सिंह**: मैंने अपने वक्तव्य में जो जो तर्क विभिन्न अवस्थाओं पर हुए और जो श्री सान्याल ने कहा बताए थे। जो समाचार पत्रों में समाचार आया है उसका विरोध करना और पुष्टि करना मेरे लिये कठिन है। श्री सान्याल ने यह बात अवश्य कही थी कि यदि न्यायालय और जांच आयोग के सामने साथ साथ कार्यवाही हो रही हो तो यह उचित नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मन्त्री कह सकते हैं कि समाचार पत्रों का समाचार सही है या नहीं ।

†**श्री स्वर्ण सिंह** : श्री सान्याल को कोई आदेश देना आवश्यक नहीं था, क्योंकि यह विधि सम्बन्धी मामला था और उन्होंने वैधिक स्थिति बतला दी ।

†**श्री नम्बियार** : उन्होंने कहा है कि उन्हें आदेश दिया गया था ।

†**श्री स्वर्ण सिंह** : उन्हें कोई विशेष आदेश नहीं दिये गये थे ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : बिना आदेशों के, श्री सान्याल ने, वह वक्तव्य कैसे दिया?

†**अध्यक्ष महोदय** : उसकी जांच की जा रही है । ऐसा ही माननीय मन्त्री ने कहा है । सरकार ने अभी निर्णनय करना है कि जब दोनों चीजें साथ साथ जानी हैं तो जांच कैसे हो सकती है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता दक्षिण-पश्चिम) : क्या माननीय मन्त्री का ध्यान जांच समिति के सभापति ने न्यायालय में जो यह कहा कि कोई जांच की कार्यवाही को बन्द करने की कोशिश कर रहा है उसकी ओर दिलाया है ? इसी सम्बन्ध में क्या माननीय मन्त्री को यह भी पता है कि जब आयोग ने पुलिस की कार्यवाही इत्यादि के कागज मंगवाए तो उन्होंने आयोग के सामने कागज प्रस्तुत करने से इंकार कर दिया है ।

†**श्री स्वर्ण सिंह** : मैं नहीं कह सकता कि निवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने यह बात कही, क्योंकि मैं इसका सत्यापन करना चाहता हूं । मुझे उससे अभी प्रतिवेदन नहीं मिला है । वे न्यायाधिकारी हैं और जो वे कहेंगे मैं मान लूंगा ।

दूसरी बात के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि वे लेख्य पुलिस के कब्जे में थे और न्यायालय में थे और अगले दिन उन लेख्यों की प्रतियां दे दी गई थीं ।

†**श्री मुहम्मद इलियास** (हावड़ा) : क्या केन्द्रीय सरकार और रेलवे प्रशासन में इस जांच की आगे की कार्यवाही में कुछ मतभेद है ?

†**श्री स्वर्ण सिंह** : नहीं, कोई ऐसा मतभेद नहीं है ।

†**श्री दाजी** (इन्दौर) : क्या सभापति ने न्यायालय में कहा कि बिहार सरकार सहयोग नहीं दे रही थी और जांच को रोकना चाह रही थी । यदि हां, तो सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि जांच कि पूरी हो जाए क्या कार्यवाही की है ।

†**श्री स्वर्ण सिंह** : प्रश्न के पहले भाग के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता जब तक कि मैं आयोग के सभापति से इसका सत्यापन नहीं करवा लेता और प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : क्या जांच आयोग को समाप्त कर दिया है या नहीं इसके विषय में उन्होंने कोई ठीक जानकारी नहीं दी है । संसद् का सत्र समाप्त होने से पहले माननीय मन्त्री जो भी सही स्थिति हो उसके सम्बन्ध में बताएं ।

†**श्री स्वर्ण सिंह** : जब इस बात का हम निर्णनय कर लें कि क्या कार्रवाही की जाएगी तो मैं सदन को निश्चय ही बता दूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सदस्य चाहते हैं कि सत्र समाप्त होने से पहले वह जानकारी दे दी जाए ।

†**श्री स्वर्ण सिंह** : मैं कोशिश करूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सहारनपुर के निकट रेल दुर्घटना के संबंध में ध्यान देने के बारे में प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे पास सहारनपुर के नज़दीक रेल दुर्घटना के बारे में कई अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने वाली सूचनायें हैं। एक स्थगन प्रस्ताव भी है। माननीय मन्त्री ४ बजे वक्तव्य देंगे।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : हम चाहते हैं कि स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये ताकि माननीय मन्त्री को त्याग पत्र देने के लिये कहा जाए।

†**अध्यक्ष महोदय** : सदन में तथ्य दिये जाने के बाद में मैं इस पर विचार करूंगा।

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : कल ६ बजे शाम मैं सहारनपुर था। हस्पताल में ७ व्यक्ति थे; शेष प्रथमोपचार के बाद चले गए थे। मेरे विचार में इस समय तक तीन और हस्पताल से चले गए होंगे।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। रेल दुर्घटना हुई है। सदन को जानकारी अवश्य दी जाए।

सदस्य की दोष सिद्धि

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे यह सूचना देनी है कि मुझे एगमोर, मद्रास के पुलिस कमिश्नर से यह सूचना प्राप्त हुई है कि लोक-सभा के सदस्य श्री पी० शिवशंकरन् की २८ अगस्त, १९६२ को एगमोर मद्रास के चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्धि की गई और उन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा १४३ और दण्ड विधि संशोधन अधिनियम की धारा ७ (ख) के अधीन तीन मास की सादी कैद की सजा दी गई।

सदस्य का निलम्बन

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर आफ़ पार्लियामेंटरी अफ़ेयर्ज़।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी): अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन था कि अभी इसी हफ्ते में सिंचाई और विद्युत् मंत्री ने बिहार, आसाम और उत्तर प्रदेश की बाढ़ के बारे में एक वक्तव्य . . .

अध्यक्ष महोदय : जब वह वक्तव्य यहां दिया जायेगा, तो माननीय सदस्य उस को सुन लें।

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, आप मेरा निवेदन तो सुन लें। आप मेरी पूरी बात तो सुन लें, जो कि मैं कहना चाहता हूं।

वह बात तो थी, आज सवेरे रेडियो से ख़बर आई है कि बिहार में दरभंगा, मुज़फ़्फ़रपुर और चम्पारन क्षेत्र में और आसाम में और बाढ़ आने से कई लोग मर गये, सैकड़ों जानवर बह गये, हज़ारों बीघे ज़मीन जलमग्न हो गई और करोड़ों रुपये का नुक्सान हुआ। मैं ने इस सिलसिले में एक

---

†मूल अंग्रेजी में

एजर्नमेंट मोशन दिया था । यह रेलवे एक्सीडेंट से कम महत्वपूर्ण विषय नहीं है । उससे भी ज्यादा महत्व का यह विषय है । ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर यहां पर विचार न हो तो इसको कैसे सहन किया जा सकता है । लोगों को तत्काल सहायता की आवश्यकता है, रिलीफ देने की जरूरत है । ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर इस सदन में विचार न हो, ऐसे महत्वपूर्ण विषय को इस सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में लाने न दिया जाय और उस पर चर्चा न करने दी जाय, तो यह बहुत ही गम्भीर . . . .

अध्यक्ष महोदय : मैंने इजाज़त अभी तक नहीं दी है । आप चर्चा करना चाहते हैं तो चर्चा करते चलें जायें . . . .

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि . . . . .

अध्यक्ष महोदय : अगर आप बोलते चले गयें तो मैं बन्द कर दूंगा कि इस चीज़ को रिकार्ड न किया जाय ।

श्री राम सेवक यादव : * *

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें और मेरी बात को सुन लें । आनरेबल मैम्बर अगर चाहते हैं कि जो हम कार्रवाई कर रहे हैं उसमें कोई तबदीली हो तो उसका यह तरीका नहीं है, यह कायदा नहीं है । पहले वह इसकी मुझे इत्तिला दें कि इस चीज़ के बारे में वह कोई तबदीली चाहते हैं, मुझ से बात करें और बाद में उसको यहां पर लायें, यहां पर उठायें । उसको उठाने से पहले उनको मुझे उसकी इत्तिला देनी चाहिये । कितनी दफा मैंने कहा है खास तौर पर इन आनरेबल मैम्बर साहब को और दूसरों को भी कि इस तरह से खड़ें हो कर दखल देना ठीक नहीं है, यह जो डिसिप्लिन है उसको बिगाड़ता है । मेरी बात को न मान कर आनरेबल मैम्बर बीच में ही खड़े हो जाते हैं, जो उचित नहीं है । अगर वह चाहते हैं . . . .

श्री बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, आन ए प्वाइंट आफ आर्डर । एडजोर्नमेंट मोशन के बारे में जिस प्वाइंट का आपने ज़िक्र किया है, जिस रूल का ज़िक्र किया है, क्या वह इन्हीं पर लागू होता है और रेलवे एक्सीडेंट के बारे में जो चीज़ चली थी, उसके ऊपर यह कानून लागू नहीं होता है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने बाकी मैम्बर साहिबान के लिए भी कहा है । शायद आनरेबल मैम्बर ने सुना नहीं है और बिना सुने हुए ही वह खड़े हो गये हैं । मैंने कहा है यह आनरेबल मैम्बर और बाकी आनरेबल मैम्बर भी । मुझे कोई मौका देते नहीं हैं और बीच में ही बोलना शुरू कर देते हैं । मैंने खुद ज़िक्र किया है कि कालिंग एटेंशन नोटिस है और मिनिस्टर साहब चार बजे उसका ज़िक्र करेंगे, बयान देंगे । मैंने खुद इस चीज़ को हाउस में रखा है, खुद मैं इसको हाउस में लाया हूं ।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर । चूंकि मैं खुद उसको लाया था हाउस में इसलिए मैंने उसको सुना । क्या माननीय सदस्य बैठ जायेंगे या नहीं ?

मैंने माननीय सदस्य को कहा है कि अगर उन्हें कुछ इस में तबदीली की जरूरत है तो वह इसकी मुझे इत्तिला दें . . . .

---

* *कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं की गई ।

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न . . . .

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कोई प्वाइंट आफ आर्डर रेज़ करना चाहते हैं ?

श्री राम सेवक यादव : जी हां ।

किसी भी तरीके से हो लेकिन अध्यक्ष महोदय, रेलवे के बारे में काम रोको प्रस्ताव का सवाल यहां आया । आपने उसको सुना और उसको प्रोसीडिंग्ज़ में रहने दिया । मैंने जिस विषय की चर्चा उठाई, वह विषय कम महत्वपूर्ण नहीं है । लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपने उसको प्रोसीडिंग्ज़ में से निकाल देने का आदेश दे दिया । इस तरह का भेदभाव, मैं निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय की तरफ से नहीं होना चाहिये और इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न को कम से कम इस सदन में उठाने की अनुमति होनी चाहिये । हम लोगों के यहां आने का क्या मतलब है जबकि जनता की जो तकलीफ है, जनता का जो दुख दर्द है, उसको भी हम यहां नहीं रखें . . . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं देता । संसद्-कार्य मंत्री ।

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, बाढ़ जैसे महत्वपूर्ण सवाल के बारे में प्रश्न यहां उठना चाहिये । यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है . . . .

अध्यक्ष महोदय : अगर वह मेरे हुक्म की खिलाफवर्जी करने जायेंगें तो मुझे कोई कदम उठाना पड़ेगा ।

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत ही नम्र निवेदन है . . . .

संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं आप की अनुमति से यह घोषणा करने के लिए उठता हूं

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति; क्या वे बैठेंगे या नहीं ? अगर वह मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं . . . .

श्री राम सेवक यादव : लाखों लोग इस बाढ़ के कारण पीड़ित हैं और यह प्रश्न यहां उठना ही चाहिये

अध्यक्ष महोदय : अगर वह मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं तो मैं मैम्बर साहब को हुक्म देता हूं कि वह बाहर चले जायें । वह अध्यक्ष की बात नहीं मान रहे; मैं ने उन्हें बैठने के लिए कहा है ।

श्री राम सेवक यादव : मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए और इसका विरोध करते हुए बाहर चला जाऊंगा । लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, असम में लाखों लोग बाढ़ के कारण पीड़ित हैं, व मर रहे हैं, उनका सवाल यहां उठाने दिया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बाहर जायेंगे या नहीं जायेंगे ?

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : वे बाहर जा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं देख रहा हूं कि वह बाहर नहीं गये हैं । वह जानबझ कर सदन की कार्रवाई में रुकावट डाल रहे हैं । जब उनको बाहर जाने को कहा गया तो भी वह बाहर जाने को तैयार नहीं हुए ।

कुछ माननीय सदस्य : वह बैठ गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय वह हाउस की कार्रवाई में जान बूझ कर रुकावट डाल रहे हैं।

श्री राम सेवक यादव यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और . . . .

अध्यक्ष महोदय : अब मैं हाउस से कहूंगा कि चूंकि वह हाउस की कार्रवाई को चलने नहीं देते हैं और जानबझ कर उसमें रुकावट डाल रहे हैं और जब उनको बाहर जाने के लिए कहा गया है तो वह जाने के लिए तैयार नहीं हैं, ऐसी हालत में मेरे लिए कोई चारा नहीं बच रहा है कि मैं हाउस के सामने यह तजवीज रखूं कि . . . .

श्री बागड़ी : उनके चले जाने के बाद आप ढोलकी बजाओ।

श्री ज० ब० सिंह (घोसी): अध्यक्ष महोदय, आप हुक्म देंगे तो हम चले जायेंगे। लेकिन यह कहना जरूरी है कि हम लोगों को यहां करना है क्या अगर हम लोगों की जो तकलीफ है, उनका जो दुख है उसको भी हाउस के सामने नहीं रख सकते हैं . . . .

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर।

†**संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री राम सेवक यादव को एक सप्ताह के लिए सभा की सेवा से निलम्बित किया जाय"

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : जो कुछ भी हो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है।

अध्यक्ष महोदय : हाउस के सामने एक तजवीज आई है। उन्होंने जो मैंने उनसे कहा अमल नहीं किया, मेरा कहना उन्होंने नहीं माना, हाउस की कार्रवाई में जानबूझ कर रुकावट डाली, मैंने उनको नेम किया और कहा कि चले जायें लेकिन उन्होंने जाने से भी इन्कार कर दिया। अब वह यहां बैठ कर हाउस की कार्रवाई को चलने नहीं देते हैं। इसके बाद अब मेरे पास कोई चारा नहीं है कि जो मेरे सामने तजवीज आई है कि आनरेबल मैम्बर जो यह हैं . . . .

श्री बागड़ी : लोग मर रहे हैं, देश की इंसानियत . . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** सदन के सामने यह प्रस्ताव है कि राम सेवक यादव को सदन की सेवा से एक सप्ताह के लिए निलम्बित किया जाय।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : हम ऐसा नहीं करने देंगे।

†**डा० रानेन सेन** (कलकत्ता–पूर्व) : हम ऐसा नहीं होने देंगे।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** मुझे इस सदन में एक नहीं अपितु कई सदस्यों के इस प्रकार के बर्ताव को देख कर अत्यन्त दुख होता है। आप ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। वे सब खड़े हो कर बाजू हिलाते हैं और चिल्लाते हैं कि आप गलत हैं। क्या इस तरह से लोकतंत्र चल सकता है ?

श्री बागड़ी : प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे बोल रहे हैं, जैसे कोई डिक्टेटर बोल रहा हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से अगर आप हाउस की कार्यवाही को चलने नहीं देंगे तो हाउस सोच सकता है कि अपनी कार्यवाही को किस तरह से चलाये, किस तरह से इंतजाम करे। मैम्बर सब चुने हुए हैं। अगर चार चार और दस दस एक ही बार में खड़े हो कर बोलना शुरू कर देंगे तो कोई कार्यवाही नहीं चल सकेगी।

श्री राम सेवक यादव : परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई हैं . . . . .

श्री ज० ब० सिंह : बाध्य हो कर हम को जनता की दुख तकलीफ को यहां पर .

अध्यक्ष महोदय : मेरे लिये मुश्किल हो गया है। अगर काम को नहीं आप चलने देंगे तो मुझे मजबूर हो कर हाउस को एडजोर्न करना पड़ेगा। पहले मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को सुनना चाहता हूं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस सदन में कुछ शिष्टता कायम रखनी चाहिये और किसी मामले के सही या गलत पहलू कुछ भी हों . . . .

श्री राम सेवक यादव : डिकोरम का यह मतलब नहीं है कि जनता को आप मार दें, उस की आवाज न सुनें।

श्री त्यागी (देहरादून) : आप की मार्फत मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अगर यह साहबान गाली देते हैं तो दें, लेकिन एक एक कर के दें, बजाय इस के कि सब लोग एक साथ दें, ताकि हम सुन तो लें कि क्या गालियां दी जा रही हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमारा मतभेद हो सकता है, परन्तु यदि शिष्टता कायम न रखी जाये तो संसद् में काम नहीं हो सकता। यहां शिष्टता बिल्कुल नहीं रही है जैसा कि अभी देखा गया है।

दूसरे आप जो कहते हैं उस का पालन करना चाहिये, चाहे हम उसे सही या गलत समझें। यह पहली बात है और संसदी प्रक्रिया है। अब आप ने प्रस्ताव किया है कि कि सदन को निलम्बित किया जाये। हमें आप की इच्छाओं का पालन करना चाहिये और मामला सदन के सामने रखा जाये।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : इस मामले में ऐटा के लोगों पर गहरा प्रभाव डाला है। शिष्टता का प्रश्न उठाना आवश्यक नहीं।

†**श्री बागड़ी** : अगर हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो प्राइम मिनिस्टर को भी कोई नही सुनेगा, इधर वाले नहीं सुनेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रकार यहां पहली बार हुआ है, हमें देखना है कि हम लोग लोकतन्त्र चला सकते हैं। चाहे मैं गलत हूं या सही अध्यक्ष का कहना न मानना गम्भीर बात है। जब मैं ने माननीय सदस्य को बैठने के लिये कहा तो उन्हें बैठना चाहिये। मैं ने हमेशा माननीय सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने की इजाजत दी है। अब भी मैं यह कह रहा था कि यदि उन्हें कोई शिकायत हो तो वे मेरे साथ चर्चा करें। मैं उस पर पुनः विचार कर सकता हूं।

जो कुछ हुआ है, उस पर मुझे खेद है। हम ने राज्यों के लिये उदाहरण कायम करने हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : माननीय सदस्य जितनी देर तक चर्चा करते हैं सदन के बाहर ठहरें और उस के बाद इस प्रस्ताव को न पारित करें ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष के प्राधिकार पर हमें राय नहीं देनी चाहिये और अध्यक्ष के आदेश को मानना चाहिये। माननीय सदस्य को एक सप्ताह के लिये निलम्बित करना तो कड़ा निर्णय है । माननीय सदस्य आप की आज्ञा का पालन करें और सदन से चलें जायें । इस प्रस्ताव को सदन में पारित न किया जाये ।

श्री जगदेवसिंह सिद्धांती (झज्जर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आप के मान के साथी हैं । आप के आदेश का पालन करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत महत्व का सवाल है जो इनवाल्व्ड है . . . . . .

श्री स० मो० बनर्जी : मेरी दरख्वास्त है . . . . .

अध्यक्ष महोदय : दरखास्त का सवाल नहीं है . . . .

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : चूंकि यह मामला पहली बार सदन में उठा है अतः इस संशोधन को स्वीकार किया जाय कि सदस्य को एक दिन के लिये सदन से जाने के लिये कहा जाय ।

अध्यक्ष महोदय : जब वह चले जायें इस बात पर फिर उस का अमेंडमेंट आये और उस को भी फ्लाउट कर के जायें, इस से मुझे बड़ी हैरानी होती है । और अभी तो मेरे सामने यह सवाल है, इस बात के अमेंडमेंट का सवाल इस वक्त मेरे सामने नहीं है । अगर वह रिग्रेट करें और हाउस चाहे तो उन को दूसरे दिन भी माफ कर सकता है, लेकिन यह दूसरी बात है । वह सवाल इस के बाद है । इस वक्त मेरे सामने यह प्रोपोजल है । प्रश्न यह है :

"कि रामसेवक यादव को सभा की सेवा से एक सप्ताह के लिये निलम्बित किया जाये ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जिन माननीय सदस्यों के मत ठीक प्रकार से अभिलेख में नहीं आये हैं, वे अपने स्थानों में खड़े हो जायें ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस वक्त सवाल सिर्फ एक है, पहला सवाल, और वह यह है कि आप का हुक्म माना जाये, या नहीं, और हम कायदे से काम करें या नहीं । एक तजवीज मेरे साथी ने रक्खी है जो आप के सामने है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं उन से प्रस्ताव वापिस लेने का प्रस्ताव करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : एक बात मैं उन साहबान से कहना चाहता हूं कि एक चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस मोशन को विधड्रा किया जाये । आप ने देख लिया कि उन का क्या ऐटिट्यूड था । उन्हें स्पीकर के खिलाफ रिफ्लेक्शन किया और कहा कि मैं पार्टीजन हूं, मैं इपार्शल नहीं रहा । दूसरे जब वे जाने लगे तो इस बात पर नहीं गये कि मैं ने उन से कहा था कि आप चलें जायें वे कहते हैं कि हम अपने रोष पर जाते हैं, खुद जाना चाहते हैं । उन्हों ने उस की तामील भी फौरन नहीं की । अगर इस के बाद भी मैम्बर साहबान यह समझते हैं कि उन का जो मोशन है उस को पास न किया जाय, तो मैं नहीं समझता कि क्या किया जाय । एक तो जब उन से कहा गया कि बाहर आयें तब उन्होंने हुक्म की तामील नहीं की, उस के बाद जब बाहर जाने लगे तो यह नहीं कहा कि चेअर के हुक्म के मुताबिक वे बाहर जा रहे हैं । अगर यह मेरे सामने होता तो बेशक यह तरीका था, लेकिन यह मोशन तो अब

†मूल अंग्रेंजी में

[अध्यक्ष महोदय]

हाउस के सामने है, जिसकी तौहीन की गई है। यह सवाल मेरी जात का नहीं है, हाउस के लिये समझना चाहिये, सारे हाउस के लिये। जो सैक्शन मेरे लैफ्ट साइड पर है उस को माननीय सदस्यों को भी समझना चाहिये कि यह उन की बेइज्जती है, यह सारे हाउस की बेइज्जती है। क्या इस पर उन को अफसोस नहीं है और क्या वे अब भी यह चाहते हैं कि इस मोशन को पास न कर के उन को माफ कर दिया जाये ?

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन सुन लें। मेरी मंशा कभी भी अध्यक्ष महोदय के आदेशों की अवहेलना करने की नहीं है। लेकिन जब महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं तो हमारे लिये नामुमकिन हो जाता है कि हम उसे न उठायें क्योंकि वह महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और जनता के जीवन का सवाल होता है, लाखों लोगों का सवाल होता है। यह भी ऐसा ही प्रश्न है और चूंकि आप इस को उठाने का मौका नहीं देते हैं, इसलिये मैं प्रोटैस्ट में सदन से बाहर चला जाता हूं।

श्री बागड़ी : मैं भी सरदार के साथ वाक आउट कर के जा रहा हूं।

(श्री राम सेवक यादव, श्री बागड़ी और कुछ अन्य सदस्य सभा से बाहर चले गये)।

श्री ज० बा० सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक नम्र निवेदन है, और वह निवेदन आप से है। आप ने हमारी फीलिंग्स को नहीं समझा। जो भी यादव जी कह रहे थे, उस को नहीं समझा। आज ही मेरी डिस्ट्रिक्ट से तार आये हैं कि वहां की स्थिति गम्भीर है। अगर हम एजिटेटेड होते हैं और ऐसे सवाल पर आप से कुछ निवेदन करते हैं, तो आप हमारी फीलिंग्स को समझिये। आप भले ही हमें निकाल दीजिये, लेकिन हम भी कोई जिम्मेदारी लेकर पार्लियामेंट में आये हैं। इसलिये आप से मेरा यह निवेदन जरूर है कि इस प्रश्न पर हमें आप अवश्य मौका दीजिये कि हम अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को, जब आप वाजिब समझें तब यहां रख सकें।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : प्रस्ताव को सदन की अनुमति से वापस लिया जाय।

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य ने जिम्मेदारी की चर्चा की। पहली जिम्मेदारी है कि हम यहां ठीक तौर से काम करें, जब आप कहें तब खामोश रहें, बार बार खड़े न हों। यहां डिस्पिलन भी कुछ रक्खें। पहली जिम्मेदारी यह है, नहीं तो काम ही नहीं हो सकता। क्या केवल उन्हीं के दिल में कोमल हृदय है जो तकलीफ महसूस करता है और दूसरों के लिये उठता है ? अगर दिल में तकलीफ हो तो गुल मचा कर सरे बाजार चिल्लाते नहीं हैं, और न चिल्लाने की जरूरत है। उससें वहां तकलीफ भी कम नहीं हो जायेगी।

मत विभाजन का इस प्रकार से नतीजा है।

पक्ष में : २३५; विपक्ष में २९।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा)**: मैं घोषणा करता हूं कि अगले सप्ताह में जो कि ३ सितम्बर से आरम्भ होगा सरकारी कार्य यह होगा :—

(१) आज के आदेश पत्र में से बचे हुए किसी कार्य पर चर्चा।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) संविधान (चौथवां संशोधन) विधेयक, १९६२ उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, १९६२ पर तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (संशोधन) विधेयक, १९६२ पर विचार और इन विधेयकों का पारित किया जाना।

(३) परिसीमन विधेयक, १९६२ को संयुक्त समिति को निर्दिष्ट करने के लिये अनुमति के लिये प्रस्ताव पर विचार।

(४) अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा।

(५) नियम, १५३ के अन्तर्गत देहली में शान्ति-व्यवस्था स्थिति पर विचार।

(६) जीवन बीमा निगम के ३१ दिसम्बर, १९५५ और १९६० को समाप्त होने वाले वर्षों के लिये प्रतिवेदनों पर चर्चा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : क्या हम देश में बाढ़ स्थिति पर भी चर्चा कर सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : बाढ़ों के बारे में सदन के पटल पर एक विवरण रखा गया। इस विवरण पर चर्चा करने के लिये सदस्यों ने कहा था। वे जानना चाहते हैं कि क्या सरकार बाढ़ स्थिति पर चर्चा के लिये कुछ समय देगी?

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : सिंचाई और विद्युत् मंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने गये हैं। वह संभवतः सोमवार को लौटेंगे। सभा स्थगन होने के पहले इस विषय पर चर्चा के लिये २ ½ घण्टे चर्चा हो सकती है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हम सोमवार को इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं ; कदाचित यह मंगलवार को भी हो सकती है।

†**श्री कामत** : श्रीमान, २७ जुलाई, १९६२ के बुलेटिन के भाग—१ में संसदीय तथा अन्य कार्यों के सम्बन्ध में दी गई जानकारी के अन्तर्गत विधेयकों के सम्बन्ध में १५ मदें दी गई हैं। ये सब पुरःस्थापन, विचार और पारित करने के लिये हैं। किन्तु इन में से कुछ अभी तक पुरःस्थापित नहीं किये गये हैं। क्या सरकार की यह पद्धति है कि लोक सभा का सत्र प्रारम्भ होने के दस दिन बाद कार्य-सूची दी जाती है और उस पर भी उसे कार्यान्वित करने के लिये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। अतः संसद कार्य मंत्री से विशेष रूप से तथा अन्य सब मंत्रियों से सामान्यतः यह कहा जाये कि वे भविष्य में एक निश्चित कार्य-सूची बतायें। यदि सरकार पांच सप्ताह के सत्र के लिये कुशलतापूर्वक कार्यक्रम तैयार नहीं कर सकती है तो समग्र राष्ट्र के लिये पंचवर्षीय योजना का निष्पादन वे किस प्रकार कर सकते हैं ?

†**श्री सोनावने** (पंढरपुर) : कार्यमंत्रणा समिति ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिवेदन पर, जो सभा पटल पर रखा गया है, चर्चा के लिये अगले सप्ताह की कार्य-सूची में समय निर्धारित नहीं किया गया है।

†**श्री सत्य नारायण सिंह**। मैंने इस विषय पर चर्चा का समावेश किया है। यह यदि इस सत्र में नहीं किया जा सका तो अगले सत्र के प्रारम्भ में उस पर चर्चा होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : मैं उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन के लिये विधेयक प्रस्तुत करने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री क० च० रेड्डी** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगत)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

"कि भारत का रक्षित बैंक अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने और उसके परिणामस्वरूप भारत का राज्य बैंक अधिनियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इन संशोधनों को प्रस्तुत करने का उद्देश्य विधेयक के साथ प्रस्तुत विवरण में पर्याप्त स्पष्ट कर दिया गया है ; अत: मैं विस्तृत भाषण नहीं दूंगा । विधेयक का एक उद्देश्य है निर्यातकर्ताओं को थोड़ी अवधि के लिये दिये जाने वाले ऋण सम्बन्धी शर्तों को उदार बनाना । यहां मैं संक्षेप में यह बता दूं कि हमने कठिन अथवा नवीन वस्तुओं को बाहर भेजने वाले भारतीय निर्यातकर्ताओं को वित्तीय सहायता देने के कार्य को सुविधाजनक बनाने का प्रयत्न किया है ।

निर्यातकर्ताओं के सामने स्वभावत: कठिन समस्या है । माननीय सदस्य इस बात से परिचित हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रवृत्तियां इस बात की द्योतक हैं कि निर्यात करनेवाले देशों में ऋण प्राप्त करने की होड़-सी लगी हुई है । इन देशों में वस्तुओं की बिक्री को लोकप्रिय बनाने के लिये ऋण अपेक्षाकृत सरल शर्तों पर और दीर्घ अवधि के लिये उपलब्ध हो जाते हैं । इंजीनियरी और पूंजीगत पदार्थों एवं टिकाऊ वस्तुओं के बारे में उक्त सुविधायें विशेष रूप से उपलब्ध हैं । यह प्रवृत्ति हमारे देश के लिये सर्वथा स्तुत्य नहीं है । हम तो इस बात के लिये प्रयत्नशील हैं कि निर्यात की गई वस्तुओं की रकम शीघ्र प्राप्त कर भावी विकास के लिये उसे प्रयुक्त किया जा सके । किन्तु यह बात सर्वथा हमारे हाथों में नहीं है और निर्यातकर्ताओं का हित संवर्द्धन करने और निर्यात व्यापार के चतुर्दिक विकास के लिये दीर्घगामी दृष्टिकोण अपना कर ऋण सम्बन्धी सुविधाओं में आवश्यक परिवर्तन करना पड़ेगा ।

दूसरे देशों के अनुभवों को दृष्टिगत करते हुए हमने यह निर्णय किया है कि यदि ऋण की आवश्यकता ६ महीने से कम अवधि के लिये है, तो एक विशिष्ट और पृथक संस्था की ओर से

---

†मूल अंग्रेजी में

इस ऋण की व्यवस्था की जा सके। उद्योगों के लिये पुनर्वित्त निगम इस आवश्यकता की पूर्ति करता है।जब भी ६ महीने से अधिक अवधि के लिये ऋण की आवश्यकता हो, उक्त निगम से उन्हें आवश्यक सुविधायें प्राप्त हो सकती हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये निगम के मूलभूत समझौतों में उपयुक्त संशोधन कर दिये गये हैं। भारत का राज्य बैंक पुनर्वित निगम का सदस्य होने के साथ ही सब से बड़ा वाणिज्यिक बैंक भी है और आज की कठिन स्थिति में हम यह आशा करते हैं कि निर्यात व्यापार में इस बैंक की ओर से वित्तीय सहयोग तथा ऋण सम्बन्धी सुविधायें प्रदान की जायें। बैंक का कार्य सम्पूर्ण विश्व में फैला हुआ है; यह इस काम के लिये पूर्ण समर्थ है। निर्यात व्यापार के लिये ६ महीने से अधिक अवधि के लिये ऋण देने की व्यवस्था करने के लिये हमें बैंक की उन संविधियों में परिवर्तन करना होगा, जो इस दिशा में बाधक हैं। मौजूदा विधेयक का उद्देश्य पुनर्वित्त निगम के कार्य संचालन को व्यापक रूप देने के साथ ही यह उपबन्ध करना भी है जिसके अन्तर्गत राज्य बैंक ७ वर्ष की अवधि तक के लिये निर्यातकर्ताओं को ऋण दे सके।

६ महीने की अवधि तक आवश्यक वित्त की व्यवस्था का उत्तरदायित्व केन्द्रीय बैंक का होना चाहिये। रक्षित बैंक ने भी इस स्थिति को स्वीकार कर लिया है लेकिन चूंकि बैंक संविधि का निर्माण १९३४ में किया गया—उस समय आज की आवश्यकताओं और परिस्थितियों की कल्पना भी असंभव थी—भारत का रक्षित बैंक अधिनियम के अधीन ३ महीने से अधिक अवधि के लिये ऋण देना संभव नहीं है। विधेयक के खंड ३ में इस कठिनाई को दूर करने का प्रयत्न किया गया है। खंड ३ के उपबन्धों के अधीन भारत से अनुसूचित बैंकों अथवा राज्य सहकारी बैंकों की मार्फत निर्यात के लिये ६ महीने की अवधि तक के लिये ऋण मिल सकता है। ऋण प्राप्त करने वाले बैंकों और निर्यातकर्ताओं के हित की दृष्टि से ऋण सम्बन्धी शर्तें भी सरल कर दी गई हैं।

अब मैं ऋण सूचना केन्द्र की स्थापना के बारे में विधेयक में उल्लिखित अन्य मुख्य उपबन्ध की चर्चा करूंगा। रक्षित बैंक के पास अनुसूचित बैंकों द्वारा रखी जाने वाली न्यूनतम राशि के बारे में कुछ उपबन्ध रखने का प्रस्ताव है।१९३४ में निर्मित इसके मूल रूप के अनुसार न्यूनतम आवश्यकता २ प्रतिशत थी। तत्कालीन परिस्थितियों में यह व्यवस्था युक्तिसंगत थी क्योंकि इसके अन्तर्गत बैंक इस बात के लिये विवश थे कि वे रक्षित बैंक के पास कुछ ऐसी रकम रखें, जो अनुचित रूप से अधिक अथवा कम न होने पर भी पर्याप्त हो। किन्तु १९३४ के पश्चात् और विशेष रूप से गत १० वर्षों में परिस्थितियों में काफी परिवर्तन आ गया है। न्यूनतम राशि के बारे में पुनर्विचार किया गया है और रक्षित बैंक के परामर्श से यह निर्णय किया गया है कि अब बैंकों के दायित्व की ३ प्रतिशत राशि रक्षित बैंक के पास न्यूनतम राशि के रूप में रखना अब युक्तिसंगत होगा। खंड ४ के द्वारा यही परिवर्तन किया गया है। इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार की अधिकतम राशि रक्षित बैंक के पास १५ प्रतिशत निर्धारित की गई है।

अब मैं ऋण सूचना केन्द्र की चर्चा करता हूं। १९४६ में जब विभिन्न ऋण प्राप्त करने वालों की ऋण चुकाने की क्षमता और वित्तीय स्थिति के बारे में सूचना संग्रह करने का विचार किया गया है, तब से ही इस विषय पर विचार किया जा रहा है। हम इस विषय में जल्दबाजी में कोई कानून नहीं बनाना चाहते क्योंकि अनेक बैंक इससे प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित हैं और हम उनका सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के इच्छुक हैं। इस सूचना के संग्रह आदि का उत्तरदायित्व रक्षित बैंक को सौंपने के पहले ऐसा करना श्रेयस्कर है।

प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के प्रतिनिधियों से इस विषय पर चर्चा की गई है और मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि बड़े पैमाने पर ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं की व नवीन सेवाओं के उपरोक्त उपबन्ध का सामान्यतया स्वागत हुआ है।

यह एक साधारण विधेयक है और इसके निश्चित लक्ष्य हैं। मुझे विश्वास है कि सभा इस बात से सहमत होगी कि विधेयक के प्रस्ताव अविवादास्पद हैं और स्थिर भूमि पर आधारित हैं। अन्त में मैं यह आशा व्यक्त करता हूं कि सदन के सब पक्ष इसका समर्थन करेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : मैं भारत के रक्षित बैंक अधिनियम के संशोधनों का स्वागत करता हूं। इससे निर्यातकर्ताओं को सहायता मिलेगी। ऋण के लिये अवधि भी बढ़ा दी गई है। जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया है यह विधेयक अविवादास्पद है किन्तु मुझे दो बातों का स्पष्टीकरण चाहिये।

रक्षित बैंक के जन्म काल से ही गवर्नर और डिपुटी गवर्नर बैंक में पूरे समय के कर्मचारी रहे हैं। किन्तु अब उनके कार्य अत्यंत जटिल हो गये हैं, मुद्रा सम्बन्धी तथा विदेशी मुद्रा की बहुगुणी समस्याएं प्रसूत हो गई हैं। फिर यह समझ में नहीं आता कि इन परिस्थितियों में सरकार गवर्नर और डिपुटी गवर्नर को अधिक काम नियत करने का उपबन्ध क्यों कर रही है। ऐसा करने से उनका ध्यान विरत हो जायेगा। रक्षित बैंक के कार्य-संचालन तथा तत्सम्बन्धी मुद्रा नीति के अतिरिक्त और कोई कार्य उन्हें नहीं सौंपना चाहिये।

मैं खण्ड ३, के उप-खण्ड (ख) से सहमत हूं किन्तु एक या दो बातों की जानकारी चाहता हूं। मैंने पहले भी माननीय मंत्री जी का ध्यान इस विषय की ओर आकृष्ट किया था कि हमारे देश का ५० प्रतिशत निर्यात व्यापार स्टर्लिंग हुण्डी के माध्यम से होता है और ये हुण्डियां उन बैंकों द्वारा खरीदी जाती हैं जो इनकी परिपक्वता तिथि तक न ठहर कर लंदन के बाजार में उन्हें भुना लेते हैं। वहां दर ऊंची है और इस प्रकार हमें विदेशी मुद्रा की हानि रहती है। लंदन में इन्हें भुनाने के बजाय भारत के रक्षित बैंक द्वारा अग्रिम रूप देने का एक सुझाव था। क्या मौजूदा खण्ड के अन्तर्गत इस प्रकार की शक्ति प्रदान की जा रही है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और वर्तमान व्यवस्था से हमें विदेशी मुद्रा की हानि वहन करना पड़ रहा है।

दूसरी बात निक्षेप के प्रारूप से सम्बन्धित है। पूर्ववर्ती उपबंध के अनुसार समय दायित्व का दो प्रतिशत और मांग दायित्व का पांच प्रतिशत रखा गया था। अब इस प्रारूप में परिवर्तन किया जा रहा है और इसे मांग और समय दायित्व का तीन प्रतिशत किया जा रहा है। सब कुल मिलाकर १५ प्रतिशत सीमा भी स्वागत योग्य है। किन्तु यह १५ प्रतिशत निक्षेप पूर्णतः नकद होना आवश्यक नहीं है। यह सरकारी पत्रों पर पूंजी विनियोग के रूप में अथवा स्वीकृत शेअरों के रूप में भी हो सकती है। यदि ऐसा न हुआ तो आम अर्जन क्षमता पर आघात होगा।

हम इस सभा में निरन्तर यह मांग करते रहे हैं कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी जाने वाली अग्रिम राशि पर रक्षित बैंक का कठोर नियंत्रण हो अन्यथा पलाई बैंक जैसी कठिनाइयों का फिर सामना करना पड़ेगा। इस दिशा में रक्षित बैंक ने जो छूट दी है वह उचित नहीं है। खण्ड ३ मे कही गई यह बात तो ठीक है कि जानकारी अथवा सूचना गलत होने

†मूल अंग्रेजी में

पर रक्षित बैंक के पदाधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की युक्ति दी गई है किन्तु यह इस समस्या का केवल कानूनी और प्रविधिक पहलू ही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ऋण चुकाव के सामर्थ्य को प्रमाणित किया जायेगा अथवा नहीं। इसमें केवल यह बताया गया है कि रक्षित बैंक अन्य बैंकों को ऋण प्राप्त कर्ता के अन्य ऋणों के सम्बन्ध में जानकारी देगा। इसका अर्थ यह है कि रक्षित बैंक उत्तरदायित्व स्वीकार कर रहा है। रक्षित बैंक के उक्त आशय के प्रमाण पत्र का अर्थ ही है कि यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हुई तो वह बैंक इसके लिये उत्तरदायी होगा। इससे रिजर्व बैंक को यह भी मालम हो जायेगा कि बाजार में कौन कौन व्यक्ति ऋण प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार की जानकारी के अभाव में ऐसे व्यक्ति पैदा हो सकते हैं जो विभिन्न बैंकों से ऋण लेकर देश में जटिल स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं।

हम रक्षित बैंक का अन्य बैंकों पर कठोर नियंत्रण चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि अब जो सुविधाएं दी जा रही हैं उनसे निर्यातकर्ताओं को लाभ प्राप्त होंगे और वाणिज्यिक बैंकों के कार्य-संचालन में सुधार होगा।

रक्षित बैंक की कुछ शाखाओं में नकदी विभाग का काम ठेकेदार के हाथों में है। यह आश्चर्यजनक है कि सरकारी क्षेत्र में नकदी विभागों का काम ठेकेदार खजानचियों के सुपुर्द कर रखा है। इस प्रकार का परिवर्तन क्यों नहीं किया जाता कि भविष्य में ठेकेदार यह काम नहीं करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का स्वागत करता हूं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

†**श्री व० बा० गांधी** (बम्बई मध्य दक्षिण) : हम विधेयक का समर्थन करने में मैं भी प्रभातकार के साथ हूं। ऐसा करने में के दो कारण हैं :—ऋण सम्बन्धी सुविधाओं में नरमी बरतना और निर्यात को प्रोत्साहन देना।

इस विधेयक के अन्तर्गत भारत का रक्षित बैंक १८० दिन की अवधि के लिये केवल एक हस्ताक्षर पर भी ऋण दे सकता है। ऋण प्राप्त करने वाली संस्था निर्यात के पेटे सात वर्ष की अवधि तक ऋण रख सकती है। ये प्रस्ताव सही दिशा की ओर हैं और निर्यात व्यापार पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

ऋण प्राप्तकर्ताओं द्वारा ऋण चुकाने की क्षमता सम्बन्धी सूचना संग्रहीत करने और उसके संचयन एवं समेकन की व्यवस्था प्रशंसनीय है। इस नवीन व्यवस्था से अनेक शुभ परिणाम निकलेंगे।

न्यूनतम रकम रक्षित बैंक के पास रखने के उपबंध के सम्बन्ध में भी मुझे कुछ कहना है। १९५१–५२ में मांग-निक्षेप की रकम ४१४ करोड़ रुपये थी ; १९६१–६२ में यह ७३८ करोड़ रुपये हो गई अर्थात् इसमें ७५ प्रतिशत वृद्धि हो गई। इसी प्रकार समय-निक्षेप में भी १९५१–५२ में २३८ करोड़ रुपये से बढ़कर १०१० करोड़ रुपये हो गये। यह स्पष्ट है कि न्यूनतम रकम के लिये समान दर अथवा समान प्रतिशत अच्छा उपबन्ध है।

श्री यशपाल सिंह : (कैराना) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, लेकिन एक दो एतराजात भी पेश करता हूं। पहला एतराज मुझ को क्लाज ३ से है। उस में लिखा

†मूल अंग्रेजी में

[श्री यशपाल सिंह]

है कि केन्द्रीय सरकार गवर्नर अथवा डिपुटी गवर्नर को केन्द्र अथवा राज्य सरकार की प्रार्थना पर इस अधिनियम से सम्बन्धित अथवा असम्बन्धित कोई ऐसा काम करने की अल्पकालिक और अवैतनिक आधार पर अनुमति दे सकती है जो उनके गवर्नर या डिपुटी गवर्नर के कार्य में बाधक न हों। मुझे इस क्लाज से इस लिये एतराज है कि जो हमारे गवर्नर या डिपुटी गवर्नर होंगे उन की पोस्ट बहुत आनरेबल है और उस को किसी भी हालत में दूसरा काम नहीं सौंपना चाहिये। जब हम हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के लिये या हाई कोर्ट के किसी भी जज के लिये यह कानून बनाते हैं कि रिटायर होने के बाद वह किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा तो गवर्नर या डिप्टी गवर्नर की पोस्ट उस से कुछ कम जिम्मेदार नहीं है। उतनी ही आनरेबल पोस्ट है। उस की आनरेबल पोस्ट की इज्जत रखने के लिये हमें यह रूल जरूर बनाना चाहिये कि कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर या डिप्टी गवर्नर को रिक्वस्ट नहीं कर सकेगी कि वह कोई दूसरा काम अपने हाथ में लें। क्योंकि हमें अपने लाज के प्रेसटिज को खुद कायम रखना है। जब हम किसी ऐसे आदमी को कोई काम सौंपते हैं जो उसकी पोजीशन से छोटा काम हो तो इससे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं चल सकता। मैं हमेशा इस हाउस में यह कहता रहा हूं कि और मेरी हमेशा यह राय रही है कि ऊंची पोस्ट के जो माननीय गवर्नर या डिप्टी गवर्नर हैं उनको चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट यह दरख्वास्त न कर सकें कि उनको कोई पार्ट टाइम काम करना है।

इसके साथ साथ मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। इसमें दिया गया है कि निर्यातकर्ताओं को ६ महीने से अधिक अवधि के लिये ऋण दिया जा सकता है। मैंने इस बिल की एक एक लफ्ज करके पढ़ा है लेकिन मुझे इसमें एग्रीकल्चरिट्स के लिए कोई प्रावीजन नहीं मिला जो कि उनकी इमदाद के लिए या लोन के लिए रखा गया हो। इस-लिए यह जरूरी है कि एग्रीकल्चरिट्स के लिए भी इसमें एक क्लाज जोड़ा जाए जिसमें उनको इसी तरह से लोन देने का प्रावीज़न हो और उसकी अवधि भी इसी प्रकार की हो।

श्री ब० रा० भगत : अगर वह एक्सपोर्ट करेंगे तो उनको भी यह सुविधा मिलेगी।

श्री यशपाल सिंह : आपको धन्यवाद।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जो पेनाल्टी रखी गयी है यह बहुत कम है। जो ब्रीच आफ फेथ करता है उसको कम से कम पांच साल की सजा होनी चाहिए क्योंकि अगर लोग विश्वासघात करेंगे तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल सकेगा इसलिए इसके लिए सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और जो मैंने सजेशन दिए हैं उन्हें मंजूर करने का निवदन करता हूं।

†**श्री मुरारका** (झूंझनू) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। किन्तु एक दो बातों की ओर मुझे माननीय उपमंत्री जी का ध्यान दिलाना है। रक्षित बैंक के साथ निक्षेप रखने का मुख्य अभिप्राय: निक्षेपकों के लिये सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना बैंकों को बिना सोच विचार किये ऋण देने की कार्यवाहियों से रोकना है। जैसा कि आप जानते हैं मांग निक्षेप

†मूल अंग्रेजी में

का अर्थ है बिना पूर्व सूचना रकम वापस लेना और समय निक्षेप से अभिप्राय है निर्धारित समय के लिये रकम जमा रखना। इस निर्धारित समय के पहले भी पूर्वसूचना देकर कुछ ब्याज छोड़ने पर यह रकम वापस की जा सकती है। इन दोनों में विभेद युक्तिसंगत है किन्तु दोनों के लिये समान दर निर्धारित करने से मांगने पर मिलने वाली रकम जमा करने वालों को हानिप्रद सिद्ध होगी।

यद्यपि यह प्रस्ताव रखा गया है कि पूर्ण दायित्वों की सीमा ३ प्रतिशत निश्चित की जाये तथापि पूर्ण दायित्वों की सीमा १५ प्रतिशत तक बढ़ाने की शक्तियां प्राप्त करने की गयी हैं।

जहां तक समय बद्ध दायित्वों का प्रश्न है, अधिकतता प्रतिशत ८ है तथा मांग दायित्वों के संबंध में यह २० प्रतिशत है। परन्तु जब हम उन दोनों के संबंध में ३ प्रतिशत निश्चित करते हैं तो इन दोनों को १५ प्रतिशत आदि तक बढ़ा देने की शक्ति का प्राप्त करना अनावश्यक है। इस शक्ति के होने से समस्त बैंक-व्यापार पद्धति के साख की काफी कम हो जाने की संभावना है इससे ऋण देने की क्षमता में भी काफी कमी आ जायेगी अतः मेरे विचार से 'समय दायित्वों' और 'मांग दायित्वों' के भेद को दूर करने का कोई कारण नहीं है।

खंड ७ का उद्देश्य भारत के राज्य बैंक की धारा २३ का संशोधन करना है। इसके द्वारा भारत का राज्य बैंक निर्यात व्यापार की सहायता के लिये ७ वर्षों की अवधि के लिये ऋण दे सकेगा। यदि इस नये उपबंध का उद्देश्य वाणिज्य तथा व्यापार को वित्तीय सहायता देना है तो हमारे लिये विस्तृत नियम बनाये जाने चाहियें।

यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि क्या ऋण केवल सारभूत आस्तियों पर ही दिया जायेगा जिनका कि हम निर्यात करते हैं अथवा क्या यह उपभोक्ता वस्तुओं और कच्चे माल पर भी होगा यदि यह इस प्रकार की वस्तुओं पर भी मिल सकेगा तो उन ऋणों की प्रतिभूति क्या होगी जो सात वर्ष के लिये होंगे ?

†**श्री राम रतन गुप्त** (गोंडा) : मैं श्री मुरारका से इस बात में सहमत हूं कि 'सममबद्ध निक्षेपों' और 'मांग निक्षेपों' का अन्तर बनाये रखा जाये। इन दोनों प्रकार के ऋणों को एक ही दर्जा देना उचित नहीं है

तथापि देश की बैंकिंग प्रणाली से हुए अनुभव को देखते हुए अवधि की सीमा को बढ़ा कर १५ वर्ष करना ठीक नहीं है आज देश में कीमतों की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि भारत रक्षित बैंक को आवश्यक शक्तियां दी जायें जिससे वह आवश्यक प्रतिबन्ध लागू कर सकें।

मेरे विचार से इस मामले में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि बैंक इस मामले में ठीक दृष्टिकोण से काम लेगा।

पहिले हम केवल पटसन का निर्यात करते थे। परन्तु फिर हाल में हमने खनिज पदार्थों के आयात को भी शुरू कर दिया है। जो यदि एक बार समाप्त हो जाये तो पुन नहीं मिलते। अतएव एक रोक लगा दी जानी चाहिये कि खनिज के निर्यात के बारे में उधार की शर्तों पर अमल नहीं किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाम लाल सर्राफ** (जम्मू तथा काश्मीर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । और वित्त मंत्रालय को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विधेयक के संबंध में सभी आवश्यक जानकारी प्रस्तुत कर दी है यह विधेयक उपयुक्त समय पर पेश किया गया है ।

भारत रक्षित बैंक ने भारत के बकों के लिये संरक्षक और प्रहरी का कार्य करना आरम्भ कर दिया है मैं अपने पिछले अनुभव से यह बात कह सकता हूं कि भारत रक्षित बैंक अन्य बैंकों का पर्याप्त पथप्रदर्शन करता है

नियम के अन्तर्गत किसी बैंक के लिये रक्षित बैंक के पास कुछ प्रतिभूति का रखना एक शर्त है तथा इस प्रतिभूति के जमा करने वालों का कुछ ब्याज का दिया जाना नितांत उनके हित में है ।

हमें ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों के लिये ऋण की सुविधाओं की व्यवस्था को निश्चित रूप देना होगा । नगर क्षेत्रों में मध्यम श्रेणी के लोगों के लिये उधार की सुविधायें उपलब्ध करना आवश्यक है ।

हमने ग्रामीण क्षेत्रों के लिये ऋण सुविधाओं की व्यवस्था तो की है परन्तु अभी तक हमने समस्या का अत्यल्प अंश भी हल नहीं किया है । हमें ग्रामों में हस्त उद्योगों की आवश्यकताओं की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये ।

'मांग' दायिता तथा 'समयबद्ध' दायिता की प्रतिशतता में किये गये थोड़े से परिवर्तन का मैं समर्थन करता हूं । यह बहुत जरूरी है कि रिजर्व बैंक आम बैंकों पर कुछ नियंत्रण रखे अन्यथा हम देश के लिये ठोस अर्थव्यवस्था का निर्माण नहीं कर सकेंगे ।

हमें निर्यात कर्ताओं को कुछ और सुविधायें देने के लिये कार्यवाही करना आवश्यक है ।

जुर्माने आदि के भुगतान की अवधि संबंधी उपबंध में संशोधन किया जाना चाहिये । यदि इसे २१ दिन कर दिया जाये तो यह अधिक सहायक होगा ।

†**श्री हेडा** (निजामाबाद) : 'मांग' दायिता तथा 'समयबद्ध' दायिता के बीच का अन्तर दूर कर देने का प्रयत्न किया गया है ।

वस्तुतः निक्षेपों के संबंध में विभिन्न वृत्तियों तथा व्यापार व्यवहारों को मानते हुए यह ठीक ही है कि मांग निक्षेपों तथा समय बद्ध निक्षेपों में विभेद को दूर किया जाये । सीमा को बढ़ा कर १५ प्रतिशत किया गया है यह ठीक ही है । सीमा को बढ़ा कर १५ प्रतिशत कर देने से निक्षेपों के हित सुरक्षित रहेंगे ।

विधेयक में निर्यात संवर्द्धन के संबंध में बहुत कुछ किया गया है । वित्तीय रियायत का समय ९० दिन से बढ़ा कर १८० दिन कर दिया गया है । सरकार को विश्वास है इससे निर्यात की वृद्धि होगी । आज अधिकाधिक लोग निर्यात व्यापार में हिस्सा ले रहे हैं । फिर भी सरकार को बताना चाहिये कि सवक्षण के पश्चात् भी वह कौन सी समस्या है जिससे कुछ निर्यातकों के सौदों को पूरा नहीं निभाया जा सका ।

सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को अधिकाधिक ऋण उपलब्ध करने की संभावनाओं पर विचार किया है । विदेशों में अनुसूचित बैंकों ने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है । तथा ये बैंक बाजार दर पर ऋण देते हैं सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री अब्दुल वहीद (वेल्लोर) : हमने निर्यात संवर्धन के लिये अपने समस्त साधनों का प्रयोग करने का निश्चय किया है । ऐसे समय में मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं ।

मैं इस उपबन्ध का स्वागत करता हूं कि परिपक्वता अवधि ९० दिन से बढ़ा कर १८० दिन कर दी गयी है ।

निर्यातकों के लिये समूचे रूप से प्रतिभूति इमारतों तथा मशीनरी के रूप में होनी चाहि तथा करार के दस्तावेजों के रूप में ही नहीं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम गैर सरकारी कार्यवाही आरम्भ करेंगे ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सातवां प्रतिवेदन

†**श्री हेम राज** (कांगड़ा) : श्रीमानजी मैं प्रस्ताल करता हूं कि :

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी सातवें प्रतिवेदन से, जो २९ अगस्त, १९६२ को सभा में प्रस्तुत की गयी थी सहमत है ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैरसरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी सातवें प्रतिवेदन से, जो २९ अगस्त, १९६२ को सभा में प्रस्तुत की गयी थी, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

संविधान (संशोधन) विधेयक, १९६२

(नये अनुच्छेद १५५-क का रखा जाना और अनुच्छेद १६७ का संशोधन)

†**श्री पालीवाल** (हिंडौन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री पालीवाल** : श्रीमान जी, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक

†**श्री नवल प्रभाकर** (दिल्ली—करोलबाग) . मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, १९५४ को अग्रेतर संशोधन करने वाले और दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, १९५९ में भी संशोधन करने लाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, १९५४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले और दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, १९५९ में भी संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री नवल प्रभाकर** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद ३४३ का संशोधन)

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (रायगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विवधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : श्रीमान जी, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—जारी

(धारा ८७—ख का लोप)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा में श्री म० ला० द्विवेदी द्वारा १७ अगस्त, १९६२ को प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर आगे चर्चा होगी :—

"कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता १९०८ में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

श्री म० ला० द्विवेदी अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

श्री म०ला० द्विवेदी (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ने पिछले दिन इस संबंध में कुछ प्रकाश डाला था । भारत सरकार ने जावता दीवानी में एक नई धारा जोड़ी थी जिसका नम्बर ८७ बी० है। इसके

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्तर्गत हमने अपने देश के ही कुछ नागरिकों को जो भूतपूर्व शासक थे यह अधिकार दे रखा है कि इस देश के दूसरे नागरिक उन के खिलाफ दीवानी अदालत में मुकदमा नहीं चला सकते।

जहां तक मेरा खयाल है, भारत सरकार को इस संबंध में केवल एक आपत्ति है और वह यह है कि इन भूतपूर्व शासकों और भारत सरकार के बीच एक कबीनेट हुआ था, जिस में यह तै हुआ था कि इन राजाओं के अधिकार सुरक्षित रखे जायेंगे। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि मैं इन भूतपूर्व शासकों के किसी भी अधिकार को छीनना नहीं चाहता। मैं यह नहीं चाहता कि उन के किसी एसे अधिकार का हनन हो जो वे शासक की हैसियत से उपभोग करते थे। लेकिन जब से भूतपूर्व रियासतें समाप्त हो गयी हैं, हमारे बीच ये शासक लोग साधारण नागरिक की हैसियत से काम काज करते हैं, लेन देन करते हैं, व्यापार करते हैं, विदेशों में जाते हैं और व्यापार के कार्यकलाप में उनको लेनदेन करना पड़ता है। और लेन देन के संबंध में बहुत से ऐसे किस्से हैं कि साधारण नागरिक का रुपया या ऋण वापस नहीं होता और जब वह वापस नहीं होता तो उस के पास कोई इलाज नहीं रहता कि वह अपना रुपया वापस पा सके। क्योंकि वह राजा देना नहीं चाहता और नागरिक उस पर मुकदमा चला नहीं सकता।

केवल एक सुविधा दी गयी है कि गृह-मंत्रालय इस बात की आज्ञा दे सकता है कि उस पर मुकदमा चलाया जाए। अगर गृह मंत्रालय इजाजत दे दे तो मुकदमा चल सकता है। लेकिन देखने में यह आया है कि भारत सरकार साधारण तया इस प्रकार की आज्ञा नहीं देती। इस कारण साधारण नागरिकों को जो क्षति होती है उसका अनुमान साधारणतया लोग नहीं लगा पाते।

मैं इस संबंध में दो चार उदाहरणों का उल्लेख करना चाहता हूं।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : प्रस्तावक महोदय को वे धारायें पढ़नी चाहिए जो वह हटाना चाहते हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी : यह बिल में दिया गया है।

श्री च० का० भट्टाचार्य : आप जो सेक्शन ८७ बी० ड्राप करना चाहते हैं यह सेक्शन ८५ और सेक्शन ८६ के सबसेक्शन १ और ३ के सम्बन्ध में कहता है। अगर इस सेक्शन को ड्राप कर दिया जाएगा तो सेक्शन ८५ और सेक्शन ८६ का सबसेक्शन १ और ३ बरबाद हो जाएगा। सेक्शन ८५ और सेक्शन ८६ का सबसेक्शन १ और ३ इसमें नहीं दिया गया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप कृपा करके सेक्शन ८५ और सेक्शन ८६ के सबसेक्शन १ और ३ को पढ़ दीजिए।

श्री म० ला० द्विवेदी : धारा ८७ ख में यह व्यवस्था है कि धारा ८५ और ८६ में उपबन्ध भूत पूर्व भारतीय राजाओं पर भी लागू होंगे।

तो मैं यह बता रहा था कि कुछ दिन पूर्व का किस्सा है कि सन् १९५४ में कपूर्थला के महाराजा ने एक व्यक्ति से एक लाख २५ हजार रुपए के बांड यह कह कर ले लिए कि हम आपको इसका रुपया दे देंगे। लेकिन आज तक उन्होंने न उसके बांड वापस किए और न उनका रुपया ही दिया है। उस व्यक्ति ने गृह-मंत्रालय से दरख्वास्त भी की कि उसे सिविल कोर्ट में सूट दायर करने की अनुमति दे दी जाय. लेकिन आज आठ मास हो चुके हैं और गृह-मंत्रालय ने अनुमति नहीं दी है कि वह सूट दायर कर सके और न गृह-मंत्रालय ने कपूर्थला के महाराजा से अनुरोध किया है कि वह उस व्यक्ति के बांड वापस कर दें।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री म० ल० द्विवेदी]

एक उदाहरण और है। जावरा के महाराजा ने अपने जीवन काल में अपनी पत्नी को एक मकान और कुछ जायदाद दे दी थी। उन के मरने के बाद जब उनका लड़का राजा हुआ तो उसने वह मकान और जायदाद अपनी मां से छीन ली।। अब वह माता कहती है कि उनको जो सम्पत्ति उन के पति ने उन के जीवनकाल में दी थी उस पर उनका अधिकार है और वह उनको मिलनी चाहिये लेकिन वह राजा नहीं देना चाहता और गृह-मंत्रालय के अनुमति न देने के कारण वह मुकदमा नहीं चला सकती।

मेरे कहने का मतलब यह है कि हमने यह धारा सन् १९५१ में जोड़ी थी। उस समय से आज तक ११ साल हो गए और इस बीच इस तरह के जितने भी मामले गृह-मंत्रालय के सामने गए उन में शायद ही किसी में गृह-मंत्रालय ने मुकदमा चलाने की अनुमति दी हो। इसका यह अर्थ है कि जो अधिकार नागरिकों को संविधान ने दिए हैं उनका उनको लाभ नहीं हो सकता और इसलिए वे परेशान हैं।

इसी तरह का एक उदाहरण बिलासपुर के राजा का है। उन्होंने एक विधवा का ३० हजार रुपया अपने पास जमा कर लिया था। जब वह राजा नहीं रहे तो खजाने से वह रुपया निकलवा कर अपने पास रख लिया और अब उसको वापस देना नहीं चाहते। यह इतनी गरीब है और उसके पास इतनी भी सम्पति नहीं है कि वह आप के गृह-मंत्रालय तक पहुंच सके और आप से रुपया वसूल करने के लिए मुकदमा लड़ने की आज्ञा मांग सके। वह इतनी गरीब है कि मुकदमा भी नहीं लड़ सकती है। ऐसे दीन, हीन और निर्धन नागरिक हमारे देश के हैं जिनको कि पग पग पर कठिनाई पड़ रही है और जिनको कि अपना बुढ़ापा भी काटना मुश्किल हो रहा है। अगर उस गरीब बुढ़िया को ३०,००० रुपया मिल जाता तो वह जिंदगी भर सुख से रह सकती थी। इस तरह के मैं एक दो नहीं बल्कि दो, चार दर्जन उदाहरण दे सकता हूं जिन में भारत सरकार के गृह-मंत्रालय से आज्ञा नहीं मिलती है। अब मुझे मालूम नहीं कि गृह-मंत्रालय के सचिवालय में कोई प्रभाव डाला जाता है या मंत्री महोदय स्वयं एसी बात करते हैं कि कोई आज्ञा न दी जाय। यदि आज्ञा दी जाती तो इस विधेयक को बार बार उपस्थित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

अब एक तरफ तो हम यह दावा करते हैं कि अपने संविधान में हमने सभी नागरिकों को बराबरी के अधिकार दिये हैं और किसी के साथ भेद भाव का वर्ताव नहीं किया जायगा और दूसरी तरफ हम जाब्ता दीवानी में संशोधनों द्वारा साधारण नागरिकों के अधिकारों को छीन लेते हैं। उस से देश और समाज में जिस अन्याय का वातावरण फैला हुआ है उस से मुक्ति पाने के लिए मैं चाहता हूं कि सदन् मेरे इस विधेयक को स्वीकार करे।

इस सम्बन्ध में मैं ने एक प्रश्न भी इस सदन में पूछने के लिए दिया था जिसका कि जवाब गृह-मंत्रालय की तरफ से मुझे यह मिला है :—

> "व्यापार और व्यवसाय करने के लिये भूतपूर्व भारतीय रियासतों के शासक उतने ही स्वतंत्र हैं जितने अन्य नागरिक। यह संभव है कि उन में से कुछ शासक व्यापार एवं व्यवसाय में संलग्न हों परन्तु इस मंत्रालय के पास इन शासकों की व्यापारिक गतिविधियों के बारे में कोई आंकड़ नहीं हैं।"

अब एक तरफ तो आप कहते हैं कि आपके पास इन शासकों की व्यापारिक गतिविधियों के बारे में कोई आंकड़े नहीं हैं लेकिन आप इसको स्वीकार करते हैं कि वे व्यापार करते हैं, लेन-देन आदि का

काम करते हैं तो ऐसी स्थिति में कौन सा उपाय आप बतलाते हैं जिसके कि द्वारा वह नागरिक जिनका कि रुपया लेन देन और व्यापार आदि की वजह से किन्हीं शासकों के पास दबा हुआ है वह उन्हें वापिस मिल सके ? इसका एक उपाय तो यह है जोकि मैंने सुझाया है अर्थात् जैसा कि मैंने अपने विधेयक में मांग की है कि कोड आफ सिविल प्रोसीज्योर, १९०८ को अमेंड किया जाय और सैक्शन ८७ बी, को कोड आफ सिविल प्रोसीज्योर से निकाल दिया जाये। अगर इसकी ८७ ख धारा को निकाल दिया जाये तो यह चीज ठीक हो जायगी और नागरिकों को वास्तव में समानता के अधिकार मिल सकेंगे ।

जहां तक राजाओं के विशेष अधिकारों के बनाये रखने का सवाल है मुझे उस में कोई आपत्ति नहीं है और वह बने रहें बशर्तेकि वह अपनी रियासतों के अन्दर राजाओं की हैसियत से रहते हैं। जब तक राजा लोग व्यापार, व्यवसाय और लेन देन आदि के काम नहीं करते तब तक उनके विशेष अधिकार बने रहें मुझे उस में कोई आपत्ति नहीं । लेकिन जब वह साधारण नागरिकों के समान चुनाव लड़ सकते हैं, दूसरे काम धन्धों में जा सकते हैं और रुपये का लेन देन कर सकते हैं तो दीवानी के मामले में साधारण नागरिकों के मुकाबले जो उनको विशेष अधिकार मिले हुए हैं वे मुनासिब नहीं लगते । एक साधारण नागरिक को वह अधिकार प्राप्त नहीं हैं जब कि उनको विशेषाधिकार दिये गये हैं । यह तो ऐसा मालूम देता है जैसे वह कोई विदेशी शासक हों । अब इस तरह का भेद रखना संविधान की मूल भावना के विरुद्ध जाता है जहां कि कहा गया है कि सब नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होंगे । इसलिए मेरी सदन से अपील है कि वह मेरे इस संशोधन विधेयक को पास करें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री यलमन्दा रेड्डी** (भारकापुर) : मैं इस विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपने के बारे में अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं । विधेयक का समर्थन करते हुए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने इस मामले में काफी देरी कर दी है । भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् कायम रखने का कोई कारण नहीं है । इस उपबंध के कारण कि राजाओं पर सरकार की अनुमति से ही मुकदमा चलाया जा सकता है उचित बात नहीं लगती । इससे तो सरकार न्यायालयों से ऊपर हो जायेगी । अतः यह बात सर्वथा अनुचित है।

इस बात की समझ नहीं आती कि आखिर क्यों सरकार ऐसा करना चाहती है । हमें बिल्कुल पता है कि ये राजे अंग्रेजी साम्राज्यवाद के स्तम्भ थे। हो सकता है कि किसी एक आध ने भारत की स्वतंत्रता के लिये बलिदान किया हो। पर उस के बदले में कोई इनाम देने वाली बात को तो ठीक नहीं कहा जा सकता है । इन लोगों के पास करोड़ों रुपयों की चल अथवा अचल सम्पति है । हजारों एकड़ खेती योग्य भूमि उन के पास है। अब ये अपने पट्टेदारों को निकालकर उस पर स्वयं काबिज होना चाहते हैं। शनैः शनैः ये व्यापार और राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं।

अतः इस महत्वपूर्ण विषय से सम्बन्धित विधेयक का समर्थन किया जाना चाहिये परन्तु मेरा निवेदन है कि इसका प्रवर समिति को सौंपा जाना अधिक अच्छा होगा । वहां इस के उपबन्धों की विस्तार से छानबीन हो सकती है। मंत्री महोदय को मेरा संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री हेम राज : (कांगड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल माननीय सदस्य, श्री द्विवेदी, ने उपस्थित किया है, मैं समझता हूं कि. . .

श्री च० का० भट्टाचार्य : (रायगंज) : इंगलिश में बोलिए।

श्री हेम राज : द्विवेदी जी कहते हैं कि हिन्दी में बोलना है।

श्री च० का० भट्टाचार्य : द्विवेदी जी के कहने से क्या होता है। हम कहते हैं कि माननीय सदस्य इंगलिश में बोलें ।

†**श्री हेम राज** : उपाध्यक्ष महोदय श्रीमान्, जो विधेयक . . .

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : जब एक माननीय सदस्य हिन्दी में बोलना चाहते हैं, तो उनको इस प्रकार से क्यों बाधित किया जा रहा है ?

श्री गौरी शंकर कक्कड़ (फतहपुर) : यह तो उनकी इच्छा है ।

श्री च० का० भट्टाचार्य : मेरा ख्याल था कि यह मामला श्री द्विवेदी जी के साथ है। वह माननीय सदस्य के साथ भी है। यह मेरा ख्याल नहीं था।

†**श्री हेम राज** : श्री द्विवेदी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, उसका स्वागत है। इसके भी सिद्धांत पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। ये राजे अब साधारण नागरिक बन गये हैं। और हमारे पास बैठे हुए हैं। वे चुनावों पर भी बहुत सा रुपया खर्च करते हैं और व्यापार भी कर रहे हैं। इस लिये उनकी सम्पत्ति के मामले में और उन के विरुद्ध मुकदमे दायर करने के मामले में उनके साथ विशेष व्यवहार नहीं होना चाहिये ।

उन्हें तीन मामलों में विशेष रियायतें प्राप्त हैं। पहले मुकदमा दायर करने का मामला है, वे किसी भी व्यक्ति को विशेष या साधारण अभिकर्ता नियुक्त कर सकते हैं। इस बात का इतना महत्व नहीं है।। दूसरा यह है कि उनके विरुद्ध मुकदमा करने के लिए भारत सरकार के सचिव से अनुमति लेनी पड़ती है। यहां अनुमति किसी साधारण व्यक्ति को नहीं मिल सकती है । तीसरा यह कि उनकी निजी थैलियों पर हाथ नहीं डाला जा सकता और उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता। ये उपबन्ध जनसाधारण के हितों के विरुद्ध हैं। इसलिए आवश्यक है कि कि इस विधेयक को पारित किया जाये ।

†**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर) : विधेयक पर विचार करते हुए हमें याद रहना चाहिये कि स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर भूतपूर्व राजाओं ने अपने अधिकारों का त्याग देश-भक्ति की भावना से प्रेरित हो कर किया था तथा सरकार ने इन से कुछ समझौते किये थे। अतः सरकार को अवश्य यह जांच करनी चाहिये कि यह विधेयक किस हद तक ऐसे समझौते के विरुद्ध जायेगा। विधि मंत्री और सरकार के विधि विभाग को इस पर विचार करना चाहिये।

मेरे विचार में विधेयक को इस पर राय जानने के लिये पारिचालित किया जाना चाहिये था। इस तरह सरकार को भी विचार करने का और समय मिल जाता। प्रजातंत्रीय सिद्धांतों के अनुसार निर्णय से तथा इस विचार से कि राजे सामान्य नागरिकों के रूप में रह रहे हैं। समय आगया है जब सरकार फिर यह सोचे कि क्या उनके विशेषाधिकारों को जारी रहने दिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विधेयक का सिद्धांत समर्थन योग्य है परन्तु इससे जल्दबाजी में पारित नहीं कर देना चाहिये। पहले इसके सिद्धांतों पर सविस्तार विचार करना चाहिये।

श्री गौरी शंकर कक्कड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय मित्र श्री द्विवेदी जी को बधाई देता हूं कि जाब्ता दीवानी में इस संशोधन को लाए हैं। यह संशोधन तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिये था। १५ अगस्त, १९४७ को जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ और उसके पश्चात् हमारा विधान बना तब किसी तरह का कोई भी भेद पुरानी रियासतों के रूलर्ज तथा अन्य नागरिकों में नहीं रह गया। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा आप जानते हैं, जितने भी पुराने शासन करने वाले थे वे स्वयं अब अपना जीवन साधारण नागरिक के तौर पर बिताने में लगे हुए हैं, राजनीति में तथा दूसरे क्षेत्रों में भी वे अपना स्थान ले रहे हैं। जब ऐसी स्थिति हो गई है तो फिर कोई कारण नजर नहीं आता है कि कोई प्रिविलेजिज या कोई विशेष अधिकार जो उनको उस वक्त दिये गये थे, उनको अब भी जारी रखा जाये। मेरी समझ में नहीं आता है कि हमारे मित्र इस पर पब्लिक ओपिनियन क्यों जानना चाहते हैं, क्यों इसको सर्क्यूलेट करना चाहते हैं, उसकी क्या जरूरत है। यह तो एक बहुत साधारण सी चीज है और मेरा विश्वास है कि सरकार भी इससे सहमत होगी कि एक नागरिक के मुकाबले में दूसरे नागरिक को विशेष अधिकार देने की नीति हमारे विधान के भी अनुरूप नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूं कि यह एक बड़ी ही साधारण सी चीज है और यह कोई ऐसा गम्भीर विषय नहीं है जिस पर बहुत ज्यादा वाद-विवाद करने की जरूरत महसूस हो या जिस पर जनता की राय लेने की आवश्यकता हो।

मेरा निवेदन है कि जो रूलर्ज थे वे अब साधारण नागरिक बन चुके हैं। लोगों को इनके खिलाफ बहुत सी शिकायतें हैं, बहुत से ग्रीवेंसिज़ हैं और बहुत से मुकदमे भी चल रहे हैं जिनको इनके खिलाफ कोई शिकायत है उनको इसका अवसर मिलना चाहिये कि वे न्यायालयों में जा कर न्याय प्राप्त कर सकें। परन्तु आज जो स्थिति है, उसमें साधारण न्याय प्राप्त करना भी असम्भव हो रहा है, इसलिए कि उनको भारत सरकार की, होम मिनिस्ट्री की ऐसा करने के लिए, मुकदमा चलाने के लिए आज्ञा प्राप्त नहीं होती है। मैं समझता हूं कि माननीय श्री हेमराज जी ने जो बात कही वह बहुत सही है। थोड़ा समय उनको दिया गया था लेकिन समय की भी एक सीमा होनी चाहिये, लिमिट होनी चाहिये, साल दो साल या चार साल। जब उन रियासतों को मर्ज हुए पंद्रह वर्ष का लम्बा समय बीत चुका है, तो फिर अब और ज्यादा समय देने का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिये। जो भी पुरानी स्थिति थी, जो भी पुरानी चीज थी वह साल दो साल या तीन साल के अन्दर आपस में समझौता हो जाने पर समाप्त हो जानी चाहिये थी। इसलिए यह जो संशोधन इस सदन के सामने आया है, बहुत ही साधारण सा है और मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई नीति का प्रश्न है जो सरकार इसका विरोध करे। बल्कि यह संशोधन उसी आधार पर लाया गया है जो चीज कि हम ने अपने संविधान में मान्य की है कि सभी नागरिक समान हैं, सभी नागरिकों को बराबर के अधिकार प्राप्त हैं और एक नागरिक को दूसरे नागरिक के मुकाबले में किसी भी तरह की तरजीह, फौकियत या स्पेशल राइट प्राप्त नहीं होना चाहिये। इसी का समर्थन मांगा जा रहा है और मैं इसका समर्थन करता भी हूं। साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से ला मिनिस्टर साहब से यह प्रार्थना करूंगा कि यह बड़ा इन्नोसेंट अमेंडमेंट है और इसको मान लेने में उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी): उपाध्यक्ष महोदय, श्री अणे ने और फतेहपुर के माननीय सदस्य ने जो विचार सदन के सामने उपस्थित किये हैं मैं उनका समर्थन करता हूं। हमारी मनुस्मृतियों में आता है कि सब नियमों के साथ-साथ एक युग धर्म हुआ करता है। एक युग

[श्री गौरी शंकर कक्कड़]

का अर्थ होता है बारह वर्ष । इस लिये मैं माननीय विधि मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि सन् १९४७-४८ में जो युग धर्म था वह युग धर्म आज सन् १९६२ में नहीं है क्योंकि बारह वर्ष बीत जाने के कारण एक युग समाप्त हो गया । जब एक युग समाप्त हो गया तो युग धर्म की परिभाषा में भी कुछ अन्तर पड़ना चाहिए ।

जहां तक हमारे संविधान का सम्बन्ध है और उस में दिये हुए मौलिक अधिकारों का सम्बन्ध है, उन अधिकारों के बनाने का आधार हम ने क्या रखा है ? उसकी आत्मा क्या है ? हमारे संविधान की आत्मा है जस्टिस की ईक्वैलिटी और स्टेटस की ईक्वैलिटी । अगर हमारे यहां जस्टिस और स्टेटस की ईक्वैलिटी नहीं होती तो संविधान की उस आत्मा को विकास करने का अवसर नहीं मिलेगा । आप चाहे यहां पर काया का विकास कर लें, लेकिन उसकी आत्मा का विकास नहीं हो सकता । इस वास्ते मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में अब वह समय आ गया है कि जब राजाओं को यह अधिकार है कि वे एलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, वोटर हो सकते हैं, सब प्रकार की चीजें वे कर सकते हैं तो उनके विशेषाधिकार भी समाप्त क्यों न हों । जब तक उनके स्पेशल राइट्स, विशेष अधिकार चलते रहते हैं तब तक उनके और नागरिकों के अधिकार में समन्वय का भाव, ईक्वैलिटी का भाव, नहीं आ सकता, बल्कि उस में अन्तर और बढ़ता है । इस वास्ते इस भाव को हटना चाहिये । हिन्दुस्तान के जितने नागरिक हैं, उन्हें एक प्रकार का अधिकार प्राप्त होना चाहिये, उन में समता का भाव होना चाहिये । जितने राज्य पहले थे वे डूब गये, वे समाप्त हो गये, उनका विलय हो गया । अब जो राजे हैं वे बिना राज्य के हैं । केवल हिन्दुस्तान में ऐसा है कि राज्य क्रांति के बाद भी राजा लोगों को किसी प्रकार से मारा नहीं गया ।

अगर आप फ्रांस की राज्य क्रांति को देखें या रूस की राज्य क्रांति को देखें तो पता नहीं लगेगा कि उसके पहले के ड्यूक थे वे कहां गये । राज्य क्रांति के साथ-साथ सब समाप्त हो गये । लेकिन यह महात्मा गांधी की सहिणुता थी, उनका अहिंसा का सिद्धान्त था जिसके आधार पर हमारा संविधांन बना । लेकिन यहां के राजे आदि को वे अधिकार प्राप्त हैं उनका ठीक प्रकार से उपयोग नहीं करते । वे पार्लियामेंट के लिये खड़े हो सकते हैं, असेम्बलियों के लिये खड़े हो सकते हैं । इतने अधिकारों का उपयोग करते हुए भी उनका यह कहना कि उनके विशेषाधिकार बने रहें, उनके राइट्स रहने ही चाहियें, यह ठीक नहीं है । इसलिये मैं श्री द्विवेदी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस संशोधन विधेयक को यहां रख कर युग धर्म का पालन किया है । विधि मंत्री जी से भी मेरा यह निवेदन है कि युग धर्म के अनुसार यह परिवर्तन अवश्य होना चाहिये कि सारे नागरिकों को एक से अधिकार प्राप्त होने चाहियें, यहां के नागरिकों को कोई भेद नहीं रहना चाहिये ।

श्री शिव नारायण (बांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय द्विवेदी जी ने जो संशोधन पेश किया है, वह बहुत न्याय संगत है । भारत के संविधान के अनुसार हमने प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, सब को समानाधिकार दिया है । जब सब को समनाधिकार है इस संविधान के अनुसार, तो मैं अपने ला मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं कि आप क्यों इस की इजाजत नहीं देते कि अगर हम चाहें तो किसी राजा पर दीवानी में दावा कर सकें ? अगर कोई राजा हमारा ३०,००० रु० ले ले तो हम उस पर दावा नहीं कर सकते और होम मिनिस्ट्री हम को इसकी परमिशन नहीं देती । हम कहां तक न्याय के तराजू पर तोल सकेंगे कि यह हमारे संविधान के अनुसार न्यायसंगत है ? इस लिये आप को इस को बिना विलम्ब हटाना चाहिये ।

अभी श्री रघुनाथ सिंह ने युग धर्म के परिवर्तन के बारे में कहा । युग परिवर्तन हो रहा है । बारह वर्षों के बाद आज दुनिया कहां है ? सन् १९४८ में कोई चन्द्रलोक की तरफ नहीं उड़ता था, लेकिन आज लोग चन्द्र लोक की तरफ पहुंच रहे हैं, मंगल तारा तक पहुंचने का प्रयास हो रहा है । तो चेन्ज हो रहा है । लेकिन भारत में उसी पुरानी परम्परा के अनुसार शासक भगवान की शक्ति समझा जाता है, गाड का राइट ले कर यहां पर राजा और रानी आते हैं । उन पर लाखों रुपयों का खर्च होता है । उनका रुपया भी बना रहे और डिमाक्रेटिक सेट अप में वे यहां के मेम्बर भी हो सकें, मिनिस्टर भी हो सकें, और लड़ भिड़ कर गरीबों की आवाज को दबा दिया जाय, उनकी सुनवाई न हो, उनका पैसा भी वापस न हो, यह क्या न्यायपूर्ण बात हो सकती है ? इसलिये मैं जोरदार शब्दों में आप से प्रार्थना करूंगा कि ला मिनिस्टर साहब बिना किसी हिचक के, बिना किसी रुकावट के, इस अमेंडमेंट को मान कर इस देश को न्याय प्रदान करें । "गरीबों को मिले रोटी तो मेरी जान सस्ती है" यह नारा हम ने इस देश में लगाया था । श्री सेन बंगाल से आते हैं, जहां बड़े-बड़े काम हुए हैं, वहां के क्रांतिकारियों की आत्मा और बल पर इस देश को स्वाधीनता मिली, इस देश से गरीबी मिटी और गुलामी मिटी । उसी गुलामी को फिर पनपाने के लिये यह जरिया बाकी है इस देश के अन्दर । आप हम को दीवानी के राइट क्यों नहीं देते ताकि राजा लोगों के खिलाफ हम दावा कर सकें । हमारे प्रधान मंत्री जेनरल एलेक्शन के समय गोंडा गये थे । वहां पर राजा लोगों ने जो नंगा नाच किया, वह मुझे भूला नहीं है । मेरी प्रार्थना है कि यह देश भी इस को न भूले । यह संसद् इस कानून को बिना किसी विलम्ब के मान ले ताकि सब को समानता का व्यवहार मिल सके । यहां पर दो अमली नहीं चलेगी और न यह उचित ही होगा ।

इस देश में ८० फी सदी गरीब हैं और मुट्ठी भर लोगों के लिये जिन्दगी की सारी आसाइशों का इन्तजाम होता है । इसके अलावा भी जमींदारी अबालिशन के बाद उन को कम्पेन्सेशन दिया गया । हम ने जारशाही की तरह से नहीं किया, रशियन रेवोल्यूशन की तरह से नहीं किया । हम ने फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरह से भी नहीं किया । मैंने पढ़ा है कि वहां तीन वर्ष के अन्दर हजारों लोग काट कर फेंक दिये गये । हम ने गांधी जी के नेतृत्व में बैठ कर, तिरंगे झंडे के नीचे बैठ कर, इस देश की ६०० रियासतों को भलमन्साहत के साथ मिलाया, लेकिन सरदार पटेल ने किसी को गोली नहीं मारी । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस अमेंडमेंट को स्वीकार कर लिया जाये और यह बिल पास कर दिया जाये ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (रायगंज) : श्री म० ला० द्विवेदी ने एक सामयिक एवं साधारण संशोधन पेश किया है जिसे सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिये ।

भूतपूर्व राजे अब केवल नाम में ही राजे हैं । अतः इस संशोधन को लागू करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये यदि विधि मंत्री यह न कहें कि उनके साथ किये गये समझौते उसकी राह में रुकावट हैं ।

श्री पालीवाल (हिण्डौन) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को मूव करते समय जो दो तीन उदाहरण श्री द्विवदी जी ने दिए उन से यह सोचने के लिए विवश होना पड़ता है कि वास्तव में नयी स्थिति बनती जा रही है और उस पर हमको विचार करना चाहिये । साथ ही जैसा कि डा० अणे साहब ने कहा, हम इस बात को भी नहीं भुला सकते कि किस प्रकार इन रियासतों के शासकों ने स्वाधीनता प्राप्ति के समय देशभक्तिपूर्ण रवैया अपनाया और उन्होंने एक सुन्दर ढंग से देश को एक करने में मदद की । यह कहा जा सकता है कि परिस्थितिवश उनको ऐसा करना ही पड़ता लेकिन यदि वैसा होता तो उसमें अनेकों कठिनाइयां होतीं । तो जिस समय उन्होंने ऐसा किया उस समय उनके साथ कुछ विशेष इकरार और वायदे किये गये थे, उनको हमें किस हद तक निभाना

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पालीवाल]

है यह भी हमको सोचना चाहिए। जहां एक ओर हम उन वायदों को नहीं हटा सकते वहां दूसरी ओर जो उदाहरण दिए गए हैं उनके कारण जो स्थिति पैदा हो रही है उसका भी निराकरण करना है।

मेरा खयाल है कि शायद इस विधेयक को पास करने के लिए संविधान में भी संशोधन करने की आवश्यकता हो। केवल कोवीनेंट के कारण ही इसको पास करने के मार्ग में बाधा नहीं है इसको पास करने में संवैधानिक अड़चनें भी पड़ेंगी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यदि इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाए तो इस पर सदन के सदस्य अपनी भावनाएं रख सकेंगे और गवर्नमेंट के भी कंसीडर्ड विचार सामने आ जायेंगे। और उसके बाद अगर गवर्नमेंट इस बिल को एप्रूव करती है तो बहुत अच्छा और यदि परिस्थितिवश वह इसको मंजूर न कर सके तो कोई दूसरा ऐसा बिल अपनी ओर से ला सकती है और उसके लिए मार्ग खुल जाएगा। मुझे लगता है कि अगर सिलेक्ट कमेटी का अमेंडमेंट स्वीकार कर दिया जाए तो मार्ग निकल आवेगा।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर): उपाध्यक्ष महोदय, श्री द्विवेदी जी ने जो यह संशोधन विधेयक उपस्थित किया है उसके मूल सिद्धान्त से तो मेरा कोई विरोध नहीं है। जिस युग में हम चल रहे हैं उसमें नागरिक और नागरिक के बीच कोई अन्तर नहीं होना चाहिए और हमारे सोशलिस्ट पैटर्न के विचार से भी ऐसा अन्तर नहीं रहना चाहिए। लेकिन दुःख है कि यह संशोधन हमारे संविधान के विरुद्ध जाता है। हमारे संविधान में कुछ धारायें ऐसी हैं जो इन नामधारी, सत्ताहीन और राज्य-हीन राजाओं को राजा की उपाधि और कुछ अधिकार देती हैं।

श्री यशपाल सिंह (कैराना): जिस प्रकार के मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो हैं वैसे ही ये राजा हैं।

श्री सिंहासन सिंह: जिस समय इनकी रियासतों का देश के अन्य भाग में विलीनीकरण किया गया तो इनके साथ कुछ मुआहिदे किए गए थे, कुछ शर्तनामे लिखे गए थे और जहां तक मेरा खयाल है इस दफा ८७ बी का प्रादुर्भाव भी उन्हीं के आधार पर हुआ और उनको ये अधिकार दिए गए जो विदेशी राजाओं को हैं।

मेरा खयाल है कि जब तक हमारे संविधान में आर्टिकल्स २९१ और ३६२ मौजूद हैं तब तक शायद हमारी सब की इससे हमदर्दी होते हुए भी हम इसे पारित नहीं कर सकें। और मुझे तो लगता है कि मिनिस्टर साहब भी इसका विरोध करेंगे। वह चुप बैठे हुए हैं। अगर और कोई बात होती तो अब तक वह कुछ कहते। मैं आपका ध्यान आर्टिकल २९१ और आर्टिकल ३६३ की ओर दिलाना चाहता हूं :

> किसी राज्य के शासक को निजी थैली के रूप में किसी रकम की अदायगी की गारंटी दी गयी है और इसी तरह की गारंटी अनुच्छेद ३६२ में भी दी गयी है।

तो मेरा कहना यही है कि यह जो संशोधन विधेयक लाया गया है यह संविधान की धाराओं के विरुद्ध है। इसलिए हमारी भावना इसके पक्ष में होते हुए भी हम इसको पास न कर सकेंगे। जैसा कि माननीय भट्टाचार्य जी ने कहा, इसके रास्ते में जो अवरोध है उसको दूर करने के लिए सरकार कोई बिल लावे तब इसको पास किया जा सकता है। लेकिन सरकार के सामने भी आध्यात्मिक कठिनाई होगी क्योंकि हमने वचन दिया हुआ है और श्री रघुनाथ सिंह जी के अनुसार अभी काफी समय नहीं हो पाया है कि हम उस वचन में परिवर्तन कर सकें। इसके लिए अगर सरकार चाहे तो

संविधान में संशोधन करके इसको पास किया जा सकता है। हम १४ संशोधन तो कर ही चुके हैं, एक और कर लिया जाए तो हम इस बिल को पास कर सकते हैं अन्यथा नहीं।

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो दर असल अंग्रेजी में भाषण देता हूं लेकिन आज देखा कि सारी तकरीरें हिन्दी में हुई हैं। इसलिए मुझे भी ख्वाहिश होती है कि मैं भी अपने विचार हिन्दी में पेश करूं। मैं जानता हूं कि मैं जितनी आसानी से अंग्रेजी में बोल सकता हूं उतनी आसानी से हिन्दी में नहीं बोल सकता और जो विषय आज हमारे सामने हैं उस पर अंग्रेजी अल्फाज में बिना बोले मुझे दिक्कत हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूं कि हिन्दी भाषा इतनी कमजोर नहीं है कि हम संविधान के विषय में उस पर न बोल सकें। इसलिए मैं हिन्दी में भाषण करना चाहता हूं।

आज जो संशोधन द्विवेदी जी ने उपस्थित किया है नीतिगत रूप से देखा जाए तो उसका विरोध करना बहुत मुश्किल है। आज संविधान की नीति के अनुसार सारी जनता एक समान है, सबको समान अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन यदि इतिहास की पृष्ठ भूमि में हम इस प्रश्न पर विचार करें तो यह स्वीकार करना होगा कि केवल नीति के विचार से ही इस पर सोचना ठीक नहीं होगा। मैं ऐसा करना मुनासिब भी नहीं समझता। आज हमारे भारतीय स्वाधीनता के इतिहास का एक विशेषता है जिसको आज दुनिया मानती है। हमारे किसी मित्र ने रूस के विप्लव का जिक्र किया, किसी दूसरे मित्र ने फ्रांस के विप्लव का जिक्र किया। हमने चीन के विप्लव को भी देखा है। उसमें हम यही देखते हैं कि जिनको विशेष अधिकार प्राप्त थे उनका विचार गोली से किया गया लेकिन हिन्दुस्तान में उन लोगों का विचार बगैर गोली के किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एकीकरण एक करार के आधार पर किया था। आज यदि हम उन करारों और विशेष वायदे जो कि हमने भूतपूर्व देशी रियासतों के शासकों से विलीनीकरण के समय किये थे यदि हम उनको नजरअन्दाज कर देते हैं और उनको अपने सामने नहीं रखते हैं तो हम अपने उस संविधान की मर्यादा को भंग और बर्बाद कर देंग क्योंकि संविधान बनाते समय हम ने बहुत जोर देकर उसमें लिखा था कि भूतपूर्व शासको को यह विशेष अधिकार प्राप्त रहेंग। अलबत्ता अगर उन विशेष अधिकारों को मानने में कुछ तकलीफ होती हो आज के दिन उनको मानने में कुछ अनुचित बात हो, तो हम आईन के जरिये उस पर विचार करेंगे। लेकिन हम यह काम या कोई भी तबदीली गोली के जरिय से जैसा कि चीन और रूस आदि देशों में हुआ, यहां नहीं करेंगे। चीन में हमने देखा कि जिसकी जमीन थी उसे गोली से मार दिया। फ्रांस में भी ऐसा ही हुआ और रूस में भी ऐसा ही हुआ।।वहां कोई भी तबदीली बगैर गोली और खूनखराबे के नहीं हुई लेकिन हम उस रास्ते पर चलने वाले नहीं हैं और हमने अपने यहां जमींदारी प्रथा को शान्तिपूर्वक बगैर खूनखुराबे के खत्म किया और जमींदारों को मुआविजा देकर उनकी जमींदारियां लीं।

इस सदन में औरों के साथ जमींदार लोग भी बैठते हैं उनको समान अधिकार प्राप्त होते हैं। भारतीय संसद में नृपति मंडल के चार सदस्य चुने गये हैं और उनको भी समान अधिकार प्राप्त होते हैं। आज संविधान में अगर एक बाजू में हमने लिखा कि सारे नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होगा तो दूसरी धारा में यह लिखा कि जो करार हमने किया,जो शर्त हमने मानी और जो वायदा हमने किया उनको हम मानेंगे। अतीत में भारतीय अदालतों में नृपति लोगों को जो विशेष अधिकार थे वह विशेष अधिकार हम नहीं छीन सकते थे क्योंकि देश के एकीकरण में उनका सहयोग नितान्त आवश्यक था इसलिए उनकी रियासतों का विलीनीकरण करते समय हमने यह वायदा किया कि उनके वह पुराने अधिकार कायम रहेंगे। अगर आप पुरानी दीवानी की संहिता को देखेंगे तो मालूम होगा कि उसमें उनको और ज्यादा अधिकार हासिल थे क्योंकि बगैर जायदाद के लिए अगर यहां

[श्री अ० कु० सेन]

भारतीय अदालत के जुरिस्डिक्शन के भीतर कुछ लेनदेन होता, ट्रेड के जरिये अगर ऐसे मामलात होते तो वहां पर अपील नहीं कर सकते थे मगर जब सन् १९५० में कानून का संशोधन किया तब यह विशेष धारा हमने उपस्थित की कि एक बाजू में जो राजा को विशेष अधिकार मिलेगा तो दूसरे बाजू से देखेंगे कि आम जनता को उससे कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचती है। अच्छ अच्छ मामले हमने एकदम बिल्कुल अदालत के बाहर निकाल दिये। इसलिये जो धारा है उसमें दिया हुआ है कि होम मिनिस्ट्री से सैंक्शन मिलने पर ही हम मामला दायर कर सकेंग। इस धारा का इतिहास यही है।

श्री हरि विष्णु कामत (हौशंगाबाद) : होम मिनिस्ट्री से मंजूरी लीजिये।

श्री अ० कु० सेन : मैं मामला नहीं करता हूं। अगर आप मामला करना चाहते हैं तब आप जरूर दरख्वास्त पेश कीजिये हम देखेंगे।

श्री हरि विष्णु कामत : संविधान अमेंड कीजिये।

श्री अ० कु० सेन : सन् १९५० से लेकर अब तक ८०० मामले दायर हुए। करीब ५०० मामलों की दरख्वास्त मंजूर हुई। होम मिनिस्टरी से केवल करीब २०० मामलों की दरख्वास्त मंजूर नहीं हुई और करीब १००–१५० मामले विचाराधीन हैं। अब होम मिनिस्ट्री सोचेगी . . . .

श्री म० ला० द्विवेदी : जो मामले विचाराधीन हैं या जिनकी इजाजत नहीं दी गई क्या सरकार को यह पता चला कि यह मामले शासकों के विरुद्ध झूठे ही चलाये गये, खाली उनको अपमानित करने के लिये चलाये गये, या उनको यूं ही इजाजत नहीं दी गई ?

श्री अ० कु० सेन : बगैर इजाजत के मामला दायर नहीं हो सकता।

श्री म० ला० द्विवेदी: मेरा यह पूछने से मतलब यह है कि जिनमें सरकार ने इजाजत नहीं दी है उन मामलों में क्या सरकार को यह पता चला कि मुकदमा चलाने वालों ने शासकों को अपमानित करने के लिये इजाजत मांगी थी या किसी और कारण से और अगर इजाजत नहीं दी गई तो क्यों नहीं दी गई ?

श्री अ० कु० सेन : प्राइमाफैंसी—केस प्रमाणित हो जाय तब तो इजाजत जरूर दी जाती है। लेकिन अब मालूम होता है कि मामले से सम्बन्धित जितने फैक्ट्स हैं सही नहीं हैं और फैवलस मामला है तब उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। यही नीति हमारी चलती है और हम समझते हैं कि इससे बेकार और गलत मुकदमेबाजी नहीं होगी। लेकिन तब भी एक प्रीकाशन जरूर होना चाहिए कि अगर कोई दरख्वास्त हम मंजूर न करें तो उसके ऊपर उस दरख्वास्त वाले को यह अधिकार होना चाहिए कि वह उसको रिकंसिडर करा सके। उसके लिए कानून का अधिकार नहीं है। लेकिन यहां से हम लोग ला मिनिस्ट्री और होम मिनिहटरी आपस में उस के बारे में सलाह मशविरा करके आखिरी फैसला कर सकते हैं। जैसे मुकदमे की अपील होती है उसी तरह से जब एक दरख्वास्त नामंजूर होती है तो उसके ऊपर अपील चल सकती है। और इस ढंग से हम चलें तो मैं समझता हूं कि कोई नीति का झगड़ा भी नहीं उठ सकता है और किसी को कोई तकलीफ भी नहीं पहुंच सकती है। इसलिए मैं श्री द्विवेदी जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपने प्रस्ताव को वापस ले लें। मैं अन्य माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने कि अपने विचार प्रकट किये।

†**श्री यलमन्दा रेड्डी** : जब न्यायालय कोई निर्णय दे दे, तो सरकार को उसमें हस्तक्षेप करने की क्या आवश्यकता है ?

†**श्री अ० कु० सेन** : आज तक कोई ऐसा मामला नहीं हुआ जिस में न्यायालय ने गिरफ्तारी का आदेश दिया हो । किन्तु मैं यह बता सकता हूं कि सरकार कब अनुमति देने से इन्कार करती न्यायालय की डिग्री और दण्ड की माफ करने या कम करने का कार्यपालिका---राष्ट्रपति या राज्यपाल को अधिकार है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री द्विवेदी :

श्री च० का० भट्टाचार्य : मैं विधि मंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूं । उन्होंने ये दो बातें नहीं बतायीं कि देशीय राजवृन्द के साथ जो संधिपत्र हुए, उन को बदला जा सकता है या नहीं और अगर बदला जा सकता है, तो किस तरह से बदला जा सकता है ।

श्री हरि विष्णु कामत : संविधान को बदलना पड़ेगा ।

श्री हेम राज : सवाल यह है कि क्या वे पर्मानेंट हैं या कई सालों के बाद, कुछ पीढ़ियों, जेनरेशन्ज, के बाद वे बदल जायेंगे ।

श्री अ० कु० सेन : वे वैसे ही पर्मानेंट है, जैसे कि संविधान की हर एक धारा पर्मानेंट है । जब तक, उसको बदला नहीं जाता है, तब तक वह पर्मानेंट है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री द्विवेदी ।

श्री म० ला० द्विवेदी : उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं उन सभी महानुभाव सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जन्होंने मेरे इस विधेयक का पूर्ण रूप से समर्थन किया है । मैं समझता हूं कि विधि मंत्री महोदय ने यह जान लिया होगा कि सदन में कोई ऐसा वर्ग नहीं है, जो मेरे इस विधेयक के पक्ष में न हो । अपने भाषण में उन्होंने बताया कि ५०० मामलों में तो सरकार ने स्वीकृति दी और ३०० में नहीं दी है । मेरे प्रश्न करने पर उन्होंने बताया कि चूंकि वे मामले फ़िवलस अथवा तुच्छ थे, इसलिये इजाजत नहीं दी गयी । मैं ने तीन उदाहरण ऐसे रखे थे, जो विधि मंत्री महोदय को पहले से भी मालूम थे और जिनका जिक्र मैंने अपने भाषण में किया था ।

श्री अ० कु० सेन : मुझे पता नहीं था ।

श्री म० ला० द्विवेदी : अगर वह डिबेट्स को देखते, तो उन को मालूम हो जाता ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि वे मामले फ़िवलस नहीं थे । मैं ने एक उदाहरण यह दिया था कि महाराजा कपूरथला ने एक व्यक्ति से १,२५,००० रुपये के बांड्स खरीदे, लेकिन उन्होंने न तो बांड्स वापस किए और न रुपये दिये । जब उस बारे में सिविल सूट दायर करने की इजाजत मांगी गई, तो इजाजत नहीं मिली । इस प्रकार के और भी केसेज है, लेकिन इस समय मैं उनमें नहीं जाना चाहता हूं ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विधि मंत्री महोदय गृह-मंत्रालय से इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी हासिल नहीं कर पाए और इसलिये उन्होंने कह दिया कि जिन मामलों में इजाजत नहीं दी गई, वे सब फ़िवलस थे। लेकिन कुछ मामले फ़िविलस नहीं थे, फिर भी उनके सम्बन्ध में इजाजत नहीं दी गई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मा० ला० द्विवेदी]

मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं नहीं चाहता कि भूतपूर्व शासकों के विरुद्ध फ्रिवलस मामले चलाये जायें, लेकिन यदि कोई मामला फ्रिवलस नहीं है और वास्तव में किसी व्यक्ति के हितों का नुकसान पहुंचा है, तो उसको सिविल सूट दायर करने की अनुमति दी जानी चाहिये। मैं माननीय विधि मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या गृह मंत्रालय में इस प्रकार के मामलों पर विचार करने के लिये ऐसे विधि विशेषज्ञ है, जैसे कि विधि मंत्री महोदय है। अगर सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया जाये कि होम मिनिस्ट्री जिन मामलों के सम्बन्ध में इजाजत नहीं देगी, उन मामलों को जांच करने के लिये विधि मंत्रालय में भेजा जायेगा, तो इस से सब को संतोष हो जायेगा। अगर विधि मंत्रालय में जांच किये जाने के पश्चात किसी मामले में इजाजत नहीं दी जाये, तो फिर किसी को उस पर आपत्ति नहीं होगी। अगर सरकार की ओर से ऐसा आश्वासन मिल जाये, तो मैं समझता हूं कि हम एक कदम आगे बढेंगे।

इस सदन में यह प्रश्न उठाया गया है कि हम ने भूतपूर्व शासकों के साथ, हुए कावेनेंट्स में उन को गारण्टी दी हुई है और संविधान में इस की व्यवस्था की गई है। इस सम्बन्ध में मैं भारत सरकार के व्हाइट पेपर की कुछ बातों की तरफ इस सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जिस में लिखा है :

> विभिन्न करारों के अधीन, शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार जारी रखने की लिए उन्हें गारंटी दी गयी है . . .

श्री हरि विष्णु कामत : यह कौन सी रिपोर्ट है ?

श्री म० ला० द्विवेदी : "व्हाइट पेपर आफ दि गवर्नमेंट आफ इंडिया।" इससे यह साबित होता है कि "डयू रिगार्ड" रखने की बात कही गयी है और एक "जेनरल एशोरेंस' दी गई है। यह बात नहीं है कि वह बाइंडिंग एशोरेंस है। इस लिये भारत सरकार के पास ऐसा कई हिच नहीं है कि इस संशोधन विधेयक को स्वीकार नहीं किया जा सकता है या सिविल प्रोसीड्यर कोड में संशोधन नही किया जा सकता है।

अगर विधि मंत्री महोदय इस समय इस स्थिति में नहीं हैं कि वह इस संशोधन को स्वीकार कर लें, तो मैं उन से आग्रह करूंगा कि वह आगे चल कर इस प्रश्न को भारत सरकार के सम्मुख रखें और सोचें कि इस आशय का संशोधन किया जाए कि ये प्रिविलेजिज खत्म हों और नागरिकों को समान अधिकार मिलें। कि आवश्यकता पड़ने पर वे दीवानी मुकदमें दायर कर सकें। लेकिन जब तक यह नहीं होगा, तब तक मैं चाहूंगा कि विधि मंत्री महोदय इस बात का आश्वासन द कि दीवानी मुकदमे चलाने की इजाजत मांगने के सम्बन्ध में जितने भी मामले गृह मंत्रालय में जायें, उन को इजाजत दी जाये और जिन को गृह मत्रालय स्वीकार न करे, उन की विधि मंत्रालय जांच करे। ऐसे सब मामले जांच करने के लिये विधि मंत्रालय को भेजे जायें और उसकी राय आने के पश्चात् ही कोई निर्णय किया जाये। अगर ऐसा किया जायेगा, तो शासकों के अधिकारों को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा और साथ ही जनसाधारण को भी विश्वास हो जायेगा कि देश में सब नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि विधि मंत्री महोदय यह आश्वासन दें।

श्री ब्र० कु० सेन : मैं ऐसा आश्वासन तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं यह जरूर कह सकता हूं कि हम इस प्रस्ताव के बारे में बहुत तवज्जह दे कर सोचेंगे और ध्यान देंगे।

श्री म० ला० दिवेदी : इस एशोरस के बार . . . .

श्री हरि विष्णु कामत : एशोरेंस नहीं दिया है ।

एक माननीय सदस्य : हिन्दी में एशोरेंस दिया है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : . . मैं आप से आज्ञा चाहता हूं कि मुझे यह विधेयक वापस लेने की इजाजत दी जाये ।

विधि मंत्री महोदय ने मेरे विधेयक पर हिन्दी में भाषण दिया, हिन्दी में उत्तर दिया, इसके लिये मैं उनको अनेक-अनेक बधाई देता हूं और विश्वास करता हू कि अगर सरकार की यह नीति रहेगी, तो हमारे देश की भाषा चल पड़ेगी और राज्य भाषा बन कर रहेगी ।

श्री च० का० भट्टाचार्य : हिन्दी में भाषण सुन कर द्विवेदी जी का हृदय द्रवित हो गया ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने सम्बन्धी श्री यलम्न्दा रेड्डी का संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सदन श्री द्विवेदी को विधेयक वापस लेने की अनुमति देता है

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां ।

विधेयक को सभा की अनुमति से वापस ल लिया गया ।

भारतीय समुद्री बीमा विधेयक

†**श्री बी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा राज्य सभा की इस सिफारिश से, कि लोक सभा श्री एम० पी० भार्गव के समुद्रीय बीमा सम्बन्धी विधि को संहिताबद्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो, सहमत है और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिए लोक-सभा के निम्नलिखित सदस्य मनोनीत किये जायें ।

श्री बासप्पा, श्री बलीराम भगत, श्री मु० वि० भार्गव, श्री मोरारजी देसाई, श्री हिम्मत सिंहजी, श्री इम्बीचिबाबा, श्री जयरामन, श्री कर्णी सिंह, श्री लीलाधर कटकी, श्री ना० नि० पटेल श्री रघुनाथ सिंह , श्री राज बहादुर, श्री राने, श्री थिरूमल राव, सरदार अमर सिंह सहगल, श्री स० चं० सामन्त, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा, श्री उ० मु० त्रिवेदी , श्री विश्राम प्रसाद और श्री दीवान चन्द शर्मा ।

यह एक अत्यधिक आधुनिक विधेयक है, जो कि सरकार संयुक्त समिति में से आने के बाद स्वीकार करने जा रही है । इसे वित्त मंत्री और वित्त उपमंत्री का समर्थन प्राप्त है ।

मैं समझता हूं कि यह विधेयक हमारी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं के अनुसार है । हम पर अब तक बर्तानवी अधिनियम लागू रहा है । अब समय आ गया है कि हमारा अपना अधिनियम हो

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दी० प० शर्मा]

क्योंकि हमारी परिस्थितियां भिन्न है। साथ ही यह विधेयक हमारी राष्ट्रीय नीति के भी अनुकूल है।

"**स्टेट्समैन मीर बुक**" पता चला है कि यद्यपि हमारा नौवहन बहुत उन्नत नहीं है फिर भी इसने काफी प्रगति की है। आजादी के बाद विशेषकर इसने बहुत उन्नति की है। हमें अपना टन भार बढ़ाने के लिये अधिकाधिक अवसर मिल रहे है। विकसित नौवहन उद्योग के लिये यह आवश्यक है कि समुद्री बीमा होना चाहिये। समुद्री जीवन खतरों से भरपूर है। इन खतरों को कम करने के लिये ऐसा बीमा अत्यावश्यक है।

व्यापारिक समुदायों और संगठनों ने इस विधेयक का समर्थन किया है। भारतीय बीमा कम्पनी संस्था ने इस विधयक का स्वागत किया है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

गाजियाबाद–सहारनपुर खंड में गाड़ियों की टक्कर

श्री बागड़ी (हिसार) : मैं नियम १९७ के अन्तर्गत रेलवे मंत्री का ध्यान निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करता हूं और चाहता हूं कि वे इस संबंध में अपना वक्तव्य दें :

> "३० अगस्त, १९६२ को तलहैटी बुजुर्ग स्टेशन के निकट दिल्ली आने वाली ४८ डाउन पठानकोट जनता एक्सप्रेस और देहरादून जाने वाली १ अप मसूरी एक्सप्रेस में भिड़न्त जिस के फलस्वरूप ६६ व्यक्तियों को चोटें आईं।"

रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मुझे दुःख के साथ सदन को सूचित करना है कि ३०–८–१९६२ को रात में लगभग २ बजकर २५ मिनट पर दिल्ली जाने वाली ४६ डाउन जनता एक्सप्रेस देहरादून जाने वाली ४१ अप मसूरी एक्सप्रेस से टकरा गयी। यह दुर्घटना उत्तर रेलवे के गाजियाबाद कोई सहारनपुर इकहरी लाइन सैक्शन पर तलहैड़ी बुजुर्ग और देवबन्द स्टेशनों के बीच हुई। भी डिब्बा या इंजन पटरी से नहीं उतरा।

इस टक्कर की वजह से ६४ व्यक्तियों को चोटें आयीं और जिन में से ५५ को इन गाड़ियों के गार्डों और स्थानीय डाक्टरों द्वारा मरहम पट्टी के बाद छुट्टी दे दी गयी। बाकी ९ व्यक्ति सहारनपुर के अस्पतालों में भेज दिये गये जिन में से ३ को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गयी बाकी ६ अभी अस्पतालों में हैं, जिन में से एक को गहरी चोट आयीं है और उस के बाजू की हड्डी टूट गयी है। इसकी हालत सुधर रही है। दो को मामली चोटें आयी हैं और तीन व्यक्ति डाक्टरों की देख रेख में हैं और यह मालूम किया जा रहा है कि उनकी चोटें किस किस्म की हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

नं० ४१—अप मसूरी एक्सप्रेस गाड़ी के ३ डिब्बों और दोनों गाड़ियों के इंजनों को कुछ नुकसान पहुंचा है ।

सहारनपुर से पूरे डाक्टरी सामान के साथ सहायता गाड़ी तुरन्त घटनास्थल पर भेजी गयी । इसी गाड़ी से रेलवे के डाक्टर, डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट और दूसरे डिविजनल अफसर भी वहां पहुंचे । उत्तर रेलवे के चीफ मैडिकल अफसर भी सड़क के रास्ते दुर्घटनास्थल के लिए रवाना हो गए ।

रेल उपमंत्री श्री शाहनवाज़ खां, रेलवे बोर्ड के एक सदस्य और उत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर के साथ घटनास्थल पर गए और अस्पतालों में घायलों को देखा ।

एडिशनल कमिश्नर, रेलवे सुरक्षा, लखनऊ, दुर्घटना की जांच कर रहे हैं।

श्री बागड़ी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन लोगों को डाक्टरी सहायता दी गयी वह एक्सीडेंट के कितनी देर बाद दी गयी थी और रेलवे मंत्रालय में इस घटना की खबर कितनी देर बाद मिली थी ?

श्री स्वर्ण सिंह : यहां इस बयान में दिया गया है कि रेलवे को गार्डों ने और कुछ दूसरे डाक्टरों ने, जो कि उस गाड़ी से सफर कर रहे थे —जैसा कि मुझे पता चला है—लोगों को जिनको चोटें आयीं थीं मरहम पट्टी की । इस में यह भी कहा गया है कि खुशकिस्मती से लोगों को बहुत ज्यादा गहरी या संगीन चोटें नहीं आयीं ।

जहां तक मुझे इत्तला मिलने का सम्बन्ध है, उसी दिन सुबह सवेरे शायद ८ बजे के करीब मुझे इस हादसे की इत्तला मिल गयी थी ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : यह दुर्घटना किस कारण हुई थी, क्या पाइंटों के गलत होने के कारण अथवा सिगनलों के ठीक से काम न करने के कारण हुई थी ।

†**श्री स्वर्ण सिंह** : इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि दुर्घटना के काणों की जाच हो रही है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : श्रीमन् मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब इस प्रकार के एक्सीडेंट होते हैं तो दो प्रकार की जांच होती है, एक तो जांच ऐसी जिसकी सुबह चर्चा हुई थी डुमरांव के सम्बन्ध में, जो कि कुछ समय के लिये स्थगित कर दी गयी और दूसरी डिपार्टमेंटल जांच होती है । मैं जानना चाहता हूं कि यह जो दुर्घटना हुई है इसकी आप डिपार्टमेंटल जांच कराने की सोच रहे हैं । या कोई ऊंचे स्तर की जांच करावेंगे ?

श्री स्वर्ण सिंह : उसे आप डिपार्टमेंटल कह सकते हैं बेशक, लेकिन यह जांच ट्रांस्पोर्ट मिनिस्ट्री के नीचे जो इंस्पेक्टोरेट आफ सेफ्टी है उसके एक अफसर के मारफत करायी जा रही है ।

†**श्री अ० ना० विद्यालंकार** (होशियारपुर) : क्या यह सच है कि दुर्घटनाग्रस्त इंजिन कुछ दिनों से खराब था और इस खराबी के बारे में पहले दी गई जानकारी की बराबर अवहेलना की जा रही थी । अब सवाल यह है कि जब इंटरलाकिंग आदि ठीक है तो फिर एक ही लाइन पर दो गाड़ियां एक समय कैसे आ गईं ?

†**श्री स्वर्ण सिंह** : इनके बारे में जांच पदाधिकारी जांच करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस बारे में न्यायिक जांच कराने में क्या हिचकिचाहट है ?

†**श्री स्वर्ण सिंह** : कोई कठिनाई तो नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति घायल हुए हैं वे कोई विशेष गम्भीर अवस्था में नहीं हैं इस कारण मैं यह ठीक नहीं समझता कि इस में न्यायिक जांच हो ।

†**श्री क० ना० तिवारी** : (बगहा) : यह तो इन्क्वायरी हो रही है इसकी रिपोर्ट कब तक हाउस को मिल जायेगी ।

†**श्री स्वर्ण सिंह** : जिस वक्त इन्क्वायरी खत्म होगी तो मैं या तो हाउस में वह रिपोर्ट रखूंगा या एक बयान दूंगा जिस में बतलाऊंगा कि उस इन्क्वायरी का क्या नतीजा निकला ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मेरे स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए उसको स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी गई है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : यह मामला लोक महत्व का है। सारा देश इस प्रकार की घटनाओं से परेशान है। यह मामला स्थगन प्रस्ताव का है। ऐसे महत्वपूर्ण मामले के बारे में किये गये स्थगन प्रस्ताव को रद्द करने के लिये कोई कारण तो होना ही चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरा विचार है कि दुर्घटना के बारे में काफ़ी जानकारी दे दी गई है ।

भारतीय समुद्रीय बीमा विधेयक—जारी

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह विधेयक जनमत जानने के लिये परिचालित किया गया था । सभी राज्यों में इसका स्वागत किया गया है। यह प्रसन्नता की बात है।

अब तक इस बारे में कई अधिनियम थे। अब तक भारतीय स्टाम्प अधिनियम १८९९ लागू होता था। इस अधिनियम में उन शुल्कों का उल्लेख था जो बीमा की किश्तों के रूप में दिये जाते थे ।

इस विधेयक में पुराने सभी अधिनियमों को संहिताबद्ध कर दिया गया है। विधि आयोग ने विधेयक का जो प्रारूप तैयार किया था यह विधेयक उससे कहीं अच्छा है। यह अधिक आधुनिकतम है और इसमें बीमा के हर पहलू का उल्लेख मिलता है। यह काफी संक्षिप्त भी है और स्पष्ट भी।

राज्य सभा ने इसको अनुसमर्थन कर दिया है। हम चाहते हैं कि लोक सभा भी इसका समर्थन कर दे ।

यह एक प्रविधिक विधेयक है। इसमें परिभाषाओं तथा अन्य बातों का उल्लेख मिलता है। इसमें उन समस्याओं का समावेश भी किया गया है जिनका सामना अब तक हमारा देश नहीं करता था। नीति बनाने के बारे में भी एक अध्याय इसमें विद्यमान है। इस अध्याय में बहुत सी बातों का उल्लेख किया गया है और उनका स्पष्टीकरण भी किया गया है। इसमें सभी शब्दों जैसे "वेसिल", "शिप" आदि की परिभाषा दे दी गई है। "माल" शब्द की परिभाषा करते हुए कहा है कि "माल" शब्द के अन्तर्गत व्यक्तिगत सामान न आकर व्यापारिक माल आता है। मेरा

---

†मूल अंग्रेजी में

विचार है कि इस विधान में सभी बातें आ गई हैं। कुनिर्वचन एक कल्पना आदि के लिए बहुत ही कम गुंजाइश छोड़ी गई है। आशा है कि सभा मेरे प्रस्ताव से, कि इस विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपा जाये, सहमत होगी।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं। यह विधेयक काफ़ी सीमा तक विधि आयोग द्वारा तैयार किये गये प्रारूप पर आधारित है। इस कारण हमने इसे स्वीकार करने के बारे में सोचा। इसके सिद्धान्त अथवा प्रारूप में शायद ही कोई अन्तर हो। इस कारण इसे संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव उपयुक्त है। अतः सरकार की ओर से मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : उपाध्यक्ष महोदय, शर्मा जी ने जो विधेयक सदन के सम्मुख उपस्थित किया है और जिसे राज्य सभा ने पास किया है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं।

शर्मा जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इस विश्व में जहां तक शिपिंग का सम्बन्ध है हिन्दुस्तान का स्थान १९वां है और जहां तक ऐशिया का सम्बन्ध है जापान के बाद हिन्दुस्तान का स्थान आता है। हमारी करीब ३००० मील लम्बी कोस्टल लाइन है और दिन प्रतिदिन हमारी शिपिंग का विकास होता जा रहा है। शिपिंग के विकास के साथ-साथ इस बात की भी आवश्यकता है कि जहां तक इंश्योरेंस का सम्बन्ध है वह भी भारतवर्ष के हाथ में हो, भारतीय बीमा कम्पनियों के हाथ में हों। मैं समझता हूं कि भगत जी इस के बारे में ज्यादा इनफामशन दे सकते हैं लेकिन जो कुछ अखबारों में निकलता है उस को देखने से मालूम होता है कि करीब १६–१७ करोड़ रुपया इंश्योरेंस के सम्बन्ध में फौरेन इंश्योरेंस कम्पनियों की पौकेट में जाता है। यह १६,१७, या १८ करोड़ रुपया जो हमारे देश का है वह रुपया हिन्दुस्तान में ही रहना चाहिए। इस वास्ते मैं इस विधेयक का और अधिक स्वागत इसलिए करना चाहता हूं कि इंश्योरेंस के साथ ही साथ मैरीटाइम स्टेट के रूप में हिन्दुस्तान की प्रगति हो रही है और इस विधेयक के द्वारा हिन्दुस्तान अपने रुपये की रक्षा करेगा।

मैं सरकार से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस मैराइन इंश्योरेंस बिल के पास होने के बाद सरकार इस बात की कोशिश करे कि हिन्दुस्तानी शिपिंग कम्पनियां अपने सामान का बीमा हिन्दुस्तानी इंश्योरेंस कम्पनियों के मार्फत करवायें। और मैराइन इस इंश्योरेंस बिल के पास हो जाने के बाद भी हम अपने जहाजों का इंश्योरेंस विदेशी बीमा कम्पनियों में कराते रहेंगे तो इस विधेयक के पास करने का कोई अर्थ नहीं होता है। इस वास्ते मुझे आशा है कि सरकार इस बारे में ध्यान देगी। हिन्दुस्तान में मैं समझता हूं कि कोई १६ परसेंट टनेज सरकार का होगा इसलिए कम से कम इतना तो किया ही जाय कि जो सरकारी जहाज हैं उनका तो हिन्दुस्तानी कम्पनियों में जरूर ही इंश्योरेंस हो।

श्री बृज बिहारी मेहरोत्रा (बिल्हौर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शर्मा जी ने जो विधेयक उपस्थित किया है वह बड़ा ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है। हमारे देश में जहाजरानी बढ़ रही है और यह खुशी की बात है कि हमारे विधायकों का ध्यान उधर गया और माननीय शर्मा जी इस बिल को लाये। इस बिल को सरकारी समर्थन मिलना चाहिए और अभी श्री भगत ने जो इस के बारे में कहा कि सरकार इससे सहमत है और इसके सिद्धांतों को मानती है उसे सुन कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। श्री रघुनाथ सिंह ने भी इस का समर्थन करते हुए अपने विचार

†मूल अंग्रेजी में

(श्री मु० वि० भार्गव का)

[श्री बृज बिहारी मेहरोत्रा]

प्रकट किये हैं और मैं भी इसका हार्दिक समर्थन करता हूं। मैं यह आशा करता हूं कि सरकार की तरफ से इस मामले में तेजी से कार्यवाही की जायगी और इस बिल को सार्थक रूप देने में कोई दकीका उठा न रक्खा जायेगा। इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री गौरी शंकर कक्कड़ (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, शर्मा जी ने जो विधेयक रक्खा है उस का मैं समर्थन करता हूं। जैसा कि शर्मा जी कई बार इस सदन में यह चीज कह चुके हैं कि संसद् में प्राइवेट बिलों का लौट जानी हुई चीज है और सरकार द्वारा उनको गम्भीरतापूर्वक नहीं लिया जाता है परन्तु आज प्रथम बार इतना तो मैं देख ही रहा हूं कि उपमंत्री महोदय द्वारा जो अभी यह संकेत किया गया है और ज्वांएट कमेटी बनाने के लिए जो उनका उस समर्थन प्राप्त हुआ है मैं उस चीज का भी स्वागत करता हूं। अभी मंत्री महोदय ने यह बात भी कही है कि वह इसके मस्विदे से सहमत हैं और उनके द्वारा जो एक ड्राफ्ट बनाया गया है वह इस से मिलता जुलता है और ऐम्स एंड औबजैक्ट्स भी वही हैं। इस तरह से यह विधेयक जो कि एक प्राइवेट मेम्बर द्वारा उपस्थित किया गया है इस को अगर सरकार मान लेती है और जब इस बात का समर्थन सरकार द्वारा हो जाता है तो कम से कम माननीय शर्मा जी का यह मलाल और शिकायत जो कि सदन में वह बारबार कर चुके हैं कि प्राइवेट मेम्बर्स द्वारा जो बिल आते हैं वह कभी भी स्वीकृत नहीं होते, उनके इस बिल को सरकारी समर्थन मिल जाने से रफा हो जायेगी। मैं समझता हूं कि यह विधेयक ऐसा हो जिससे इस बात का आरम्भ हो जाय। श्रीगणेश हो जाय कि प्राइवेट मेम्बर्स द्वारा जो बिल आते हैं उन का भी सरकार द्वारा उसी प्रकार से समर्थन हो सकता है जैसे कि उनके द्वारा स्पौन्सर्ड बिल्स का होता है।

इस बिल का समर्थन करते हुए मैं इस बात पर विशेष तौर पर हर्ष प्रकट करता हूं कि सरकार की ओर से इस बिल को स्वीकार कर लिया गया है और यह बात भी मान ली गई है कि जो ड्राफ्ट या मसौदा रखा गया है, उसी के आधार पर यह कानून बनाया जाये और सरकार द्वारा स्पांसर्ड कोई दूसरा बिल न लाया जाये, ताकि भविष्य में हम लोगों को इस बात का प्रोत्साहन मिले कि ऐसा भी अवसर आ सकता है, जब हम लोगों के द्वारा उपस्थित बिल के मसौदे को, अगर वह न्यायसंगत हो, काननी रूप दिया जासकता है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाना चाहिये।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद (नालंदा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री शर्मा, ने जहाज़रानी के इन्शोरेंस के सम्बन्ध में जो विधेयक उपस्थित किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। यह और भी संतोष की बात है कि वित्त उपमंत्री, श्री भगत, ने इस का स्वागत किया है।

इस मौके पर, जब कि हमारे देश का आर्थिक विकास तेज़ी से हो रहा है, यह बहुत आवश्यक है कि हमारा ध्यान जहाज़रानी के विकास की तरफ़ भी जाये। बहुत प्राचीन काल में भी जब हमारे देश में वाणिज्य व्यवसाय का विकास हुआ था, तो उस समय जहाज़रानी को बहुत महत्व दिया गया था, लेकिन कई कारणों से धीरे-धीरे हमारी शक्ति कम हो गई। आधुनिक काल में जब हम अपने राष्ट्र का पुनः निर्माण कर रहे हैं, तो जहाज़रानी के लिए अपने देश में बीमे की व्यवस्था करना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है। अब तक हम अंग्रेज़ी कानून के आधार पर अपना काम चलाते रहे

†मूल अंग्रेजी में

थे। अब अगर हम उसके स्थान पर अपने देश की ज़रूरतों के मुताबिक जहाज़रानी के विकास के लिए बीमे के सम्बन्ध में एक नया कानून बनाते हैं, तो यह बहुत प्रसन्नता और संतोष का विषय है।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुईं।]

यह और भी खुशी की बात है कि सरकार ने एक प्राईवेट मेम्बर के बिल को उसी रूप में स्वीकार करने का सहर्ष आश्वासन दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी ही सरकार की ओर से जहाज़रानी के बीमे के सम्बन्ध में एक ऐसा विधेयक आयेगा, जिसकी वजह से हमारा यह अंग विकसित हो सकेगा और हमारे देश के वाणिज्य व्यवसाय को मदद मिलेगी। हम यह जानते हैं कि हमारे देश में जहाज़रानी का जो विकास हो रहा है, उसी पर हमारे देश के वाणिज्य व्यवसाय का विकास निर्भर करता है।

जैसा कि माननीय सदस्य, श्री रघुनाथ सिंह, ने संकेत दिया है, जब तक ज्यादा से ज्यादा लोग अपने देश की बीमा कम्पनियों के माध्यम से जहाज़ों का बीमा करा के उन को उचित प्रोत्साहन नहीं देंगे, तब तक उनका विकास नहीं हो सकेगा। इस लिए यह आवश्यक है कि सरकार खुद इस में दिलचस्पी ले और वह इस सम्बन्ध में आगे कदम उठाये, ताकि हमारे देश का जो १७, १८ करोड़ रुपया विदेशों में चला जाता है, वह देश में ही रहे।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आप ने बोलने के लिए मुझे जो मौका दिया है, उसके लिए मैं आप को धन्यवाद देता हूं।

†**श्री शामलाल सर्राफ** (जम्मू तथा काश्मीर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। प्राचीनकाल में एक ज़माना वह भी था जब कि भारत का समुद्र पर एक प्रकार से आधिपत्य था। उन दिनों हमारे जहाज़ सारे समुद्रों का भ्रमण किया करते थे। दुर्भाग्यवश हम पराधीन हो गये लेकिन अब स्वतंत्र हो गये हैं। हमें अब इस क्षेत्र में विकास करना चाहिये। जब देश में निर्यात व्यापार बढ़ रहा र तो बीमा भी बढ़ेगा। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि प्रारम्भिक अवस्था में समुद्री बीमा गैर-सरकारी क्षेत्र में रहने दिया जाये। कुछ अनुभव हो जाने के बाद ही सरकार को उसमें प्रवेश करना चाहिये। समुद्री बीमा शुरू हो जाने के बाद बहुत से नवयुवकों को काम मिल जायेगा। तथा देश को बहुत से रुपये की बचत भी हो जायेगी। आशा है कि संयुक्त समिति इस विधेयक पर अच्छी तरह विचार करके अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी जो संसद् द्वारा स्वीकार किया जायेगा।

†**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर): इस विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव सरकार ने स्वीकार कर लिया है। यह अच्छी बात है।

[श्री मूल चन्द डुबे पीठासीन हुये]

भारतीय समुद्री बीमा बहुत ही लाभदायक है। लेकिन अभी तक इसकी अवहेलना की जाती रही है। यह बीमा अभी तक विदेशी समवायों के हाथ में ही रहा है। इस विधेयक के पारित हो जाने पर ऐसी आशा है कि सरकार अपने सभी जहाज़ों का बीमा करायेगी तथा इस क्षेत्र में काम शुरू करेगी। इससे सरकार को भी आय होगी। लोगों को व्यवसाय भी मिलेगा। आशा है कि संयुक्त समिति इस विधेयक पर अच्छी तरह विचार करेगी और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी जो सभी को मान्य होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

(श्री मु० वि० भार्गव का)

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीदा** (आनन्द) : मैं ने श्री शर्मा के समुद्रीय बीमा विधेयक को रुचिपूर्वक पढ़ा है । ऐसा बहुत कम होता है कि सरकार ने गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक स्वीकार किया हो ।

मुझे जहाज़रानी का पर्याप्त अनुभव है । सिंधिया नेवीगेशन कम्पनी से मेरा उस समय सम्बन्ध रहा है जब देश में बहुत कम भारतीय इससे सम्बद्ध थे । यह एक अच्छी व्यवस्था है कि हमारी अपनी समुद्रीय बीमा समवाय हो ताकि देश का रुपया बाहर न जाने पाये और विदेशी मुद्रा की स्थिति संकटमय न हो । हमारे जहाज़ बड़ी संख्या में दूसरे देशों को जाते हैं अतः समुद्रीय बीमा की ओर ध्यान देना आवश्यक है । मेरा यह भी सुझाव है कि उड्डयन सम्बन्धी विधेयक भी प्रस्तुत किया जाना चाहिये । आज हमारा उड्डयन सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवसाय विदेशी समवायों के हाथों में है ।

आज समुद्रीय व्यापार अधिकतर यूरोपीय समवायों के पास है । जब मैं सिंधिया नेवीगशन कम्पनी में था तो मुझे मालूम है कि तटवर्ती व्यापार में हमें कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता था । उस समय बम्बई और सौराष्ट्र अथवा गोआ या श्रीलंका के साथ व्यापार करने में हमें कठिनाई होती थी । नई व्यवस्था के अन्तर्गत हम प्रगति करेंगे । हमारे नाविकों और समुद्र पोतों का भी बीमा किया जाना चाहिये । विमानों की भांति समुद्री जहाज़ों के यात्रियों का भी अनिवार्य बीमा किया जाना चाहिये । इससे हमारे बीमा समवाय निरन्तर समृद्धि प्राप्त करेंगे ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मैं श्री भार्गव को यह विधेयक प्रस्तुत करने के लिये बधाई देता हूं । गैर-सरकारी विधेयक कदाचित ही कभी संसद् में पारित किये जाते हैं ।

आजकल पांच या छः समवाय इस क्षेत्र में हैं किन्तु उनके संसाधन पर्याप्त नहीं हैं वे भली प्रकार जोखिम नहीं ले सकते हैं । इस अवसर पर मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण की संभावना पर भी विचार करें ।

जब मैं जीवन बीमा राष्ट्रीयकरण की प्रवर समिति में था तो सरकार ने यह कहा था कि अनुभव प्राप्त करते ही वे सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण पर विचार करेंगे ।

आज हमारे पास समुद्री जहाज़ों की कमी है । हम विदेशों से खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुओं को मंगाने के लिये करोड़ों रुपये भाड़े पर खर्च कर देते हैं । मेरा विचार है कि नवीन व्यवस्था से यह समस्या काफी सुलझ जायेगी ।

भारत में जहाज़ों का बीमा होने पर भी हम उनके पुनर्बीमा के लिये विदेशी समवायों के पास जाते हैं । यदि सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये तो हम भारत में ही पूरी जोखिम भर सकते हैं तथा विदेशों में पुनर्बीमा कराने की आवश्यकता फिर न रहेगी ।

†**श्री ब० रा० भगत** : मुझ से एकदो बातों का स्पष्टीकरण मांगा गया है । श्री रघुनाथ सिंह ने पूछा है कि क्या हम जहाज़ों के बीमे पर १६ से १८ करोड़ रुपये बीमा प्रीमियम पर खर्च नहीं करते हैं । यह आंकड़े इंश्योरेंस ईयर बुक में बताये गये हैं । भारत में पंजीकृत रूप समवायों के लिये जहाज़ों के बीमे पर ७॥ करोड़ रुपये बीमा प्रीमियम पर दिये गये हैं । उस रकम में २.६ करोड़ रुपये विदेशी समवायों के हैं और शेष भारतीय समवायों के हैं । कुछ वर्ष से हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि भारतीय निर्यात और आयात कर्ताओं का व्यापार उस समवाय संग्रह को दिया जाये जिसमें सब भारतीय समवाय हों तथा विदेशी समवाय न हों । तीन सामान्य बीमा समवायों ने

---

†मूल अंग्रेजी में

संग्रह स्थापित किया है और अधिकांश व्यापार उन्हीं को दिया जाता है। इस कार्य के फलस्वरूप बीमा प्रीमियम के राष्ट्रीय अंश में वृद्धि हो रही है।

अधिकांश आयात लागत भाड़ा सहित आधार पर है। हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि निर्यातकर्त्ता हमारे समवायों से ही बीमा करायें। इस में इच्छा का अभाव नहीं है और न नीति या कार्यक्रम का ही अभाव है किन्तु प्रश्न है अत्यधिक संसाधन सम्पन्न समवायों का। हम इनके निर्माण का प्रयत्न कर रहे हैं। जो समवाय हमारे जहाजों का बीमा करते हैं उन्हें पुनः विदेशी समवायों से बीमा कराना होता है और ये विदेशी समवाय पर्याप्त संसाधन सम्पन्न हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि भारत की एक छोटी समवाय २० या २५ अथवा ५० लाख रुपये का जहाज़ का बीमा करती है और यदि वह जहाज़ डूब जाये तो इस स्थिति में वह समवाय भी डूब जायेगी। इसलिये बीमाधारियों को विदेशों में पुनः बीमा कराना पड़ता है। हम ने बीमा सीमित अंश में प्रारम्भ किया है किन्तु इसमें संसाधनों का प्रश्न निहित है।

इन शब्दों के साथ मैं विधयक को सिद्धान्त रूप में स्वीकार करता हूं। उसे सुव्यवस्थित रूप देने के लिये जो भी सुझाव आवश्यक होंगे उन पर संयुक्त समिति में विचार किया जायगा। मुझे विश्वास है कि संयुक्त समिति में इसे उपयुक्त रूप प्रदान कर दिया जायगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा की इस सिफारिश से कि लोक-सभा श्री मु० बी० भार्गव के समुद्रीय बीमा सम्बन्धी विधि को संहिताबद्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो, सहमत है और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिये लोक-सभा के निम्नलिखित सदस्य मनोनीत किये जायें, अर्थात्—श्री बासप्पा, श्री बलीराम भगत, पंडित मु० वि० भार्गव, श्री मोरारजी देसाई, श्री हिम्मत सिंहजी, श्री इम्बीचिबावा, श्री जयरामन, श्री कर्णीसिंह जी, श्री लीलाधर कटकी, श्री अ० नि० पटल, श्री रघुनाथ सिंह, श्री राज बहादुर, श्री शिवराम रंगो राने, श्री तिरुमल राव, सरदार अमर सिंह सहगल, श्री स० चं० सामन्त, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा, श्री उ० मृ० त्रिवेदी, श्री विश्राम प्रसाद, श्री दीवन चन्द शर्मा।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद २२६ का संशोधन)

†**श्री डी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मैं यह विधयक अत्यन्त शुभ मुहूर्त में प्रस्तुत कर रहा हूं। सरकार ने अभी हाल में समुद्रीय बीमा विधेयक को सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया है और अब वह संयुक्त समिति के पास भेजा जा रहा है। मुझे आशा है कि मेरे विधेयक के प्रति भी ऐसी ही भावना प्रदर्शित की जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दी० चं० शर्मा]

मैं यह विधेयक इसलिये प्रस्तुत कर रहा हूं कि न्याय प्रशासन सस्ता और शीघ्र हो । जो लोग केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध अभियोग चलाने के लिये सुदूरवर्ती भागों से आते हैं उनके लिये यह विधेयक हितकर सिद्ध होगा । जनमत इसके पक्ष में है पंजाब उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की सम्मति इस प्रकार है (श्री डी० के० महाजन) इस संशोधन से अन्य उच्च न्यायालयों को केन्द्रीयसरकार के विरुद्ध आदेश जारी करने का अधिकार मिलता है । इससे सरकिट बोर्ड दिल्ली में काम का जमाव कम हो जायगा तथा इस उपबंध का समर्थन किया जाना चाहिये । राजस्थान सरकार भी संविधान के अनुच्छेद २२६ में संशोधन करने से सहमत है ।

†**सभापति महोदय** : अब पांच बज गये हैं । माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रखेंगे ।

---

*मध्य प्रदेश में खनिजों पर स्वामित्व

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** (महासमन्द): भिलाई इस्पात परियोजना द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को जो स्वामित्व दिया जा रहा है उसके बारे में मध्य प्रदेश में भ्रांतियां और कुछ वैधानिक बातें हैं जिनके बारे में स्पष्टीकरण करना मैं जरूरी समझता हूं ।

एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया था वह स्पष्ट नहीं था और उससे भ्रांतियां दूर नहीं हुई थी । मैं समझता हूं कि अबकी बार ऐसा नहीं होगा ।

माननीय मंत्री महोदय ने बताया था कि वहां तीन प्रकार की स्थिति है । पहली स्थिति तो मध्य प्रदेश सरकार की उस भूमि के बारे में है जो हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी को विशिष्ट प्रयोजनार्थ दी गई है । दूसरी बात भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन अर्जित की गई भूमि के बारे में है । इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय का कहना था कि इस भूमि के लिये स्वामित्व देने की कोई आवश्यकता नहीं है । तीसरी बात खनिज छूट नियमों के उपबन्धों के अधीन दी गई खनिज लीज़ की बात है ।

मैं यह जानना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार को भुगतान की जाने वाली स्वामित्व के बारे में क्या स्थिति है कितनी दे दी गई है और कितनी अभी बकाया है । सरकार यह बताये कि स्वामित्व समय पर क्यों नहीं दिया गया था तथा मध्य प्रदेश सरकार के साथ जो शर्त हुई थी उसके अनुकूल वह क्यों नहीं था ।

स्वामित्व की दर बहुत ही कम है । हालांकि मध्य प्रदेश सरकार बराबर केन्द्रीय सरकार से यह अभ्यावेदन करती रही है कि ये दर बढ़ा दी जाय ताकि उन्हें कुछ अधिक आय होने लगे । ज्ञात हुआ है कि यह मामला कई वर्षों से केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है किन्तु अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

सरकार यह बताये कि स्वामित्व के अतिरिक्त क्या कोई और भी तरीका है कि मध्य प्रदेश सरकार को इन खनिज संसाधनों से और अधिक आय होने लगे । हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी से भी अधिक आय होने लगे इसका भी कोई तरीका बताना चाहिये ।

---

*आधे घंटे की चर्चा ।

†मूल अंग्रेजी में

यह भी स्पष्ट किया जाय कि स्वामित्व की दर निविदा के अनुसार हो अथवा खनिज विनियमन तथा विकास अधिनियम के अधीन ।

मेरी जानकारी के अनुसार १९६० के अन्त तक स्वामित्व की राशि ५१.९६ लाख रुपये थी जिसमें से ४३.८२ लाख का भुगतान किया गया था । पता नहीं अब क्या स्थिति है । यह अच्छा नहीं लगता कि हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी के विरुद्ध राजस्व राशि प्राप्त करने के लिय कार्यवाही की जाय । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इनके बारे में स्पष्टीकरण करेंग।

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : हिन्दुस्तान स्टील ने बताया है कि भिलाई इस्पात संयंत्र ने जो खनिज पदार्थ लिये हैं उनके बारे में १९५९ के बाद से स्वामित्व लेने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है । १९५९ में एक बार स्वामित्व का भुगतान रोक लिया गया था वह भी इस सन्देह के कारण कि क्या भिलाई इस्पात को यह भुगतान करना भी है अथवा नहीं । अभी इस बारे में निर्णय होना शष है । जिला औषध कलक्टर ने भिलाई इस्पात संयंत्र के महाप्रबन्धक को एक नोटिस दिया था कि वह ४ लाख रुपये का तदर्थ भुगतान कर दे । यह राशि औषध खजाने में जमा कर दी गई थी । उसके पश्चात् से राज्य सरकार द्वारा न तो कोई नोटिस दिया गया है और न धन लेने के लिये कोई कार्यवाही ही । अतः माननीय सदस्य का यह कहना कि धन प्राप्त करने के लिये बार बार कहा गया है उनका एकमात्र सन्देह है । यह कहना भी गलत है कि बार बार कहने के पश्चात् ही धन मिला है । धन का भुगतान करने का कोई दायित्व था यह कहना भी सन्देहजनक है । नोटिस मिलते ही ४ लाख की राशि जमा कर दी गई थी । इसके बाद धन एकत्रित करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

भिलाई इस्पात संयंत्र के लिये लौह अयस्क, चूना, और डोलोमाइट के लिये जो आवेदन इस संयंत्र ने दिये थे वे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम १९५७ में उपबन्धित शर्तों के अधीन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है । हिन्दुस्तान स्टील लि० ने भी इन शर्तों को मान लिया है ।

भिलाई इस्पात उद्योग द्वारा राज्य सरकार को स्वामित्व भी बराबर दिया जाता रहा है ।

बड़े तथा छोटे खनिजों के लिये निम्नलिखित दर पर स्वामित्व दिया जाता रहा है । बड़े खनिजों के लिये २६,८२,३६३ रुपये देना था जिस में से २६,२३,९६० रुपये दे दिया गया है । और ५८,४०३ रुपये शेष रहा है । छोटे खनिजों के लिये ४५,०१,७७२ देना था और ४३,१८,१०० रुपये दे दिया गया है तथा १,८३,६७२ रुपये शेष रह गया है । अतः कुल ७१,८४,१३५ रुपयों में से ६९,४२,०६० रुपये दे दिये गये हैं और २,४२,०७५ रुपये देना शेष है ।

बड़े खनिजों के लिये खान तथा खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, १९५७ की द्वितीय अनुसूची में निर्धारित न्यूनतम दरों के अनुसार स्वामित्व दिया गया है। परिशिष्ट में इन दरों का ब्यौरा दिया गया है । विस्तृत न्यूनतम दरें इस प्रकार हैं : लौह अयस्क ५० नये पैसे, मैंगनीज १ रुपया, चूना, ३७ नये पैसे डोलोमाइट २५ नये पैसे । छोटे खनिजों के लिये स्वामित्व इस प्रकार दिया गया है : पत्थर चूना और रेता के लिये न्यूनतम दर प्रति टन १ रुपया दी गई है जो कि मध्य प्रदेश छोटे खनिज १९६१ की प्रथम अनुसूची में निर्धारित है । इस कारण यह कहना कि भिलाई इस्पात संयंत्र ने ठीक दर से भुगतान नहीं किया है गलत है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस संयंत्र के जो भूमि भारत सरकार ने अर्जित की है वह हिन्दुस्तान स्टील लि० तथा मध्य प्रदेश सरकार के बीच हुई बातचीत के आधार पर की है। इन शर्तों में एक शर्त यह भी है कि भिलाई संयंत्र किन शर्तों पर स्वामित्व देता है। राज्य सरकार का यह कहना है इस भूमि से जो भी खनिज प्राप्त किये गये हैं उन पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार स्वामित्व दिया जाये। इस सम्बन्ध में विधि तत्कालीन खनिज और ईंधन विभाग के परामर्श के आधार पर विचार किया गया।

विधिक स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने यह भूमि इस्पात संयंत्र के लिये मुफ्त दी। लेकिन इस में खनिजों की बात नई आती थी अतः राज्य सरकार के लिये अब इस बात की छूट है कि वह खनिजों के बारे में बातचीत करे या इन खनिजों पर किस दर से स्वामित्व दिया जाये इस बारे में बातचीत करे।

भूमि अर्जन अधिनियम १८९४ के अधीन अर्जित की गई भूमि से मिलने वाले जितने भी खनिज पदार्थों की बात है केन्द्रीय सरकार यह कह सकती है कि वे उसे दिये जायें और इस के लिये उसे कोई स्वामित्व देने की आवश्यकता नहीं है। बशर्ते कि भूमि अर्जन (खान) अधिनियम १८८५ की धारा ३ के अधीन कोई अपवाद विवरण न दिया गया हो। किन्तु यदि इस प्रकार का कोई अपवाद विवरण दिया गया हो तो फिर इन खनिजों के बारे में कुछ नहीं कह सकते।

हिन्दुस्तान स्टील लि० ने बताया है कि खनिज अधिकारों को किसी भी विवरण द्वारा अलग नहीं किया गया था। अर्थात् वे भी हिन्दुस्तान स्टील लि० के हैं। यही कारण है कि विधि मंत्रालय ने तथा खान और ईंधन विभाग ने यह विचार प्रकट किया कि राज्य सरकार को कोई स्वामित्व देने की जरूरत नहीं है। हिन्दुस्तान स्टील लि० ने यह भी बताया है कि भूमि के हस्तान्तरण के बारे में राज्य सरकार से अब भी बातचीत चल रही है।

भिलाई खान का क्षेत्र बड़े खनिजों के लिये ५,७७०.६३ एकड़ भूमि का है। भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन तीसरे व्यक्तिकी ४४५.१५ एकड़ भमि ली गई है, राज्य सरकार को मुफ्त में ४,३२९.२६ एकड़ भूमि मिली है।

अस्थायी तौर पर यह निर्णय हुआ है कि राज्य सरकार की भूमि में प्राप्त खनिजों के लिये हम स्वामित्व दें लेकिन भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन प्राप्त भूमि में मिलने वाले खनिजों के लिये कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भूमि देते समय उन्हों ने कोई अपवाद विवरण नहीं दिया था। अंतिम निर्णय करने से पूर्व वित्त मंत्रालय से बातचीत की जायेगी। अन्य परियोजनाओं पर इस का क्या प्रभाव पड़ेगा इस दृष्टि से वित्त मंत्रालय विचार कर रहा है। क्योंकि यदि मध्य प्रदेश सरकार को स्वामित्व दिया गया तो अन्य राज्य सरकारें भी, जिनकी कि भूमि ली गई होगी, मांग करेंगी।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल**: संविदा में निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान किया गया है। इसके क्या अभिप्राय हैं। क्या खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम में निर्धारित दरों से वे भिन्न है अथवा समान हैं ?

बिहार और उड़ीसा में हिन्दुस्तान स्टील किस हिसाब से भुगतान करता है ? क्या वे वहां भी कम से कम दर पर भुगतान कर रहे हैं। क्या गैर सरकारी लोग भी कम से कम दर के हिसाब से भुगतान करते हैं। अथवा अधिक से अधिक दर से।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : संविदा में निर्धारित दरें अधिनियम के अनुसार है । अधिनियम के प्रतिकल कोई मांग नहीं की जा सकती । ये खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के अनुसार हैं । बिहार तथा उड़ीसा में उसी दर से भुगतान किया जा रहा है जिस दर से कि मध्य प्रदेश में किया जा रहा है । राज्यों के साथ कोई भेदभाव की बात नहीं है । रूरकेला भी इसी दर से भुगतान कर रहा है । हम ठीक विधिक स्थिति मालूम कर रहे हैं ताकि जो बात मध्य प्रदेश के साथ लागू हो वही अन्य राज्यों के साथ भी लागू हो । माननीय सदस्य महोदय को मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम ने मध्य प्रदेश सरकार का कोई भुगतान नहीं रोका है । मध्य प्रदेश भी अपने अधिकारों के बारे में काफी सजग हैं । वह भी कोई भुगतान नहीं छोड़ेगी ।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, ३ सितम्बर, १९६२/१२ भाद्र, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

शुक्रवार, ११ अगस्त, १९६२

९ भाद्र, १८८४ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२४६७–९०
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
७२१	ट्रैक्टरों का निर्माण	२४६७–६९
७२२	सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं के लिये मख्य उपकरण	२४७०
७२३	रानीगंज और झरिया में सड़कों का सुधार	२४७१-७२
७२४	दिल्ली के चारों ओर वृत्ताकार रेलवे	२४७३-७५
७२५	झेलम परियोजना	२४७५-७६
७२६	"ट्रंक डायलिंग योजना"	२४७६-७७
७२७	दिल्ली में आयुर्वेदिक कालिज	२४७७-७९
७२८	भारत में तापीय केन्द्रों के डिजाइन	२४७९-८०
७२९	दिल्ली के लिये वृहद् योजना	२४८१-८३
७३०	भारत कृषक समाज	२४८३-८६
७३१	परिवार नियोजन	२४८६-८८
७३२	चीनी का निर्यात	२४८८-८९
७३४	बीज परीक्षण प्रयोगशालायें	२४८९-९०
अल्प सूचना		
प्रश्न संख्या		
८	पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ के कारण फसलों की स्थिति	२४९०-९२
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२४९२-१५३१
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
७३३	सड़क परिवहन	२४९२-९३
७३५	हिन्दुस्तान शिपयार्ड	२४९३-९४
७३६	मूंगफली के खाने योग्य आटे का उत्पादन	२४९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमश)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
७३७	भारतीय ईजनों का निर्यात	२४९४
७३८	राम गंगा नदी	२४९५-९६
७३९	रूपनारायण पुल	२४९६
७४०	अमरीका से गेहूं की आयात	२४९६
७४१	पंजाब में विमान सेवायें	२४९६-९७
७४२	खुदागंज स्टेशन पर डकैती	२४९७

अतारांकित प्रश्न संख्या		
२०७४	राजस्थान में क्षय रोग के चिकित्सालय	२४९८
२०७५	अगरतला-बेलोनी रोड, अगरतला के ऊपर पुल का निर्माण	२४९८
२०७६	उड़ीसा में तीसरा मेडिकल कालिज	२४९८-९९
२०७७	हिमाचल प्रदेश में रामपुर पर सतलुज के ऊपर पुल	२४९९
२०७८	नारियल के वक्षों का पुनरारोपण	२४९९
२०७९	दक्षिण पूर्व रेलवे के स्टेशनों पर लोहा और मैंगनीज़ अयस्क के लिये वैगनों की मांग	२५००
२०८०	कोयना परियोजना	२५००
२०८१	उड़ीसा में सड़कों और पुलों का निर्माण	२५००-०१
२०८२	लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीव द्वीपों में फाइलेरिया की रोकथाम	२५०१-०२
२०८३	पान्नियार (जिला गुरदासपुर) में हाल्ट स्टेशन की मांग	२५०२
२०८४	तीसरी श्रेणी के डिब्बों में पंखों की व्यवस्था	२५०२
२०८५	क्षेत्रीय सहायक शिशिक्षु	२५०२-०३
२०८६	परिवार नियोजन	२५०३
२०८७	मद्रास राज्य मैं जल सम्भरण योजना	२५०३
२०८८	भुवनेश्वर में कृषि विश्वविद्यालय	२५०४
२०९०	उड़ीसा में सिंचाई की मध्यम परियोजनायें	२५०४
२०९१	रायगाडा तथा जेमादीपेटा स्टेशनों के बीच हाल्ट स्टेशन	२५०४-०५
२०९२	उड़ीसा में बिजली	२५०५
२०९३	उड़ीसा में डाक व तार कार्यालय	२५०६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१०९४	आन्ध्र प्रदेश में डाक तथा तारघर	२५०६
१०९५	आन्ध्र प्रदेश में हाल्ट स्टेशनों को फ्लैग स्टेशन बनाना	२५०६–०७
१०९६	कानपुर-बांदा सेक्शन में देवसौरा गांव में फ्लैग स्टेशन	२५०७
१०९७	माल यातायात	२५०७–०८
१०९८	सिगनल तथा दूर-संचार सामयिक कर्मचारियों की छंटनी	२५०८–०९
१०९९	कलकत्ता के बन्दरगाह कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल	२५०९
११००	औद्योगिक उत्पादन	२५०९—१०
११०१	केरल में चावल की कमी	२५१०
११०२	त्रिपुरा का रक्षित वन	२५११
११०३	आन्ध्र प्रदेश में विद्युत् जनन	२५११–१२
११०४	श्रीसैलम जल विद्युत् योजना	२५१२–१३
११०५	कोयला ले जाने के लिये ट्रकों का निर्माण	२५१३–१४
११०६	नागा के पास विमान पट्टी	२५१४
११०७	जूट का उत्पादन	२५१४–१५
११०८	डाक तथा तार कर्मचारी	२५१५
११०९	त्रिवेन्द्रम में एक्सप्रैस चिट्ठियों का पहुंचना	२५१५–१६
१११०	भूमिहीन व्यक्ति समितियां तथा सेवा सहकारी समितियां	२५१६
१११९	रेलवे में काम आ रहे वैगन, इंजन और डिब्बे	२५१६–१७
१११२	मंत्रियों के ड्राइवरों के निवासस्थानों पर टेलीफोन	१५१७–१८
१११३	दिल्ली में टिडडी आक्रमण	२५१८
१११४	त्रिपुरा में पंचायत मंत्री	२५१८
१११५	खुंगा ब्रुकशम हाल्ट को नियमित स्टेशन बनाना	२५१९
१११६	पंजाब में ग्राम्य विद्युतीकरण	२५१९
१११७	सामुदायिक विकास का उद्देश्य	२५१९–२०
१११८	शिलांग के निकट हवाई अड्डा	२५२०
१११९	सेतुसमुद्रम् परियोजना	२५२०–२१
११२०	मनीपुर में चावल के लिये उचित मूल्य की दुकानें	२५२१
११२१	मनीपुर द्वारा चावल का समाहार	२५२१
११२२	टिड्डी दल का आक्रमण	२५२२
११२३	गहर-बाटेल सिंचाई योजना	२५२२–२३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित

प्रश्न संख्या

२१२४ हिमाचल प्रदेश बड़ी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम २५२३

२१२५ हिमाचल प्रदेश में टायरों का पुनर्नवीकरण . . २५२४

२१२६ टाउन इन्स्पेक्टर और वायरलैस लाइसेन्स इन्स्पेक्टर . २५२४

२१२७ डाक तथा तार कर्मचारी २५२५

२१२८ समुद्रपार संचार सेवा के कर्मचारी . . . २५२५

२१२९ केन्द्रीय तारघर, नई दिल्ली में लम्बित शिकायतें . . २५२५

२१३० पशु-चिकित्सा कालिज २५२६

२१३१ खड़गपुर रेलवे कर्मशाला में अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारियों की मुअत्तली २५२६

२१३२ कलकत्ता में उड़िया बच्चों के लिये रेलवे के प्राइमरी स्कूल . २५२६–२७

२१३३ महाराष्ट्र में परिवार नियोजन केन्द्र . . . २५२७

२१३४ सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली . . . २५२७–२८

२१३५ उड़ीसा-मध्य प्रदेश सीमा पर रेल में हत्या . . २५२८

२१३६ चित्तरंजन स्टेशन पर यात्री शेड . . . २५२८

२१३७ रूपनारायणपुर में ऊपरी पुल और यात्री-शेड . . २५२८–२९

२१३८ मध्य रेलवे में दीवा-पनवेल-उरान-आपता रेलवे लाइन . २५२९

२१३९ मगरवारा और पटियारा स्टेशनों पर डाका . . २५२९–३०

२१४० निम्बाहैड़ा स्टेशन (चित्तौड़गढ़) पर यात्रियों के लिये शैड . २५३०

२१४१ दुग्धसागर प्रपात से बिजली २५३०

२१४२ डाकियों को मकान किराया भत्ता . . . २५३१

२१४३ केरल में समुद्र द्वारा भूमि का कटाव . . . २५३१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . . २५३१–३५

(१) श्री मनीराम बागड़ी ने राजशाही से आने वाले शरणार्थियों पर पाकिस्तानियों द्वारा कथित आक्रमण की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया ।

(२) श्री योगेन्द्र झा ने झुमरांव रेल दुर्घटना जांच आयोग द्वारा समय से पूर्व अपना काम बन्द कर दिये जाने के समाचार की ओर रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाया ।

रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया ।

विषय	पृष्ठ
सदस्य की दोषसिद्धि	२५३६
अध्यक्ष महोदय ने सभा को बताया कि उन्हें एगमोर, मद्रास के पुलिस कमिश्नर से यह सूचना प्राप्त हुई है कि लोक-सभा के सदस्य श्री पी० शिव-शंकरन की २८ अगस्त, १९६२ को एगमोर, मद्रास के चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्धि की गई और उन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा १४३ और दण्ड विधि संशोधन एक्ट की धारा ७ (ख), के अतीन तीन मास की सादी कैद की सजा दी गई ।	
सदस्य का निलम्बन	२५३६–४२
संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) ने प्रस्ताव किया कि श्री राम सेवक यादव को एक सप्ताह के लिये सभा की सेवा से निलम्बित किया जाये । सभा में मत विभाजन हुआ पक्ष में २३५ ; विपक्ष में २९ तथा प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।	
विधेयक पुर:स्थापित	
उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक १९६२ ।	२५४४
विचाराधीन विधेयक	२५४४–५१
वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) ने प्रस्ताव किया कि भारत के रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—स्वीकृत	२५५१
सातवां प्रतिवेदन स्वीकृत किया गया	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुर:स्थापित . . .	२५५१–५२
(१) संविधान (संशोधन) विधेयक १९६२ (नये अनुच्छेद १५५क का रखा जाना और अनुच्छेद १६७ का संशोधन) **[श्री टीकाराम पालीवाल का]**	
(२) दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक १९६२ **[श्री नवल प्रभाकर का]**	
(३) संविधान (संशोधन) विधेयक, १९६२ (अनुच्छद ३४३ का संशोधन) **[श्री च० का० भट्टाचार्य का]**	
गैर सरकारी सदस्य का विधेयक वापस लिया गया . . .	२५५२–६५
श्री म० ला० द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ८७-ख का लोप) पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा	

विषय पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक वापस लिया गया—(क्रमशः)

जारी रही। श्री यल्लमंदा रेड्डी ने संशोधन प्रस्तुत किया कि विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाये। श्री म० ला० द्विवेदी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया। संशोधन अस्वीकृत हुआ और विधेयक सभा की अनुमति द्वारा वापस ले लिया गया।

विलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . २५६६–६७

श्री बागड़ी ने ३० अगस्त, १९६२ को तिलहरी भिसुर्ग स्टेशन के निकट दिल्ली वाली ४६ डाउन पठानकोट जनता एक्सप्रैस और देहरादून आने वाली ४१ अप मसूरी एक्सप्रैस में हुई भिड़न्त की ओर, जिसके फलस्वरूप ६६ व्यक्तियों को चोटें आईं, रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाया।

रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया।

स्थगन प्रस्ताव २५६८

उपाध्यक्ष महोदय ने रेलवे मंत्री द्वारा ऊपर के पैराग्राफ में दिये गये वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए तिलहरी भिसुर्ग स्टेशन के निकट हुई रेलदुर्घटना के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव को, जिसकी सूचना श्री स० मो० बनर्जी और श्री इन्द्रजीत गुप्त ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव स्वीकृत २५६८–७३

श्री दी० चं० शर्मा ने यह प्रस्ताव किया कि यह सभा श्री मु० बि० भार्गव के भारतीय समुद्री बीमा विधेयक को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपने के बारे में राज्य सभा की सिफारिश से सहमत हैं। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। तथा उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिये लोक सभा के २० सदस्य मनोनीत किये गये।

गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक विचाराधीन . . . २५७३–७४

श्री दी० चं० शर्मा ने यह प्रस्ताव किया कि संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

आधे घंटे की चर्चा २५७४–७७

श्री विद्या चरण शुक्ल ने मध्य प्रदेश में खनिजों पर स्वामित्व के बारे में १७ अगस्त, १९६२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३७१ के उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घण्टे की चर्चा उठायी।

इस्पात तथा भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) ने चर्चा का उत्तर दिया।

सोमवार ३ सितम्बर, १९६२ / १२ भाद्र, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि—

भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा तथा उसका पारित किया जाना, तथा बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक तथा गन्ना नियंत्रण (अतिरिक्त शक्तियां) विधेयक पर विचार तथा उनका पारित किया जाना।

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक— . . २५५२—६५

(धारा ८७-ख का लोप) [श्री म० ला० द्विवेदी का]—वापस लिया गया—

विचार करने का प्रस्ताव

श्री म० ला० द्विवेदी २५५२—५५

श्री यलमंदा रेड्डी . २५५५

श्री हेम राज . . २५५६

डा० मा० श्री० अणे . . २५५६–५७

श्री गौरी शंकर कक्कड़ . . २५५७

श्री रघुनाथ सिंह . . २५५७–५८

श्री श्रीनारायण . २५५८–५९

श्री च० का० भट्टाचार्य २५५९

श्री पालीवाल २५५९–६०

श्री सिंहासन सिंह २५६०–६१

श्री अ० कु० सेन . . . २५६०—६५

भारतीय समुद्री बीमा विधेयक [श्री मु० बि० भार्गव का] विधेयक . २५६५—७२

राज्य सभा की सिफारिश से सहमति का प्रस्ताव

श्री दी० चं० शर्मा २५६५,२५६८–६९

श्री ब० रा० भगत २५६६,२५७२–७३

श्री रघुनाथ सिंह . २५६९

श्री बृज बिहारी मेहरोत्रा २५६९–७०

श्री गौरी शंकर कक्कड़ २५७०

श्री स० भौ० बनर्जी २५७०–७१

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद

श्री श्याम लाल सर्राफ २५७१

डा० मा० श्री० अणे २५७१

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा २५७२

श्री त्यागी . . . २५७२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . २५६६—६८

गाजियाबाद सहारनपुर खंड में रेल गाड़ियों की टक्कर

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) [श्री दी० चं० शर्मा का]

विचार करने का प्रस्ताव २५७३–७४

श्री दी० चं० शर्मा २५७३–७४

मध्य प्रदेश में खनिजों पर स्वामित्व के बारे में आधे घंटे की चर्चा . २५७४—७७

श्री विद्या चरण शुक्ल २५७४–७५

श्री चि० सुब्रह्मण्यम २५७५—७७

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . २५७८—८३

समेकित विषय सूची [२० से ३१ अगस्त, १९६२ / २९ श्रावण, से ९ भाद्र, १८८४ (शक) तक] . . . . .

© १९६२ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।